

(To be published in Part - III Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary)
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/8/2013-KOPT

Mumbai,

24 February 2014

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the revised Scale of Rates disposing of the proposal of the Kolkata Port Trust for general revision of its Scale of Rates as in the Order appended hereto.

(T.S. Balasubramanian)
Member (Finance)

Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/8/2013-KOPT

Kolkata Port Trust

- - -

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 21st day of February 2014)

This case relates to the proposal received from the Kolkata Port Trust (KOPT) for general revision of its Scale of Rates (SOR).

2. The KOPT has filed a proposal dated 30 January 2013 for general revision of its Scale of Rates. The said proposal was taken on consultation with the concerned users/ user organisations and the BOT operators at the KOPT. The comments furnished by the users/ user organisations were forwarded to the KOPT as feedback information. The KOPT has responded to the comments of the users/ user organisations. The proposal of the KOPT was internally scrutinized in the office. The additional information/ clarifications were sought from the KOPT. The KOPT has responded to the additional information/ clarifications sought by this Authority. While responding to our queries, the KOPT has furnished the revised cost statements, considering actuals of 2012-13. A joint hearing in this case was held on 7 August 2013 at the KOPT premises in Kolkata. At the joint hearing, the KOPT and the concerned users/ organisation bodies have made their submissions.

3.1. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, this Authority has passed a speaking Order disposing of the proposal filed by the KOPT for general revision of its Scale of Rates. Considering deficit position depicted by the cost statements for a period of 2 years i.e. 2014-15 and 2015-16, this Authority has accorded approval for an across the board increase of 20% in the cargo related charges.

3.2. As per the estimated cost position, the vessel related activity of the port depicts a deficit position of around 40% for a period of two years i.e. 2014-15 and 2015-16. The proposal of the KOPT for increase in the vessel related charges is approved, as proposed by the port, subject to restricting the increase to 40% in respect of few tariff items where a higher percentage of increase has been sought by the port.

3.3. The KOPT is also authorised to charge a special rate of 5% as Pension Levy over the approved rates.

4. The Order passed by this Authority is in the process of notification in the Gazette of India which is likely to take some more time for notification. Since the tariff increase and the revised pension levy granted is based on the financial/ cost position of the KOPT for the years 2014-15 and 2015-16, this Authority desires that the revised Scale of Rates may come into force without waiting for notification of the Order. Therefore, this Authority notifies the revised Scale of Rates of the KOPT immediately which is attached as **Annex**. The revised Scale of Rates will come into force after expiry of 30 days from the date of notification but not before or later than 1 April 2014. The Order passed by this Authority will be notified separately and communicated to the KOPT and the relevant users/ user organisations and BOT operators in due course of time.

(T.S. Balasubramanian)
Member (Finance)

KOLKATA PORT TRUST

SCALE OF RATES

GENERAL

S.1	<u>Short title of Commencement</u>
	The Scale of Tolls, Dues and Rates set out herein shall be called 'SCALE OF RATES' of the Kolkata Port Trust and charges shall be levied by Kolkata Port Trust in terms of provisions of the Scale of Rates.
S.2	<u>Definition</u>
	In this Scale of Rates, unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply.
(i)	'Board' shall have the same meaning as assigned to it in the Major Port Trust Act, 1963.
(ii)	'Coastal Vessel' shall mean any vessel exclusively employed in trading between any Port or place in India to any other Port or place in India having a valid coastal license issued by the competent authority.
(iii)	'Day' in respect of Kolkata Dock System shall mean the period starting from 6.30 am of a day and ending at 6.30 am on the next day. 'Day' in respect of Haldia Dock Complex shall mean the period starting from 6 am of a day and ending at 6 am on the next day.
(iv)	'Demurrage' shall mean charges payable for storage of cargo within Port premises beyond free period as specified in the Scale of Rates and shall not include the cargo stored at the area allotted to a port user on license/lease basis for storage of cargo. Note: For storage of cargo at the areas allotted to any port user by KoPT on license /lease basis, provisions of Schedule of Rent shall apply during the entire period of occupation (i.e. till vacation) of the storage area by the port user.
(v)	'Foreign Going Vessel' shall mean any vessel other than coastal vessel, Inland vessel, boat and flat.
(vi)	'Full Container Load (FCL)' shall mean a container having cargo of a single Importer/Exporter.
(vii)	'Haldia Dock Complex (HDC)' shall mean the Oil Jetties, Other Jetties, Wharves and Berths at Haldia and River Moorings at Haldia Anchorages.
(viii)	'Hazardous-I' shall mean the cargo categorized as Hazardous-I in the list of Hazardous Cargo adopted by the Board from time to time.
(ix)	'IWT Cargo'/ 'IWT Container' shall mean cargo/container, carried by Inland Vessel / barge/ boat/ flat through Inland Waterways but shall not include lighterage cargo/container.
(x)	'Inland Vessel' shall mean any vessel registered as such under the provision of the Inland Vessels Act, 1917. Note: The charges leviable on 'Inland Vessels' will also be applicable on vessels operating through riverine route between Bangladesh and KoPT under protocol.

(xi)	'Kolkata Dock System (KDS)' shall mean Netaji Subhash Dock, Kidderpore Dock, Sandhead, Saugor, River Anchorages, River Moorings, Budge-Budge Petroleum Wharves, Inland Vessel's Wharves and all other establishments of KoPT, excepting those specifically under Haldia Dock Complex.
(xii)	'Kolkata Port Trust (KoPT)' shall mean the corporate entity and will include Kolkata Dock System and Haldia Dock Complex.
(xiii)	'Less than a Container Load (LCL)' shall mean a container having cargo of more than one Importer /Exporter.
(xiv)	'Lighterage Cargo/' 'Lighterage Container' shall mean cargo/ container which the foreign going vessel/coastal vessel off-load/load at any river anchorage/mooring/ virtual jetty/ Sandhead into/ from smaller vessels/ Barges.
(xv)	'Month' shall mean 30 consecutive calendar days including holidays unless otherwise specified.
(xvi)	'On Board handling Charges' shall mean charges on Cargo/ Commodity/ Article / Package/ Container for rendering on board services by the port in the form of supply of manpower for loading / unloading operation.
(xvii)	'Overside Discharge/ Shipment' shall mean the operation of unloading/loading of cargo/container ex/into vessel working at berth/ jetty/ dock buoy without passing through the quay at the time of discharge/ shipment operation.
(xviii)	'Over Dimensional Container' shall mean a container carrying over dimensional cargo beyond the normal size of standard containers and/or needing special devices like slings, shackles, lifting beam, etc. Damaged Containers (including boxes having corner casting problem) and Container requiring special devices for lifting will also be classified as Over Dimensional Container.
(xix)	'Shore Handling Charges' shall mean charges on Cargo/ Commodity/ Article/ Package/ Container for rendering shore services by the port in the form of supply of labour with/without equipment for transportation of cargo from hook point to stacking point (including loading at hook point), unloading of the same at the stacking point and subsequent loading for delivery, or vice-versa and in case of mechanical receiving of cargo shall also include charges for tipping of wagon by Wagon Tippler.
(xx)	'Shut out' cargo shall mean export cargo left in the Port having not been shipped on board the vessel for which it was received in Port premises.
(xxi)	'TEU' shall mean Twenty Feet Equivalent Unit of container.
(xxii)	'Transshipment' shall mean transfer of cargo/container from a sea going vessel/barge to another sea going vessel/barge in the midstream or via shore for destination to other Port/Ports.
(xxiii)	'Wharfage' shall mean the basic dues recoverable on all Cargo/ Container landed or shipped or transhipped within the port limit and approaches or passing through the declared landing stage of the port, whether portage was provided by the port or not and shall include hooking/unhooking operation on shore, where necessary.
(xxiv)	'Week' shall mean 7 (seven) consecutive calendar days including holidays.

S.3	General Principles of Assessment	
	(i)	The minimum weight/measurement chargeable shall be 1 tonne/1 CBM although the gross weight/measurement may be less than 1 tonne/1 CBM. In case where the charge is on weight basis and the gross weight is not an exact multiple of 100 Kgs, the same will be rounded off to the next higher multiple of 100 Kgs. Where the gross CBM includes decimals, the same should be rounded off to the next higher whole unit of CBM.
	(ii)	Rates applicable for a period/unit other than weight shall be applicable to the part of a period/unit thereof.
	(iii)	Unless otherwise specified, if port equipment is used for landing/shipment of cargo / container from/into vessel or for any other purpose by the vessel, equipment charges specified in Section 16.1 shall be levied.
	(iv)	Cargo Related Charges shall be levied on the owners of the cargo or their Clearing and Forwarding Agents / Handling Agents except where specified otherwise, or in cases where Ship Owners/Steamer Agents agree to pay such charges. In case of Shipper's own container, the owners of the cargo or their Clearing and Forwarding Agents/ Handling Agents can also pay the charges.
	(v)	<p>All charges related to Load / Empty Containers including demurrage thereon shall be levied on Container Agents/ Main Line Operators (MLO). However, in case of container from/to ICDs/Customs notified CFS, the concerned ICD or CFS operator can also pay the port charges.</p> <p>However, after de-stuffing or prior to stuffing, the cargo related charges, if any, shall be levied on the owner of the cargo or his Clearing & Forwarding Agent / Handling Agent.</p>
	(vi)	<p>(a) Vessel related charges shall be levied on the Ship Owners/Steamer Agents. Wherever rates have been denominated in US Dollar terms, the charge shall be recovered in Indian Rupees after conversion of US currency to Indian Rupee at the Reserve Bank of India's Reference Rate. The date of entry of vessel into port limit shall be reckoned as the date for such conversion.</p>
		<p>(b) Container related charges denominated in US dollar terms shall be collected in equivalent Indian Rupees based on the Reserve Bank of India Reference Rate prevalent on the date of entry of the vessel in case of import containers; and on the date of arrival of the containers into port, in case of export containers.</p>
	(vii)	<p>(a) The Vessel related charges for all Coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels.</p>
		<p>(b) The cargo /container related charges for all Coastal cargo/containers, other than thermal coal, POL including crude oil, Iron Ore and Iron Ore Pellets, should not exceed 60% of the normal cargo/container related charges.</p>
		<p>(c) In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant cargo handling charges for ship-shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage.</p>

		(d)	In case of container related charges, the concession is applicable on composite box rate. Where itemized charges are levied, the concession will be on all the relevant charges for ship-shore transfer, and transfer from /to quay to/from storage yard as well as wharfage on cargo and containers.
		(e)	For the purpose of this concession, cargo / container from a foreign port which reaches an Indian Port 'A' for subsequent transshipment to Indian Port 'B' will also qualify insofar as the charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo/containers from / to Indian Ports carried by vessels permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
		(f)	The charges for coastal cargo/containers/vessels shall be denominated and collected in Indian Rupee.
	(viii)		In all cases where charges are levied in US Dollar terms, the exchange rate shall be reviewed once in every 30 days from the date of applicable exchange rate adopted initially in respect of storage charge for containers staying inside the Port for more than 30 days or in respect of vessel related charges for vessels staying in the Port for more than 30 days. In such cases, the basis of billing shall change prospectively with reference to the appropriate exchange rate prevailing at the time of review.
	(ix)		Samples, Catalogues and other articles for which Shipping Companies charge no freight and on which no Customs duty is payable, diplomatic mail bags, crew baggage and all goods meant for KoPT's use shall be exempted from payment of all cargo related charges.
	(x)		No charge shall be levied on stores/ provisions supplied on board KoPT crafts/vessels.
	(xi)		No demurrage shall be charged for the days during which delivery cannot be effected due to strike by the Port employees provided the concerned Importer or his Authorized Agent files the complete delivery documents on payment of all Port charges prior to commencement of the strike.
	(xii)	(a)	Berth hire charge shall stop 4 hours after the time of the vessel's signalling its readiness to sail. The time limit prescribed for cessation of berth hire charge shall exclude the ship's waiting time for want of favourable tidal conditions or on account of inclement weather or due to absence of night navigation facilities or non-acceptance of the vessel by HDC.
		(b)	There shall be penal berth hire equal to berth hire charge of one day for a false signal.
	(xiii)		Interest on delayed payments / refunds:
		(a)	The user shall pay penal interest on delayed payments under this Scale of Rates. Likewise, KoPT shall pay penal interest on delayed refunds.
		(b)	The rate of penal interest will be 16.75 %. The penal interest rate will apply to both the KoPT and the port users equally.
		(c)	The delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.

		(d)	The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by KoPT. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services / use of Port Trust's properties as stipulated in the Major Port Trust Act and / or where payment of charges in advance is prescribed as a condition in this Scale of Rates.
	(xiv)		Before classifying any cargo under "unspecified category" or otherwise for determination of the nature of cargo, the relevant Customs classification shall be referred to, in order to find out whether the cargo can be classified under any of the specified categories mentioned in the schedules.
	(xv)	(a)	A foreign going vessel of Indian flag having a General Trading License can convert to coastal run on the basis of a Customs Conversion Order.
		(b)	A foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a Coastal Voyage License issued by the Director General of Shipping.
		(c)	For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal License from the Director General of Shipping, no other document will be required by her to be entitled for coastal rates.
		(d)	The status of the vessel, as borne out by its certification by the Customs or Director General of Shipping, shall be the deciding factor for its classification as 'Coastal' or 'Foreign-going' for the purpose of levy of vessel related charges; and, the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.
		(e)	The corresponding vessel related rates should be applied depending on the status of the vessel at the time of the incidence of such charge.
	(xvi)		For all types of cargo, cargo related charges shall be levied on the gross weight of the consignment.
	(xvii)		For the purpose of charging, Shipper's Own Containers will be at par with the rates that of Marine Freight Containers
	(xviii)		Users will not be required to pay charges for delays beyond a reasonable level attributable to KoPT.
	(xix)	(a)	Wherever a specific tariff for a service/cargo is not available in the notified Scale of rates, KoPT can submit a suitable proposal to TAMP
		(b)	Simultaneously with the submission of the proposal, the proposed rate can be levied on an ad hoc basis till the rate is finally notified.
		(c)	The ad hoc rate to be operated in the interim period must be derived based on existing notified tariffs for comparable services/ cargo; and, it must be mutually agreed upon by the Port/ Terminal and the concerned user(s).
		(d)	The final rate fixed by the TAMP will ordinarily be effective only prospectively. The interim rate adopted in an ad hoc manner will be recognised as such unless it is found to be excessive requiring some moderation retrospectively.
	(xx)	(a)	The rates prescribed in this Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts prescribed are floor levels. KoPT may, if it so desires, charge lower rates and/ or allow higher rebates and discounts.

		(b)	KoPT may also, if it so desires, rationalize the prescribed conditionality governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalization gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling levels.
		(c)	Provided that KoPT should notify the public such lower rates and / or rationalization of the conditionality governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and / or in the conditionality governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.

PART-I

Charges on Break-bulk and Bulk Cargo

S.4	<u>Wharfage:</u>	
S.4.1	Wharfage on Foreign cargo landed/shipped at any place within Kolkata Port Trust shall be levied at the following rates, except where specified otherwise: -	
Sl. No.	Description	Rates in ` per tonne or part thereof (unless other unit is specified)
Liquids/ Gas handled through pipeline		
1.	Crude Oil;	91.80
2	Ammonia ; Aviation Turbine Fuel; CBFS; Furnace Oil; High Speed Diesel; Light Diesel Oil; Lubricating Oil; Superior Kerosene Oil; Motor Spirit; Paraxylene; Slack Wax; Ship's bunker; POL/POL products and any other liquid /gas having a flash point of 23°C (73.4°F) or above, if not otherwise specified;	91.80
3.	POL/POL Products or any other liquid /Gas having a flash point of less than 23°C (73.4°F), if not otherwise specified;	
	(a) For quantity upto 50000 tonnes per Financial Year	135.00
	(b) On the incremental quantity handled above 50000 tonnes per Financial Year	102.60
4.	Naphtha; LPG; Butadiene; Butane; Butene; Benzene; Py Gas; Propane; Hexane ; N-Hexane	102.60
5.	Ethylene Glycol; Ethyl Hexanol; Methyl Alcohol; Acids; Fatty Acids; Mineral Oil; Tallow; Alcohol; Palm Stearin.	70.20
6.	Vegetable Oils;	54.00
7	Molasses;	32.40
Liquids handled other than through pipeline		
8.	All liquids including ship's bunker	91.80
Cargo handled through mechanical system		
9.	Export Iron Ore ;	46.66
10.	Export Thermal Coal;	52.49
11.	All types of Coal not specified, Fertilizer; Fertilizer Raw Materials; Soda Ash and all other Dry Bulks;	104.98
Cargo handled other than through mechanical system		
12.	Salt, Fly Ash; Sand	23.33
13.	Iron Ore; Iron Ore pellets;	23.33

Sl. No.	Description	Rates in ` per tonne or part thereof (unless other unit is specified)
14.	Limestone; Coking Coal; Petroleum Coke; Metallurgical Coke; Bauxite; Manganese Ore; All types of Coal / Coke / Ore not specified; Sponge Iron; Pig Iron; All other Dry Bulk Cargo, not specified;	46.66
15.	Wheat; Rice; Pulses; Peas; Rapeseed; Cereals & their products ; Bulgur wheat; Corn Soya blend; Milk powder; Seeds of all kinds; Sugar (both raw and refined); Bran; News Print; Gypsum; Slag ; Soda (Caustic or Ash); Cement; Clinker;	58.32
16.	Mill Scale; Magnesite; Granite; All types of Scrap; Oil Cake; Bone & Bone Meal; Mica Block/flake/spitting/waste /scrap/ powder; Non ferrous metals of all kinds except ingots of Zinc/ Aluminum/Copper/Lead; Ammonium Sulphate; Ammonium Nitrate; Lead Concentrate; Plywood; Fire Bricks & other Refractory Materials; CI goods; Rock Phosphate, Sulphur & Other Fertilizer raw materials; Murate of Potash (MOP), Di-Ammonium Phosphate (DAP), Urea and other Finished Fertilizers; Asphalt pitch (including Coal Tar pitch); Bitumen; Carbon Black; Spare Bags; Jute, Gunnies, Jute Products/ waste/caddies/twist/cuttings; Hemp; Vegetable Fibers; Raw wool; Asbestos raw/fiber; Synthetic resin/ yarn/rag; Asbestos raw/ fibre; Cotton piece goods; Waste Paper; Wood Pulp; Shellac; Seedlac; Glass Sheet; Glass ware/products; Porcelain ware/products; Hides & Skins; Hosiery Goods; Garment; Leather and its products; Ship Store; Dunnage; All other cargo not specified but handled in bags;	81.65
17.	Iron and Steel; Pipes & Tubes;	69.98
18.	Log, Timber, Veneer	122.47 per CBM or part thereof
19.	Car ; Any rubber tyred vehicle; Cargo moving equipment; Earth-moving equipment;	4665.60 per unit
20.	Project material, Project equipment, Machinery and Spares	240.00
21.	All other cargo not covered above	240.00

Note: The lower rate specified in S.4.1, Sl. No. 3(b) shall be allowed by way of refund against claim lodged by the Importer/Exporter after close of a Financial Year. The same shall be calculated separately for each Dock System not considering the quantity handled at the other Dock System. The claim should be accompanied by details of quantity handled vessel wise as well as payment particulars thereof.

S.4.2	Wharfage on Coastal cargo landed/shipped at/ from any place within Kolkata Port Trust shall be levied at the following rates, except where specified otherwise:-																
Sl. No.	Description	Rates in ` per tonne or part thereof															
1	Crude oil, POL and POL products, Thermal Coal, Iron Ore and Iron Ore pellets	Same as the rates for Foreign Cargo as specified at S.4.1															
2	All other cargo	60% of the rates for Foreign Cargo as specified at S.4.1															
S.4.3	<p>a) For Transshipment cargo handled at berth, wharfage is payable at 75% of the applicable rate for landing and 75% of the applicable rate for subsequent shipment. The applicable rates shall be the rates specified at S.4.1 or S.4.2 depending on whether the same is foreign or coastal at the time of discharge/shipment as per definition under S.2.</p> <p>b) For Transshipment cargo handled at Sandheads/Virtual Jetty/any other anchorage point/ mooring, wharfage shall be levied at the rate of `28/- per tonne or part thereof irrespective of the nature & description of the cargo.</p>																
S.4.4	For Crude Oil/POL/POL product discharged at Sandheads /Virtual Jetty/any other anchorage point/ mooring, for subsequent landing at berth or vice-versa in case of shipment, only one full wharfage shall be levied, even if the cargo operation takes place at both the dock systems. Each dock system in such cases shall realize 50% of the applicable wharfage.																
S.4.5	<p>For discharge/shipment of cargo at Sandheads / Virtual Jetty / any other anchorage point/ mooring, other than the cargo specified at S.4.3 (b) and 4.4, 90% of wharfage as specified at S.4.1 or S.4.2, as the case may be, shall be realised for discharge/ shipment at such point.</p> <p>In addition, if such cargo is carried by barge / boat / flat or any other vessel for unloading/loading at any berth/jetty/declared Inland Vessel Wharves belonging to port, wharfage shall be realised for such discharge/shipment at the following rates:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>Place of operation</th> <th>Rates in ` Per tonne or part thereof</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Berth/ jetty meant for handling sea-going vessel:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a). Iron Ore</td> <td>5.83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b). All other cargo</td> <td>23.33</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Declared Inland Vessel Wharves of KoPT</td> <td>5.83</td> </tr> </tbody> </table>		Sl. No.	Place of operation	Rates in ` Per tonne or part thereof	1.	Berth/ jetty meant for handling sea-going vessel:			a). Iron Ore	5.83		b). All other cargo	23.33	2.	Declared Inland Vessel Wharves of KoPT	5.83
Sl. No.	Place of operation	Rates in ` Per tonne or part thereof															
1.	Berth/ jetty meant for handling sea-going vessel:																
	a). Iron Ore	5.83															
	b). All other cargo	23.33															
2.	Declared Inland Vessel Wharves of KoPT	5.83															
S.4.6	<p>On IWT cargo loaded/unloaded at any Berth / Jetty/ declared Inland Vessel Wharves belonging to port, wharfage, unless otherwise specified in this Scale of Rates, shall be realised at the following rates :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>Place of operation</th> <th>Rates in ` Per tonne or part thereof</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Berth/jetty meant for handling sea-going vessel</td> <td>75 % of wharfage as specified at S.4.1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Declared Inland Vessel Wharves of KoPT</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a) Fly Ash</td> <td>11.66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) All Other cargo</td> <td>23.33</td> </tr> </tbody> </table>		Sl. No.	Place of operation	Rates in ` Per tonne or part thereof	1.	Berth/jetty meant for handling sea-going vessel	75 % of wharfage as specified at S.4.1	2.	Declared Inland Vessel Wharves of KoPT			a) Fly Ash	11.66		b) All Other cargo	23.33
Sl. No.	Place of operation	Rates in ` Per tonne or part thereof															
1.	Berth/jetty meant for handling sea-going vessel	75 % of wharfage as specified at S.4.1															
2.	Declared Inland Vessel Wharves of KoPT																
	a) Fly Ash	11.66															
	b) All Other cargo	23.33															

S.4.7	<p>a) Wharfage shall be levied separately by each dock system for cargo operation within their system, unless otherwise specified in this Scale of Rates.</p> <p>b) In case of overside discharge of cargo from vessel, wharfage as per S.4.1 or S.4.2, as the case may be, shall be levied. For subsequent discharge of the said cargo at berth in the same dock system, 50% of the rate provided under S.4.1 or S.4.2, as the case may be, shall be levied in addition to the above.</p>
S.4.8	<p>On shutout cargo /stock cargo, which are taken back from Port premises, 50% of wharfage shall be levied. In addition, if labour and / or equipment are/ is supplied by port for handling of cargo, on-board handling charges and/ or shore handling charges, as the case may be, shall be levied.</p> <p>No additional wharfage shall be levied on shutout cargo if the same is subsequently shipped without being removed from port premises.</p>
S.4.9	Due to some operational reason, if any cargo is landed from a vessel for subsequent shipment by the same vessel, consolidated wharfage shall be levied @ ` 116.64 per tonne or part thereof.
S.4.10	On liquid cargo transferred through pipeline between HDC and KDS or from any other point to KDS/HDC or vice-versa, 50 % of the wharfage shall be levied at the dock system where it is so transferred.

S.5	On board handling charges:	
S.5.1	For supply of manpower by KoPT, for handling of foreign cargo on board the vessel/ barge for loading/ unloading operation, charges at the following rates shall be levied on the Vessel Agents or Importer /Exporter or his Clearing Forwarding Agent/Handling Agent :	
Sl.No.	Description	Rate in ` per tonne or part thereof, unless other unit is specified
1	Coking Coal, All types of Coal, Coke and Ore, Limestone, Other dry bulk cargo not specified, discharged/ shipped by use of Grab/ Magnet.	34.99
2	Iron and Steel; Pipes & Tubes;	93.31
3	All types of cargo handled in bags or drums;	40.82
4	Log ; Timber ; Veneer ;	29.16 per CBM
5	Car, any rubber tyred vehicle, cargo moving equipments or earth moving equipments when discharged / shipped by use of slings.	58.32 per unit
6	All other cargo not specified under Sl. No. 1, 2, 3, 4 and 5 above	46.66

S.5.2	For supply of manpower by KoPT, for handling of Coastal cargo other than Crude oil, POL and POL products, Thermal Coal, Iron Ore and Iron Ore pellets on board the vessel / barge for loading/ unloading operation; charges at the rate of 60% of the rates specified at S.5.1 shall be levied on the Vessel Agents or Importer/Exporter or his Clearing Forwarding Agent/Handling Agent. For Crude oil, POL and POL products, Thermal Coal, Iron Ore and Iron Ore pellets the rates shall be same that of foreign cargo.
-------	---

Note for Section 5:			
(i)	On board handling charge is not leviable in cases where wharfage is realised on cargo for handling through pipeline or for handling through mechanical system, as KoPT does not provide on board labour /equipment against such vessels.		
(ii)	For shifting of cargo on board without passing through the quay, 1.5 times of the applicable On board handling charges shall be levied.		
S.6	<u>Shore handling charge:</u>		
S.6.1	Charges shall be levied at the following rates for rendering shore handling services to foreign cargo as specified in the definition of 'Shore Handling Charges' at S.2 (xix) and for such other services as specified below.		
SL No.	Description	Rates in ` per tone or part thereof	
		Labour only	Labour & Equipment
1.	Bagged cargo and packages (where handling is entirely done manually, by using handcart only , if necessary)	29.16	-
2.	Iron and Steel; Pipes & Tubes;	23.33	139.97
3.	All other break bulk cargo for which rates otherwise not specified- (per Pkg. Or Unit weight)		
	i) Less than 5 tonne	23.33	46.66
	ii) 5 tonne to less than 10 tonne	23.33	87.48
	iii) 10 tonne to less than 20 tonne	23.33	174.96
	iv) 20 tonne to less than 40 tonne	23.33	233.28
	v) 40 tonne and above	23.33	466.56
4.	i) Tippling of Thermal Coal wagon by Wagon Tippler	52.49	
	ii) Manual unloading of Thermal Coal Wagon -	34.99	
	iii) Transfer of Thermal Coal (other than through mechanical system), from unloading point to Stack point, including loading at unloading point and unloading at Stack point.	46.66	52.49
	iv) Transfer of Thermal Coal (other than through mechanical system), from stack point/ unloading point to Hook point, including loading at stack point/ unloading point and unloading at hook point as well as heaping of cargo for vessel feeding.	64.15	69.98

SL No.	Description		Rates in ` per tone or part thereof	
			Labour only	Labour & Equipment
5.	i)	Tippling of Iron ore wagon by Wagon Tippler	46.66	
	ii)	Manual unloading of Iron Ore Wagon	46.66	
	iii)	Transfer of Iron Ore (other than through mechanical system), from unloading point to Stack point, including loading at unloading point and unloading at Stack point.	52.49	58.32
	iv)	Transfer of Iron Ore (other than through mechanical system), from stack point/ unloading point to Hook point, including loading at stack point/ unloading point and unloading at hook point as well as heaping of cargo for vessel feeding.	64.15	75.82
6.	All types of dry bulk cargo not specified [other than the cargo landed from or shipped/ to be shipped through mechanical system]			
	(i)	When the cargo landed at a berth is stored at the dedicated storage area of the same berth and finally delivered from the said storage area, or vice versa (in case of exports); without requiring additional loading/unloading and/or transportation over those covered under the definition of shore handling charge.	81.65	104.98
	(ii)	When the cargo landed at a berth is stored at any area (within the dock), other than the dedicated storage area of the same berth, and finally delivered there from, or vice versa (in case of Exports); without requiring additional loading/unloading and/or transportation over those covered under the definition of shore handling charge.	81.65	120.58
7.	Logs; Timber; Veneer;		23.33 per CBM	46.66 per CBM
S.6.2	For supply of KoPT's manpower with/without equipment for shore handling of Coastal cargo, other than Crude Oil, POL and POL Products, Thermal Coal, Iron Ore and Iron Ore Pellets, charges at the rate of 60% of the rates specified at S.6.1 shall be levied. For Crude oil, POL and POL products, Thermal Coal, Iron Ore and Iron Ore pellets, the rates shall be same as that of foreign cargo.			
Note for Section 6.				
i)	Port reserves the right to supply/ to not supply labour/ equipment for shore handling operation, other than in case of tippling of wagon.			
ii)	In case of Sr. no-1, 2, 3 and 7 of S.6.1, if the Port provides only part of the services specified in the definition of 'Shore Handling Charge' under S.2(xix), 50% of the specified shore handling charges shall be levied. This clause is not applicable for not providing Tippling, which is a standalone service.			

iii)	No Shore handling charge shall be levied where port provides none of the services specified in the definition of 'Shore Handling Charge' under S.2(xix) and where wharfage is realized on cargo for handling through pipeline.
iv)	In case the manual unloading of Thermal Coal wagon and/ or manual loading of Thermal Coal is done at the option of the Port, a rebate of 30% in the rates specified under Sl. No. 4 (ii), (iii) and (iv) shall be allowed.

S.7	<u>Demurrage on Cargo:</u>	
S.7.1	Demurrage shall be levied on Import cargo (other than containerised cargo) after allowing a demurrage-free period as specified below: -	
Sl. No.	Description	Demurrage-free period
1.	Hazardous-I cargo	Actual date of landing
2.	All other cargo except those mentioned at Sl. No. 1,3 & 4	3 days after the last landing date of the vessel/barge from which the cargo is discharged.
3.	Non-hazardous cargo using port equipment for delivery; Non-hazardous cargo for Nepal and Bhutan;	6 days after the last landing date of the vessel/barge from which the cargo is discharged.
4.	Cargo imported by voluntary / relief organization like Missionaries of Charity, Bharat Sevashram Sangha, Ramkrishna Mission, CARE, CRS, WFP and others as may be accepted by Kolkata Port Trust from time to time on the basis of certification by the Appropriate Govt. Authority of Central Govt./State Govt. and Govt. of Nepal/ Bhutan or their local Consulate General.	30 days after the last landing date of the vessel /barge from which the cargo is discharged.

Note for Section-7:

i)	<p>a) Last Landing Date (LLD) is the date on which a vessel completes her import discharge at quay side.</p> <p>b) In case of over-side discharge as well as discharge at anchorage/ mooring/ buoy on to boats/ barges/ flats / any other vessels; the date of completion of unloading at quay by each such boat / barge/ flat / any other vessel shall be the LLD of the cargo carried by that particular boat / barge/ flat /vessel.</p> <p>c) However, KoPT may declare any other date as such LLD for cargo already discharged from the vessel when the vessel is not doing cargo operation work for more than 24 hours for any fault/ reason not attributable to Port. In such cases, a vessel may have more than one LLD.</p>
ii)	<p>For the purpose of calculation of free period, Customs notified holidays and/ or KoPT's non-working days shall be excluded. Sundays shall not be excluded for the purpose of calculation of free period unless Customs notified holidays and/or KoPT's non-working days fall on Sundays.</p> <p>After demurrage charge begins to accrue, no allowance would be made for Customs notified holidays or KoPT's non-working days.</p>

S.7.2	Demurrage on Import cargo (except log, timber, veneer) shall be levied after the expiry of demurrage free period at the following rates: -		
Sl. No.	Type of cargo	Rate in ` per tonne per day or part thereof	
		For the first 15 days	16 th day onwards
1.	Hazardous – I	183.60	216.00
2.	All other cargo	43.20	64.80

S.7.3	Demurrage on Import log, timber, veneer shall be levied after the expiry of demurrage free period at the following rates: -			
Sl. No.	Type of cargo	Rate in ` per CBM per day or part thereof		
		For the first 7 days.	8 th to 14 th day	From 15 th day onwards
1.	Log, Timber, Veneer	6.48	12.96	19.44
S.7.4	No demurrage shall be levied on export/stock cargo, except Hazardous-I category, if such cargo is shipped within 15 days from the date of receipt. However, from the 16 th day, demurrage on such cargo shall be levied @ ` 43.20 per tonne per week or part thereof from the date of receipt till the date of shipment.			
S.7.5	Export cargo of Hazardous-I category shall be received only for direct shipment. In case such cargo is not shipped on the date of receipt, demurrage shall be levied at rate of ` 183.60 per tonne per day or part thereof from the day following the date of receipt upto the date of shipment or removal from port premises.			
S.7.6	Demurrage shall be levied on shutout cargo/stock, other than Hazardous- I cargo, at rate of ` 10.80 per tonne per day or part thereof, from the date of receipt of cargo, upto the date of removal of cargo from the port premises without being shipped. If case shutout cargo is shipped by any subsequent vessel provision of S.7.4 shall apply.			
S.7.7	On cargo / commodity which is received neither as import nor as export nor as stock for shipment, demurrage shall be levied at rate of ` 43.20 per tonne per day or part thereof from the date of receipt upto the date of removal of the cargo from the port premises.			
S.7.8	On uncleared / Customs confiscated cargo, sold by auction or tender or private agreement or in any other manner, demurrage shall be levied at the rates specified at S.7.2 or S.7.3, as the case may be, after allowing free time of 10 days after the date the cargo is made available for delivery.			
S.7.9	The demurrage on cargo shall not accrue for the period during which the KoPT is not in a position to deliver cargo for reasons attributable to the port when requested by the user.			

S.8	<u>Transportation:</u>	
S.8.1	The following charges shall be levied on cargo, for which KOPT undertakes any transportation (excluding loading and/or unloading) not covered under 'Shore Handling Charge' at S.2 (xix).	
Sl.No.	Description	Rate in ` per tonne or part thereof
1.	Within one dock of KDS; Within Dock Interior Zone of HDC:	40.82
2.	From one dock enclosure to another dock enclosure of KDS ;	58.32

S.9	<u>Loading /Unloading/Re-stacking charge</u>	
S.9.1	The following charges shall be levied on cargo, for which KoPT shall undertake any loading / unloading / re-stacking not covered under 'Shore Handling Charge' at S.2 (xix)	
Sl.No.	Description	Rate in ` per tonne or part thereof.
1.	Article/package weighing less than 1 tonne	23.33
2.	Article / package weighing 1 tonne. & above but less than 10 tonne	46.66
3.	Article/package weighing 10 tonne & above but less than 20 tonne	58.32
4.	Article/package weighing 20 tonne & above but less than 40 tonne	116.64
5.	Article/package weighing 40 tonne & above	291.60

S.10	<u>Rebate:</u>		
S.10.1	At HDC, rebate on wharfage shall be allowed in the following cases:-		
	(a)	If any consignee/ consignor handles Crude Oil more than 6.50 million tonnes per financial year, on-board and wharfage charges shall be levied @ ` 91.80 per tonne on first 6.50 million tones and ` 81/- per tonne on quantity beyond 6.50 million tonnes.	
	(b)	If a Vessel discharges more than 25000 tonnes of coking coal/ limestone/ fertilizer/ raw material for fertilizer in a single call at HDC, a rebate of 10% shall be allowed on Wharfage charge on quantity exceeding 25000 tonnes.	
	(c)	If a Vessel loads more than 25000 tonnes of Thermal Coal in a single call at HDC, a rebate of 10% shall be allowed on Wharfage charges on quantity exceeding 25000 tonnes.	
S.10.2	At KDS Importer/ Exporter shall be granted a rebate on wharfage on the basis of each of the cargo handled by them through KDS as mentioned below, during a financial year.		
	Type of Cargo	Tonnage handled	Quantum of Rebate on applicable wharfage
(a).	Coking Coal, Sugar, Pulses, Wheat, Rice, Jute and Jute products, Iron & Steel, Log, Sulphur, Rock Phosphate, Finished Fertiliser, Vegetable Oil, C.I Goods, LPG	Upto 75000 tonnes 75001 to 100000 tonnes Above 100000 tonnes	NIL 10% 15%
(b).	Crude Oil, POL and its products	Upto 4000000 tonnes 4000001 to 7500000 tonnes Above 7500000 tonnes	NIL 10% 15%
Note: The above said rebate shall be granted in the form of refund of wharfage at the end of every financial year (i.e. 1 st April to 31 st March) on submission of documents by the Importers/ Exporters in support of the throughput achieved.			

P A R T – II

CHARGES ON CONTAINER AND CONTAINERISED CARGO

S.11	<u>Composite box rate for container</u>					
S.11.1	Composite box-rate for container (other than specified ICDs) covering wharfage and basic container handling services of ship to shore transfer, movement between berth and yard, lift off at yard and subsequent lift on for delivery or vice versa shall be levied at the following rates :					
	Sl. No.	Category	Rate in ` per TEU			
			KDS		HDC	
			Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
	1.	Load Container other than Over Dimensional Container	4898.88	2939.33	4307.90	2584.74
	2.	All Over Dimensional Load Container	6123.60	3674.16	5384.88	3230.93
	3.	Empty Container	1946.59	1167.95	2266.70	1360.02
S.11.2	Composite box-rate for all ICD container (except Cossipore ICD) covering wharfage and basic container handling services of ship to shore transfer, movement between berth and yard, lift off at yard and subsequent lift on for delivery or vice versa shall be levied at the following rates:					
	Sl. No.	Category	Rate in ` per TEU			
			KDS		HDC	
			Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
	1	Load Container other than Over Dimensional Container	3698.88	2219.33	3107.90	1864.74
	2	All Over Dimensional Load Container	4623.60	2774.16	3884.88	2330.93
S.11.3	Composite box-rate for IWT container, including Bangladesh moving through IWT mode, covering wharfage and basic container handling services of ship to shore transfer, movement between berth and yard, lift off at yard and subsequent lift on for delivery or vice versa shall be levied at the following rates:					
	Sl. No.	Category	Rate in Rupees per TEU			
	1.	Load Container other than Over Dimensional Container	2237.54			
	2.	All Over Dimensional Load Container	2796.94			
	3.	Empty Container	1537.70			

S.12	<u>Rebate:</u>					
S.12.1	In case any of the basic container handling services covered under the Composite box-rate is not provided by the port, rebate(s) at the following rates shall be allowed on the composite box-rate of Foreign Containers for use of ship's crane/party hired crane for ship to shore transfer, use of party hired trailer for movement between berth and yard, lift-off at yard and use of party hired equipment for lift- on at yard for delivery or vice versa.					
	Type of Service		Rate of rebate in ` per TEU			
			KDS		HDC	
			Loaded	Empty	Loaded	Empty
	(a)	For ship to shore transfer by ship's crane/party hired crane	816.48	311.46	717.98	362.68
	(b)	For movement between berth and yard by trailer hired by the party.	125.20	89.54	110.06	104.27
	(c)	For lift off / lift on at yard during the process of landing/shipment by equipment hired by the party.	190.51	97.33	167.53	113.34
	(d)	For lift on/ lift off at yard during delivery/receiving by equipment hired by the party.	217.73	116.80	191.46	136.01

Note for sections S.11 & S.12	
(i)	In case of Import container containing cargo consigned to Nepal and Bhutan, a 10% rebate shall be allowed on the Composite box-rate for container specified at S.11.1 and S.11.2.
(ii)	If the shutout export loads container or container received without shipment paper is taken delivery instead of being shipped, rebate as provided under S.12.1 above for the services not rendered shall be allowed subject to a maximum of 60% in total of the Composite box-rates specified above. In addition, for any extra handling services, relevant charges as specified at S. 14.
(iii)	If the containerised export cargo is de-stuffed and taken delivery as break-bulk, 50% of Wharfage as specified at S.4 shall be levied. In addition, all other charges shall be levied on such container for the operations actually undertaken for such cargo and container.
(iv)	For anchorage discharge and subsequent landing of containers at Docks or vice versa, Composite box rate as specified at S.11.1 and S.11.2 shall be levied only once.
(v)	In case of Coastal Containers, the rates of rebate shall be 60% of the rates specified at S.12.1 above applicable for Foreign Containers.
(vi)	In case of IWT Containers, the rates of rebate shall be 45 % of the rates specified at S.12.1 above applicable for Foreign Containers.
(vii)	a) Composite Box rate shall be levied separately by each dock system for container operation within their system, unless otherwise specified in this Scale of Rates. b) In case of overside discharge /shipment of Container from/to vessel, composite box rate as per S.11.1 shall be levied after allowing rebates under S.12.1 against services not rendered.

S.13	<u>Charges for Transhipment container</u>					
S.13.1	In case of Normal Transhipment container, consolidated charge at the following rates shall be levied:					
	Sl. No.	Particulars	KDS		HDC	
			Loaded (` per TEU)	Empty (` per TEU)	Loaded (` per TEU)	Empty (` per TEU)
	1.	Transhipment rates if both legs are foreign	7059.64	2630.23	6173.17	3111.37
	2.	Transhipment rates if both legs are coastal	4311.38	1578.14	3703.91	1866.83
	3.	Transhipment rates if one leg is foreign and one leg is coastal	5647.70	2104.19	4938.54	2489.10
Note:	(i)	The above rates include wharfage, ship to shore transfer, transportation from quay to container yard including lift-off at the yard and subsequent transportation from container yard to quay including lift on at yard and shore to ship transfer.				
	(ii)	In case any of the services is not rendered by port, 75% of the rate of rebates specified at S.12.1 shall be allowed.				
	(iii)	In case of Over Dimensional transhipment Container, the rate will be 1.25 times the rate for normal transhipment container.				

S.14	<u>Charges for Miscellaneous Services rendered to container/container vessel.</u>
S.14.1	For the services not covered under S.11, S.12 & S.13 miscellaneous charges on loaded/ empty container shall be levied at the following rates:-

Sl. No.	Services	Rate in ` per TEU
1.	a). Shifting of containers on board via quay head	816.48
	b). Shifting of containers on board without via quay head where port labour is deployed.	419.90
	Note: i) For use of port equipment additional charge as specified at Sl. No. 5 and 8, as the case may be, shall be levied. ii) In these cases the composite box rate would not be levied separately.	
2.	Transportation / shifting of container by port trailer for operation not included in any charge under S.11 and S.13	
	a) Within same Berth / Yard	349.92
	b) Between two berths / Yards	466.56
3.	Supply of power to Reefer Container	174.96 per 4 hrs or part thereof
4.	Lift on/Lift off to/from trailer/wagon or restacking(not involving transportation by trailer) by port equipment not included in the services mentioned at S.11 and S.13 or any other services under S.14.	419.90
5.	Use of Port equipment (other than Mobile Harbour Crane/Rail Mounted Gantry Crane/ 200 tonne Cantilever Crane) for ship/ barge to shore discharge or vice versa or for any other on board operation, other than services covered under S.11.1, S.11.2, S.11.3 and S.13.1.	559.87
6.	Stuffing / De-stuffing:	
	(i) Where operation inside & outside container is done by port:-	
	(a) Where CDLB gang is required to be booked.	3499.20
	(b) Where CDLB gang is not required to be booked and operation inside and outside is done by Port labour.	349.92
	(ii) Where operation inside container is done by agencies other than by port: -	
	(a) Operations outside container are carried out by port.	1166.40
(b) Operations outside the container are done by agencies other than Port	145.80	
(iii). Where only operation inside the container is done by port (in part or full) and no CDLB gang is used	174.96	
7.	For services provided to Container loaded with Hazardous -I cargo including deployment of fireman in addition to other charges.	1166.40
8.	Use of Rail Mounted Quay Crane (RMQC)/ Mobile Harbour Crane (MHC) for any other operation other than the services covered under S.11 and S.13.	972.00
9.	Use of Mobile Harbour Crane (MHC) / Rail Mounted Quay Crane (RMQC)/ any other port equipments (other than 200 tonne cantilever crane) for opening of Hatch Cover and replacing it.	2592.00

Sl. No.	Services	Rate in ` per TEU
10.	Gate delivery / receiving charge on container on which Composite Box rate is not levied.	500.00
11.	On board Lashing/de-lashing of containers, fixing & unfixing of Twist Lock and ancillary documentations. Note: The said services are optional and would be rendered only at the request of the user.	120.00
12.	For export load containers entered after the cut off period or export load containers made ready after the cut off period for readiness	1000.00

Note for Sections 11, 12, 13 & 14

i)	Charges / Rebates for handling of containers above 20' and upto 40' in length shall be 1.5 times the rates specified at S.11, S.12, S.13 & S.14 . Charges / Rebates for handling of container above 40' shall be 2 times the rates specified at S.11, S.12, S.13 & S.14.
ii)	The rates specified under S.11.2 shall also be applied to containers carried by Railway from/ to destinations other than ICDs, which are landed/ shipped through KoPT.
iii)	If only one operation is carried out, half of the Hatch cover handling charge rates specified at S.14, Sl. No.9 shall be levied.

S.15 Demurrage on container and containerised cargo.

S.15.1	Demurrage on loaded import container other than those specified at S.15.2, S.15.3, S.15.5, S.15.6 and 15.8 shall be levied at the following rates: -		
	Period	US \$ per TEU per day or part thereof	Coastal rates in ` Per TEU per day or part thereof
	First 3 days after the day of landing	Free	Free
	From the 4th day to 9th day	2.70	120.47
	From the 10th day to 15th day	5.40	240.95
	From the 16th day to 20th day	8.10	361.42
	From the 21st day to 30th day	16.20	722.84
	From the 31st day onwards	32.40	1445.69

S.15.2	Demurrage on loaded import container containing relief commodities, except for Missionaries of Charity, Ramkrishna Mission and Bharat Sevashram Sangha, shall be levied at the following rates: -		
	Period	US \$ per TEU per day or part thereof	Coastal rates in ` Per TEU per day or part thereof
	First 3 days after the day of landing	Free	Free
	From the 4 th day to 9 th day	2.70	120.47
	From the 10 th day to 15 th day	5.40	240.95
	From the 16 th day to 20 th day	6.48	289.14
	From the 21 st day to 30 th day	8.10	361.42

	From the 31 st day onwards	10.80	481.90
Note: Relief commodities for the purpose of S.15.2 shall mean the cargo imported by voluntary /relief organization like CARE, CRS, WFP and others, as may be accepted by Kolkata Port Trust from time to time on the basis of certification by the appropriate Govt. Authority of Central Govt./State Govt. or Govt. of Nepal/Bhutan or their local Consulate General.			
S.15.3	Demurrage on loaded import container, containing relief commodities for Missionaries of Charity, Ramkrishna Mission and Bharat Sevashram Sangha, shall be levied at the following rates: -		
	Period	US \$ per TEU per day or part thereof	Coastal rates in ` Per TEU per day or part thereof
	First 30 days after the day of landing	Free	Free
	From the 31 st day onwards	10.80	481.90

S.15.4	Demurrage on loaded export / stock containers, excepting ICD containers (other than that from Cossipore and container loaded with Hazardous –I cargo) shall be levied at the following rates.		
	Period	US \$ per TEU per day or part thereof	Coastal rates in ` Per TEU per day or part thereof
	First 10 days from the day of receiving / stuffing	Free	Free
	From the 11 th to 15 th day	2.70	120.47
	From 16 th day onwards	3.78	168.66

S.15.5	Demurrage on loaded import/export ICD container, excepting that for Cossipore and those loaded with Hazardous –I cargo, shall be levied at the following rates:		
	Period	US \$ per TEU per day or part thereof	Coastal rates in ` Per TEU per day or part thereof
	First 20 days after the day of landing/ first 20 days from the day of receiving	Free	Free
	From the 21 st day to 30 th day	2.70	120.47
	From the 31 st day onwards	5.40	240.95

S.15.6	Demurrage on loaded import/ export/ transshipment container containing Hazardous-I cargo shall be levied at the following rates: -		
	Period	US \$ per TEU per day or part thereof	Coastal rates in ` Per TEU per day or part thereof
	First day of actual landing/receiving	Free	Free
	From the 2 nd day to 9 th day	3.38	150.59
	From the 10 th day to 15 th day	6.75	301.19
	From the 16 th day to 20 th day	10.12	451.78
	From 21 st day to 30 th day	20.24	903.55

	From the 31 st day onwards	40.50	1807.12
--	---------------------------------------	-------	---------

S.15.7	Demurrage on empty containers shall be levied at the following rates: -		
	Period	US \$ per TEU per day or part thereof	Coastal rates in Rs. Per TEU per day or part thereof
	First 3 days after the day of landing/ first 3 days from the day of receiving/ destuffing	Free	Free
	From the 4 th day to 9 th day	2.77	123.48
	From the 10 th day to 15 th day	5.54	246.97
	From the 16 th day to 20 th day	8.30	370.46
	From the 21 st day to 30 th day	11.07	493.94
	From the 31 st day onwards	16.61	740.92

S.15.8	Demurrage on loaded transshipment container, excepting those loaded with Hazardous –I cargo, shall be levied at the following rates.		
	Period	US \$ per TEU per day or part thereof	Coastal rates in Rs. Per TEU per day or part thereof
	First 20 days after the day of landing	Free	Free
	From the 21 st day to 30 th day	2.77	123.48
	From the 31 st day onwards	5.54	246.97

Note for Section 15:

1.	For the purpose of calculation of free period, Customs notified holidays and/or KoPT's non-working days shall be excluded. Sundays shall not be excluded for the purpose of calculation of free period unless Customs notified holidays and/or KoPT's non-working days fall on Sundays. After Demurrage begins to accrue, no allowance would be made for Customs notified holidays or KoPT's non-working days.
2.	a) On container above 20' and upto 40' in length, Demurrage shall be levied @ 2 times the rates specified at S.15 and on containers above 40' in length, Demurrage shall be levied @ 3 times the rates specified at S.15. b) In case of over-dimensional loaded container, Demurrage shall be levied @ 2 times the rate applicable for respective size & type of container.
3.	The day of landing of import load and empty container / transshipment container (except container loaded with Hazardous-I cargo) shall be the last landing date of the vessel by which the container is imported under a single call to a specific Dock System. For container with Hazardous-I cargo the date of landing for the purpose of Demurrage shall be the actual date of landing.

4.	Last Landing Date (LLD) is the date on which the vessel completes her import discharge at a specific Dock System. However, KOPT may declare any other date as such LLD for container already discharged from the vessel, when the vessel is not doing cargo operation work in the working berth for more than 24 hours for any fault/ reason not attributable to port. In such cases, a vessel may have more than one LLD.																		
5.	Free dwell-time (storage) period for import containers shall commence from the day after the day of landing of the containers and for export containers the free period shall commence from the time containers enter the terminal.																		
6.	In case of export load container, which has been stuffed inside the docks, the date of commencement of stuffing with export cargo shall be reckoned as the first day to ascertain rate as per S.15.4.																		
7.	In case, loading of import load container for the purpose of delivery cannot be done by KOPT within 24 hours from the time of entry of the truck/trailer, as indicated in the entry gate pass (EGP) at KDS /issuance of Loading Order at HDC or such other documents as may be decided by KOPT from time to time, 75% rebate on the Demurrage shall be allowed for the period during which such containers are not loaded beyond the said 24 hours. The aforesaid rebate shall be allowed provided the container is being loaded from the area where only port equipment is used exclusively. Such rebate shall not apply when importer applies for advance loading prior to submission of complete delivery documents.																		
8.	<p>The Demurrage on abandoned FCL container/Shipper Owned containers shall be levied upto the date of receipt of intimation of abandonment in writing or 75 days from the date of landing of the container whichever is earlier subject to the following conditions: -</p> <table border="1" data-bbox="288 1055 1469 1816"> <tr> <td data-bbox="288 1055 357 1115">(a)</td> <td data-bbox="357 1055 426 1115">(i)</td> <td data-bbox="426 1055 1469 1115">The consignee can issue a letter of abandonment at any time; OR</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="357 1115 426 1207">(ii)</td> <td data-bbox="426 1115 1469 1207">If the consignee chooses not to issue such letter of abandonment, the container Agent/MLO can also issue abandonment letter subject to the conditions that,</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="357 1207 426 1301">(a)</td> <td data-bbox="426 1207 1469 1301">the Line/MLO shall resume the custody of container along with cargo and either take back it or remove it from the port premises; and</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="357 1301 426 1384">(b)</td> <td data-bbox="426 1301 1469 1384">the Line/MLO shall pay all port charges accrued on the cargo and container before resuming custody of the container.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1384 357 1570">(b)</td> <td colspan="2" data-bbox="357 1384 1469 1570">The container agent/MLO shall observe the necessary formalities and bear the cost of transportation and de-stuffing. In case of their failure to take such action within the stipulated period, the storage charge on container shall be continued to be levied till such time all necessary actions are taken by the shipping lines/MLO for de-stuffing the cargo or removal of the load container from the port premises.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1570 357 1816">(c)</td> <td colspan="2" data-bbox="357 1570 1469 1816">Where the container is seized/confiscated by Customs Authorities and the same cannot be de-stuffed within the prescribed time limit of 75 days, the Demurrage will cease to apply from the day the Customs order release of the cargo, subject to the line's observing the necessary formalities & bearing the cost of transportation and destuffing. Otherwise, seized/confiscated containers should be removed by the Line / Consignee from the port premises to the Customs' bonded area and in that case the Demurrage shall cease to apply from the day of such removal.</td> </tr> </table>	(a)	(i)	The consignee can issue a letter of abandonment at any time; OR		(ii)	If the consignee chooses not to issue such letter of abandonment, the container Agent/MLO can also issue abandonment letter subject to the conditions that,		(a)	the Line/MLO shall resume the custody of container along with cargo and either take back it or remove it from the port premises; and		(b)	the Line/MLO shall pay all port charges accrued on the cargo and container before resuming custody of the container.	(b)	The container agent/MLO shall observe the necessary formalities and bear the cost of transportation and de-stuffing. In case of their failure to take such action within the stipulated period, the storage charge on container shall be continued to be levied till such time all necessary actions are taken by the shipping lines/MLO for de-stuffing the cargo or removal of the load container from the port premises.		(c)	Where the container is seized/confiscated by Customs Authorities and the same cannot be de-stuffed within the prescribed time limit of 75 days, the Demurrage will cease to apply from the day the Customs order release of the cargo, subject to the line's observing the necessary formalities & bearing the cost of transportation and destuffing. Otherwise, seized/confiscated containers should be removed by the Line / Consignee from the port premises to the Customs' bonded area and in that case the Demurrage shall cease to apply from the day of such removal.	
(a)	(i)	The consignee can issue a letter of abandonment at any time; OR																	
	(ii)	If the consignee chooses not to issue such letter of abandonment, the container Agent/MLO can also issue abandonment letter subject to the conditions that,																	
	(a)	the Line/MLO shall resume the custody of container along with cargo and either take back it or remove it from the port premises; and																	
	(b)	the Line/MLO shall pay all port charges accrued on the cargo and container before resuming custody of the container.																	
(b)	The container agent/MLO shall observe the necessary formalities and bear the cost of transportation and de-stuffing. In case of their failure to take such action within the stipulated period, the storage charge on container shall be continued to be levied till such time all necessary actions are taken by the shipping lines/MLO for de-stuffing the cargo or removal of the load container from the port premises.																		
(c)	Where the container is seized/confiscated by Customs Authorities and the same cannot be de-stuffed within the prescribed time limit of 75 days, the Demurrage will cease to apply from the day the Customs order release of the cargo, subject to the line's observing the necessary formalities & bearing the cost of transportation and destuffing. Otherwise, seized/confiscated containers should be removed by the Line / Consignee from the port premises to the Customs' bonded area and in that case the Demurrage shall cease to apply from the day of such removal.																		
9.	No Demurrage free period shall be allowed for export load container / stock container / empty container received at docks but subsequently taken back without being shipped. For such containers, the first slab rate applicable for the respective type of the container shall be applicable from the date of receipt of the container itself and the subsequent slab rates would be applicable as specified, thereafter, till the date of removal from port premises.																		

10.	No Demurrage free period shall be allowed for export load container received at docks if subsequently de-stuffed and the cargo is taken back from port premises. For such containers, the highest rate specified at S.15.4 shall apply from the date of receiving till the date of de-stuffing and on cargo the rate specified at S.7.6 shall be applied from the date following the date of de-stuffing till the date of delivery.
11.	If during the course of stayal of a Container inside Dock Premises any change in status of the Container from Load to Empty or vice versa is effected, the Demurrage free period for the said Container shall be calculated for each stage separately.
12	The cargo, on de-stuffing from container, will not enjoy any Demurrage free period excepting the day of de-stuffing and demurrage shall be levied on the cargo as per the rate provided under S.7.2 and S.7.3, as the case may be, from the day after the date of de-stuffing.
13.	No Demurrage shall accrue for the period during which the KOPT is not in a position to deliver containers for reasons attributable to it when requested by the user.
14.	In case of Demurrage for IWT container, Demurrage rate applicable for coastal container shall apply.

PART-III

MISCELLANEOUS CHARGES

S.16	<u>Miscellaneous charges</u>	
S.16.1	Charge at the following rates shall be levied for miscellaneous services: -	
Sl. No.	Description	Rate in `
1.	Issue of duplicate short landing certificate / Out -Turn Report or any certificate or amendment.	51.84 per certificate/ report/ amendment.
2.	a) Gazette & Advertisement cost of sale.	129.60 per publication.
	b) Cost of sale of berthing list/movement/ gate notice to the trade.	2.59 each. Monthly subscription ` 51.84 each. Yearly subscription ` 583.20 each.
3.	Supply of tally staff for tallying loading / unloading of wagon at siding.	259.20 per axle.
4.	Supply of staff for escorting lorry.	518.40 per shift per head.
5.	Deployment of extra labours (on requisition by port users).	388.80 per shift per labour
6	Use of Port's Road Weigh bridge	5.18 Per ton subject to a minimum of `25.92 for an empty vehicle and `51.84 for a loaded vehicle.
7.	Gate delivery / receiving charge on cargo on which Wharfage charge is not levied. Note: Gate delivery / receiving charge is leviable when the KoPT provides the service with reference to the cargo handled by it.	29.16 per ton

Sl. No.	Description		Rate in `
8.	Hire of Locomotive		3000.00 per hour or part thereof subject to a minimum of 12000.00
9.	Stabling charge on non-commissioned wagon or wagon owned by CFS operator / by party other than Indian Railway		14.40 per axle per day. For haulage of such wagon locomotive hire charge shall be levied as specified under Sl. No. 8.
10.	Infringement, Local Haulage, Terminal Charge and Wagon Hire/Demurrage charge.		Rate as notified by the Rly. Board from time to time shall be levied.
11.	Consolidated charge on rail borne cargo on wagons arriving in KDS Rly. System.		
	(a)	On wagon not carrying containers, loaded or un-loaded at berths / sheds inside the docks/ jetty.	14.40 per ton on the marked carrying capacity of the wagon
	(b)	On wagon not carrying containers, loaded or un-loaded at sidings or places outside the Docks.	42.00 per ton on the marked carrying capacity of the wagon.
	(c)	On wagon carrying containers loaded or unloaded at CONCOR CTKR Terminal on Coal Dock Road of KDS.	630/- per 20' container 945/- per 40' container
12.	Hiring charge for each of the following port Equipment (` per shift or part thereof):-		
	a)	Mobile / wrecking Crane	5832.00
	b)	Forklift	1944.00
	c)	Shore Crane (other than cranes specified below)	2332.80
	d)	Tractor	972.00
	e)	Trailer:	
		i) Upto 10 MT SWL	972.00
		ii) Above 10 MT SWL	1458.00
	f)	Pay loader:	
		i) Upto 1 Cu.m capacity	4860.00
		ii) Above 1 Cu.m capacity	9720.00
	g)	Hand Truck	48.60
	h)	Air Compressor	2430.00
	i)	Bull Dozer 10 MT and above	13608.00
	j)	Bull Dozer less than 10 MT	6804.00
	k)	Cantilever Crane	38880.00
	l)	Floating Crane (above 30 tonne capacity)	58320.00
	m)	Toplift Truck / Reach Stacker	25272.00
	n)	Spreader (20 Ft.)	2916.00
	o)	Use of fire fighting apparatus and equipment excluding use of fire floats.	3888.00 per apparatus per hour plus consumables at cost.
	p)	Excavators	1813.00 per hour or part thereof

Sl. No.	Description	Rate in `	Sl. No.										
13.		<p>Use of Mobile Harbour Crane (MHC) with grabs and pay loaders on board the vessel, for loading / unloading of dry bulk cargo at any MHC Berth.</p> <p><u>Note:</u></p> <p>(a) The prescribed rate is a base rate for achieving Minimum Level of Productivity (MLP) of 20000 MT per day by using two MHC.</p> <p>(b). If productivity more than the MLP is achieved, then the user will pay an additional 10% of the base rate only on the additional cargo handled over and above the MLP. The additional cargo on which additional levy of 10% will be levied be computed as follows:</p> <p>Total cargo loaded/ unloaded – [(MLP x Vessel Operation Time/24]</p> <p>(c). If a productivity less than the MLP is achieved, then the following rates will be levied:</p> <table border="1" data-bbox="507 1133 1043 1476"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 1133 874 1227">Ship berth day output actually achieved per vessel basis</th> <th data-bbox="874 1133 1043 1227">Amount payable as percentage of base rate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1227 874 1290">From 18000 tonnes to 19999</td> <td data-bbox="874 1227 1043 1290">90%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1290 874 1352">From 16000 tonnes to 17999</td> <td data-bbox="874 1290 1043 1352">80%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1352 874 1415">From 14000 tonnes to 15999</td> <td data-bbox="874 1352 1043 1415">60%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1415 874 1476">Less than 14000 tonnes</td> <td data-bbox="874 1415 1043 1476">40%</td> </tr> </tbody> </table> <p>d) In case of deployment of one MHC to a non-MHC berth due to exigency or requirement of the trade or use of one MHC (instead of two) in the MHC berth due to operational reason, like handling of barge/ smaller vessel, the prescribed minimum level of productivity (MLP) shall be 10000 MT per day. The applicable rate for achieving higher productivity would be as per note (b) above. If a productivity less than the MLP (of 10000 MT per day) is achieved, then the following rates will be levied:</p>	Ship berth day output actually achieved per vessel basis	Amount payable as percentage of base rate	From 18000 tonnes to 19999	90%	From 16000 tonnes to 17999	80%	From 14000 tonnes to 15999	60%	Less than 14000 tonnes	40%	<p>62.40 per MT for foreign cargo</p> <p>37.44 per MT for coastal cargo</p>
Ship berth day output actually achieved per vessel basis	Amount payable as percentage of base rate												
From 18000 tonnes to 19999	90%												
From 16000 tonnes to 17999	80%												
From 14000 tonnes to 15999	60%												
Less than 14000 tonnes	40%												

		Ship berth day output actually achieved per vessel basis	Amount payable as percentage of base rate	
		From 9000 tonnes to 9999	90%	
		From 8000 tonnes to 8999	80%	
		From 7000 tonnes to 7999	60%	
		Less than 7000 tonnes	40%	
		<p>e) In case of deployment of MHC/s for handling of any cargo, other than dry bulk cargo, the prescribed rate shall be applicable without any MLP.</p> <p>f) In case of Coastal cargo, other than Crude Oil, POL and POL Products, Thermal Coal, Iron Ore and Iron Ore Pellets, charges at the rate of 60% of the rates specified shall be levied.</p>		
14.	Heaping/ high heaping of Dry Bulk Cargo at storage area / Hook Point at HDC		12.00 per MT	
15.	a)	Despatch related services for rail borne cargo handled /to be handled through MHC Berths of HDC, including cleaning, trimming, labelling, lime spraying and weighments. Note: If due to any reason, the service of weighment cannot be provided by the port, the prescribed rate for weighment charge available at Sl. no. 6 of S.16.1 in the Scale of Rates of KoPT may be considered as a discount.	10.80 per MT	
	b)	Despatch related services for road bound cargo, handled / to be handled through MHC Berths of HDC including weighments	7.20 per MT	
16.	Cleaning charge for handling of Coking coal, all types Coke, Lime stone, Sulphur, Rock phosphate, Cement and Pulses.		1.30 per MT	
<p>Note:</p> <p>i) In case of wagon carrying containers loaded or unloaded at CONCOR CTKR Terminal on Coal Dock Road at KDS, except the Consolidated charges specified at 11(c), no other charges shall be levied for the rail related services provided by KoPT.</p> <p>ii) In case of stabling of wagons of CFS operators on port railway track, no stabling charge shall be levied for the first three days of continuous stabling.</p> <p>iii) The rate specified under sr. no- 14 shall be levied on the total quantity landed/ shipped by a vessel, when such services are provided by KoPT.</p> <p>iv) The rate specified under sr. no-16 shall be levied on the total quantity landed/ shipped by a vessel.</p>				

S.16.2	For haulage of wagon to any Railway weighbridge for weighment/ re-weighment, locomotive hire charge, as specified under Sl.No.8 of S.16.1, shall be levied. This is in addition to re-weighment charge as fixed by the Railway Board from time to time.
S.16.3	In case a wagon after arriving at Kolkata dock Railway system is re-booked without unloading, Consolidated charge, as specified under SI No. 11 of S.16.1, shall be levied only once.
S.16.4	On wagon carrying export cargo unloaded at places other than berth/ shed inside the Dock /Jetty and if shipped subsequently through KDS, Consolidated charges as specified at 11(a) shall be levied, provided the exporter/his agent submit documents in support of such shipment which is acceptable to KoPT.
S.16.5	For vessel engaged in Coastal trade between Andaman and KOPT, a rebate of 40% shall be allowed on the Shore crane hire charge specified at S.16.1, Sl. 12(c).
S.16.6	Where Surveyor/Valuer is appointed by KOPT for valuation of any cargo for the purpose of sale, the cost of such valuation shall be recovered from the Importer or his Clearing Agent if the cargo is taken delivery by them and from the Container Agent/MLO, in case the cargo within the container is removed from docks prior to sale.

S.17	Permit & Licenses:	
S.17.1	Charges shall be levied at the following rates for issue /renewal of permits/license for entering into or operating at Docks, Jetties, Wharves and Ghats, where applicable:	
Sl. No.	Description	Rate in `
1.	Dock Permit per person	6.48 per daily permit (maximum 12 hrs. validity). 174.96 per monthly permit 486.00 per quarterly permit 2799.36 per biennial permit
2.	Dock Permit per vehicle and circular permit for vehicle carrying ship's gear and stores (inclusive of overnight stayal).	32.40 per daily permit 2592.00 per annual permit
3.	Dock Permit for mobile crane/ Reach Stacker/ Toplifter (inclusive of overnight stayal)/ Dumper / Payloader	129.60 per daily permit 11664.00 per annual permit
4.	Dock Permit for Fork-lift / Trailer or any other handling equipment (inclusive of overnight stayal)	77.76 per daily permit 6998.40 per annual permit
5.	Dock Permit for cart (inclusive of overnight stayal).	12.96 per daily permit 1425.60 per annual permit
6.	Permit for Hawkers / Vendors.	972.00 per annual permit
7.	Ship personnel permit book (consisting of 50 permits).	648.00 per book
8.	Clearing & Forwarding Agency License	259.20 per licence for 1 month 2799.36.00 per licence for 1 year 6998.40 per licence for 3 years 9331.20 per licence for 5 Years
9.	Jetty Sircar's / Cooper License (inclusive of Dock entry).	155.52 per licence for 1 month 1399.68 per licence for 1 year 3369.60 per licence for 3 years 4665.60 per licence for 5 years

10.	Ship Repairing/Ship Chandling/Ship Survey/ General on Board services (GOS)/Ship Breaking License.	2851.20 per licence per year.
11.	Stevedoring License / Handling Agents Licence.	12960.00 per licence for 2 years.
12.	Licence for occupation of Panda seats at KDS.	38.88 per monthly licence.
13.	Licence for occupation of 1 Sq.mtr. of space or for temporary construction at any place in the Inland Vessel Wharves at KDS.	7.78 per day. 349.92 per quarter.
14.	Licence for occupation of 1 Sq.mtrs. of space or for temporary construction at any place in the Inland Vessel Wharves at HDC.	6.48 per day. 194.40 per quarter.
15.	Permit for using Truck Terminal at HDC/ KDS per truck/ lorry/trailer.	19.44 per day

S.17.2	In case of damage/loss, charge for issue of duplicate /triplicate permit/ licence shall be levied at 50% of the rate applicable for the original. For permit issued free of cost such charge shall be 25% of the rate provided for similar permit/licence at section 17.1
S.17.3	For any amendment in permit/licence, amendment charge as mentioned at Section 16.1, Sl. No. 1 shall be levied.
S.17.4	In case of licenses issued under Sl. No. 9 & 10 of Section 17.1, the application for renewal shall be submitted at least one month before the date of expiry of the licence. Application received after the period specified above, shall be liable to an additional fee of 25% of the original.

P A R T – I V

CHARGES RELATED TO SHIP BREAKING

S.18	<u>Ship Breaking Charges</u>	
S.18.1	For Ship breaking activities in KOPT, Ship breaking charges @ ` 165.60 per LDT shall be levied.	
Notes:		
1.	LDT for the purpose of levy of charges under any clause of this Part of the Scale of Rates shall mean the LDT of the vessel declared at the time of obtaining ship-breaking permission from KOPT.	
2.	The rates includes charges for occupation of ship breaking berth along with adjacent land area (including beaching area) of 3250 Sq.m. for the specified period as mentioned below:	
i)	For Vessel upto 2000 LDT	35 days
ii)	For Vessel of 2001 LDT to 3000 LDT	40 days
iii)	For Vessel of 3001 LDT to 5000 LDT	50 days
iv)	For Vessel of 5001 LDT to 8000 LDT	60 days
v)	For Vessel of 8001 LDT and above	70 days
3.	The number of days mentioned at Note-2 shall commence from the day following the day on which KOPT grants specific permission for ship breaking of the vessel for which application has been made or the day, on which the vessel is placed at the nominated ship breaking berth, whichever is later.	

S.18.2	If any ship-breaking berth is under the occupation of a ship breaker and he brings in any ship before completion of ship breaking of the earlier vessel, then that ship breaker shall have the priority over the others in respect of allocation of that particular berth for the vessel he so brings in. The number days in such cases shall be calculated in the same manner as has been stated in the S.18.1, Note-3.	
S.18.3	The charges for additional land area, other than the quantum of area specified at S.18.1, Note-2 shall be levied extra as per relevant land schedule.	
S.18.4	In cases, no additional land area at Off 29 KPD berth is available; the period specified at S.18.1, Note-2 shall be increased by 10 days.	
S.18.5	Separate charges shall be levied for supply of port equipment, supply of electricity by port, deployment of port fire service and port fire personnel.	
S.18.6	If breaking of a vessel is extended beyond the period specified at S.18.1 or S.18.4, as the case may be, charges at the following rates shall be levied extra for the period of extension.	
		Rate in Rupees per LDT per day
i)	For vessel upto 2000 LDT	11.00
ii)	For vessel of 2001 LDT to 3000 LDT	10.00
iii)	For vessel of 3001 LDT to 5000 LDT	8.00
iv)	For vessel of 5001 LDT to 8000 LDT	7.00
v)	For vessel of 8001 LDT and above	6.00

S.18.7	For completion of ship-breaking before the period specified in S.18.1 and S.18.4 above, a rebate @ 0.5% of the rate specified at S.18.1 above shall be allowed for each day of saving subject to maximum of 10% of the rates.	
S.18.8	Vessel arriving at Kolkata Port for the purpose of dismantling only is exempted from the payment of Port Dues and Towage & Pilotage charge.	
S.18.9	For the period vessel is awaiting breaking, the Berth Hire and Mooring Hire, as the case may be, shall be levied at the following rates:-	
i)	For the first 5 days -	15% of the rates specified at S.21.1 or S.22.1
ii)	For the next 10 days -	10% of the rates specified at S.21.1 or S.22.1
iii)	Thereafter -	5% of the rates specified at S.21.1 or S.22.1

Note:	Vessel awaiting breaking shall mean and include the period a vessel is awaiting breaking after discharge of cargo/dis-embarkation of passenger and in case of a vessel which arrives in ballast for breaking, the period of waiting in the river mooring, dock mooring or in any berth including ship breaking berth till the day on which KOPT grant specific permission for ship breaking of the vessel or the day on which the vessel is placed at the nominated ship breaking berth, whichever is later.	
--------------	--	--

S.18.10	The Ship Breaking charges calculated on the LDT declared at the time of obtaining permission shall be paid in advance before commencement of the ship breaking. Additional charges, if any shall be paid immediately on raising of the bills.	
S.18.11	Taxes, Duties, etc. as may be levied by the State or Central Govt. or any legal/Statutory Authority from time to time, shall be have to be paid extra.	
S.18.12	Ship Breakers shall be granted a rebate at the following rates on the rate specified at S.18.1 for undertaking ship breaking at KOPT-	
	Upto 10000 LDT per annum	Nil
	10001 to 25000 LDT per annum	5%
	25001 to 40000 LDT per annum	10%
	Above 40000 LDT per annum	15%

P A R T – V

CHARGES FOR DRY DOCKS

S.19	Dry Dock Charges					
S.19.1	Charges for Docking & Undocking					
Size of vessel	1 & 2 N.S. Dry Dock		1 & 2 K. P. Dry Dock		3 K.P. Dry Dock	
	Foreign going vessel	Coastal Vessel	Foreign going vessel	Coastal Vessel	Foreign going vessel	Coastal Vessel
	US \$	`	US \$	`	US \$	`
Upto 1000 GRT	3600	96380.00	3600	96380.00	3600	96380.00
Above 1000 GRT	3600 + 840 for every additional 1000 GRT or part thereof	96380.00 + 18000 for every additional 1000 GRT or part thereof	3600 + 840 for every additional 1000 GRT or part thereof	96380.00 + 18000 for every additional 1000 GRT or part thereof	3600 + 840 for every additional 1000 GRT or part thereof	96380.00 + 18000 for every additional 1000 GRT or part thereof

S.19.2	<u>Dry Dock Hire Charges</u>					
i)	During first 10 days of occupancy of vessel (per day or part thereof): -					
Size Of vessel	1 & 2 N.S. Dry Dock		1 & 2 K. P. Dry Dock		3 K.P. Dry Dock	
	Foreign going vessel	Coastal Vessel	Foreign going vessel	Coastal Vessel	Foreign going vessel	Coastal Vessel
	US \$	`	US \$	`	US \$	`
Upto 1000 GRT	1200	26400	1080	25200	1080	24000
1001 to 2000 GRT	1320	28800	1200	27600	1080	25800
2001 to 3000 GRT	1440	31200	1320	30000	1080	26400
3001 to 4000 GRT	1560	36000	1440	33600	1080	27000
4001 to 5000 GRT	1680	40800	1560	37200	1080	27600

Size Of vessel	1 & 2 N.S. Dry Dock		1 & 2 K. P. Dry Dock		3 K.P. Dry Dock	
	Foreign going vessel	Coastal Vessel	Foreign going vessel	Coastal Vessel	Foreign going vessel	Coastal Vessel
	US \$	`	US \$	`	US \$	`
5001 to 10000 GRT	1920	45600	1680	42000	1080	28800
10001 & above	2160	50400	1800	46800	1080	30000
ii)	From 11 th to 30 th day of occupation: 150% of rates as stated in S.19.2 (i) for per day or part thereof.					
iii)	Beyond 30 th days of occupation: 200% of rates as stated in S.19.2 (i) for per day or part thereof.					
iv)	In case the vessel occupies the dry dock beyond the period for which the dry dock has been allotted, the rental charges for the period of over-stayal shall be levied at double the rate prescribed.					

v)	If the vessel has requisitioned for a dry dock but it is not ready to dock at the time specified according to the docking programme, no charges shall be leviable provided an intimation of cancellation/ postponement of dry docking is given (excluding the day of docking) 2 days in advance of the specified time of docking. A cancellation fee of US dollar 25 / Rs. 1000.00 will be recovered in such cases in case of Foreign /Coastal respectively. However, if no such intimation is given 5% additional charge shall be recovered calculated on the rates applicable during the first 10 days of occupation for the period the vessel did not actually occupy the dry dock.
S.19.3	In case of vessel requiring laying of Special Keel Block due to their configuration, extra rental charges at the rates prescribed under S.19.2 (i) above will be recovered for the period required for laying and removal of such special keel blocks. The rental charges for occupation of dry docks as above will be recoverable as per the period groups applicable.
Note:	For laying of Special Keel Blocks by outside agency, the prescribed rate as specified at S.19.3 will not be applicable since the service is not provided by the Port. However, dry dock charges as specified at S.19.2 will be applicable during the work of laying Special Keel Blocks by outside agency.
S.19.4	Charges for each operation of re-docking or part of such activity are to be paid as per Docking & Undocking rates prescribed in S.19.1.

S.19.5	Charges for removal or repositioning of each block:	
	For Foreign going Vessel	120.75 US Dollar
	For Coastal Vessel	₹ 3220/-

S.19.6	The period of vessel's occupation of a dry dock counts from the time the Caisson is placed in position after she enters the dry dock, upto the time she vacates the dry dock.		
S.19.7	In case a vessel is detained in No.2 N.S.Dry Dock owing to No.1 N.S.Dry Dock being occupied by another vessel, appropriate mooring hire charges as per S.22.1, SI.No.1 shall be levied instead of usual dry dock hire charges for the period the vessel is so detained.		
S.19.8	When more than one vessel are using the same dry dock as a common operation facility a rebate of 25% of the rate specified under S.19.2 above shall be allowed for each vessel. This rebate shall also be applicable when a dry dock is shared with a KOPT vessel.		
S.19.9	Services of dry dock crane may be made available for repair and other work at the following rates:		
Sl. No.	Equipment Type	Foreign going vessel Rate in US \$ per 8 hours shift or part thereof	Other than Foreign going vessel Rate in ₹ per 8 hours shift or part thereof
1.	25 Tonne Crane	241.50	4830.00
2.	7 Tonne Crane	96.60	2585.66
3.	Upto 6 Tonne Crane	48.30	1292.83
Note:	Crane facility is strictly as per availability and shall have no bearing on dry dock occupancy or hire charges.		
S.19.10	Vessel shall pay for the electricity supplied to it by the KOPT at actual.		

S.20	Concession in Vessel related charges under Part VI of Scale of Rates
S.20.1	Vessel arriving only for Dry Docking shall pay Port Dues, Towage & Pilotage and Berth Hire / Mooring Hire at 25 % of the applicable rates as specified at Part VI of the Scale of Rates. However, for such vessel upto 1000 GRT, no Berth Hire/ Mooring Hire shall be levied for the first 20 days from the date of arrival at the berth, dock buoys, river mooring and river anchorages. Similarly no Pilotage shall be levied if the vessel upto 1000 GRT enters or leaves the port without requiring the services of river pilots in terms of the exemption granted under the provision of Section 31 of the Indian Ports Act, 1908.
S.20.2	Vessel availing of Dry Dock facilities after cargo discharge/passenger disembarkation shall pay Berth Hire/ Mooring Hire at 25% of the applicable rates as specified at Part VI of the Scale of Rates from the shift following the shift when the vessel is ready for Dry Docking.
S.20.3	Shifting charge, if applicable for shifting of vessel shall be levied at 25% of the applicable rates as specified at Part VI of the Scale of Rates.

P A R T – V I

VESSEL RELATED CHARGES FOR VESSEL ENGAGED IN FOREIGN TRADE & VESSEL ENGAGED IN COASTAL TRADE

S.21	<u>Berth Hire</u>	
S.21.1	Berth hire on vessel at Dock berth/ River side jetty shall be levied at the following rates:	
Sl.No.	Description of vessel	Rate per hour per GRT
1.	Vessel engaged in Foreign trade and except as specified at Sl. No. 4 (in US Currency)	0.345 Cents subject to a minimum of \$ 8.28 per hour
2.	Vessel engaged in Coastal trade other than those plying between Andaman and KOPT and except as specified at Sl. No. 4 (in Indian Currency)	` 0.0524 subject to a minimum of ` 124.20/- per hour
3..	Vessel engaged in Coastal trade between Andaman and KOPT (in Indian Currency)	` 0.0372 subject to a minimum of ` 37.26/- per hour
4.	In case of Exhibition Vessel 50% of the rates specified at Sl. No. 1 & 2 above, as the case may be, shall be levied	
Note:		
i)	If any vessel does not work against its booking for work on Holiday due to reasons not attributable to port, the Berth Hire for the shifts in which it does not work against such booking shall be levied at twice the rates specified at S.21.1.	
ii)	Whenever, a vessel is double/ triple banked with another Sea-going vessel occupying a berth, the vessel so double / triple banked will be charged at the rate of 50% of the Berth Hire charges specified above provided the vessel is in non-working condition.	
iii)	For fishing trawler occupying barge jetty/anchorage jetty at HDC or any other riverside jetty or landing stage or moorings Rs.17.25 per hour shall be levied.	
iv)	In case a vessel idles due to non-availability or breakdown of the port equipment or power failure at KOPT or any other reasons attributable to the KOPT, rebate equivalent to berth hire charges accrued during the period of idling of vessel shall be allowed.	

S.21.2	Priority / Ousting priority charges.
	Charges for according 'Priority/Ousting Priority' berthing for vessels shall be levied at the following rates in addition to berth hire charges as per S.21.1 of the Scale of Rates.
Priority Berthing:	A charge equivalent to 75% of berth hire charges calculated for the total period of actual stayal at the berth subject to a minimum of one day's berth hire charge.

Ousting priority berthing:	A charge equivalent to 100% of berth hire charges calculated for the total period of actual stayal at the working berth and shifting charges at the rates under S.24.11 for 'Shifting In' and 'Shifting Out' of the vessels ousted.
Note	The above charges (Priority/ Ousting Priority) shall not be leviable for the following categories: -
i)	Vessels carrying defence cargo, hired directly by Defence Authority (Defence Authority certifies to that extent).
ii)	Defence vessels coming on goodwill visits.
iii)	Vessels hired for the purpose of Antarctica expedition by Department of Ocean Development.
iv)	Any other vessel for which the Ministry of Shipping has granted special exemption.
v)	The fee for according 'Priority/Ousting Priority' is not leviable on the vessels, which carry a specified cargo and are berthed at the berth reserved for handling that type of cargo as per general policy. However, whenever 'Priority'/'Ousting Priority' is accorded to any vessel within the category of specified cargo or otherwise, the port shall collect the fee for according 'Priority'/'Ousting Priority' as the case may be. The fee for according 'Priority/Ousting Priority' is leviable if an exclusive facility has been given on any berth to particular user. The fee shall also be leviable if any other vessel is berthed by according 'Priority/Ousting Priority' at a berth where exclusive facility has been given to a particular user.
vi)	The fee for according 'priority'/'oustiting priority' is not leviable on the vessels where though the necessary directions have been issued for according 'Priority/Ousting Priority', but on arrival such vessels are berthed in normal course on their turn.
vii)	The fee for according 'Priority'/'Ousting Priority' is not leviable on the vessels which are berthed at the berth leased on long term basis with the approval of the Government and are on account of lessee. However, the fee shall be leviable if any vessel on account of any other user is berthed at the leased berth by according 'Priority/Ousting Priority'.

S.22	MOORING/ANCHORAGE CHARGE		
S.22.1	When vessel is moored/anchored at dock buoy/ river mooring or any other mooring/anchorage in KDS/HDC, charges at the following rates shall be levied: -		
Sl.No.	Description of vessel and place of occupancy.	Rate per GRT per hr. or part thereof for vessel engaged in foreign trade (in U.S currency)	Rate per GRT per hr. or part thereof for vessel engaged in coastal trade (in `)
1.	Vessel moored at any dock buoy.	0.166 cents	Rs 0.028
2.	Vessel moored at any river mooring/any other mooring	0.083 cents	Rs 0.0138
3.	Vessel anchored at any river anchorage or any other anchorage	0.048 cents	Rs 0.0069

S.23	Miscellaneous:		
S.23.1	Charges shall be levied at the following rates for miscellaneous services to vessels.		
Sl.No	SERVICES	Vessel engaged in foreign Trade (in US Dollars)	Vessel engaged in Coastal Trade (in `)
1.	Hire of launch for special job on requisition.	138 per hour.	4554.00 per hour.
2.	Hire of Fire Float	1380.00 per day	45540.00 per day.
3.	Hire of Skin Diver/Gas Mask Diver	13.80 per hour	455.40 per hour.
4.	Hire of Dress Diver	276.00 per hour	9188.00 per hour.
5.	Additional labour deployed for diving related work	4.14 per man hour	136.62 per man hour
6.	Supply of Fresh water:-		
	a) Through pipeline	7.73 per 1000 litres	255.09 per 1000 litres
	b) Through water barge	9.66 per 1000 litres.	318.78 per 1000 litres.
7.	Supply of electricity	0.359 per unit plus installation charge of \$43.12	11.85 per unit plus installation charge of `500.00
8.	Additional charges on vessel carrying passengers.	200 per complete voyage or 100.00 for each leg.	6900.00 per complete voyage or 3450.00 for each leg.
9.	Service for providing pneumatic fenders (including to and fro transportation of fenders at Dock / Oil Jetties/ Barge Jetties/ IWAI Jetty/ Any other Jetty or Anchorage point upto Haldia Anchorage) Note: In case the fenders are required to be deployed in any place other than areas specified above, to and fro transportation of the fenders to the place of use and back shall be levied extra. Further, in such case, appropriate guarantee for security of the fenders may be required to be furnished to KoPT.	100 per fender per day	3300.00 per fender per day
S.23.2	Charges for cancellation of any requisition under S.23.1 (1 to 5) shall be levied at the rate of 10% of the charge applicable for the particular service.		
S.23.3	Charges for treatment of ballast-water from P.O.L. tanker / other vessels handled at KOPT shall be levied at the following rates:		
	Vessel size	Vessel engaged in Foreign Trade (in US Dollar)	Vessel engaged in Coastal Trade (in Rupees)
	Vessel upto 5000 GRT	662.40 per vessel	21859.20 per vessel
	Vessel above 5000 GRT upto 20000 GRT.	1242.00 per vessel.	40986.00 per vessel
	Vessel above 20000 GRT	6210.00 per vessel	204930.00 per vessel

S.23.4	Charges for cancellation of any requisition under S.23.3 shall be levied at the rate of 20% of the charge applicable for the particular service.
--------	--

S.24		<u>Towage & Pilotage of Vessels</u>			
S.24.1	Charges for piloting a vessel from Sand heads to any point in Kolkata Dock System or Haldia Dock Complex either directly or via any other point during inward journey and back to Sandheads either direct or via any other point during outward journey shall be levied at the following rates: -				
	SI No.	Particulars	For GRT upto 30000	For GRT above 30000 and upto GRT 60000	For GRT above 60000
	1	Vessel engaged in Foreign Trade	74.003 cents subject to a minimum of 1610 US \$	22200.90 US \$ +59.202 cents per GRT on 30001 to 60000 GRT	39961.50 US \$ + 51.801 cents per GRT on GRT above 60000
	2	Vessel engaged in Coastal Trade	` 13.662 per GRT subject to minimum of ` 29900.00	` 409860.00 + ` 10.9296 per GRT on 30001 to 60000 GRT	` 737748.00+ ` 9.5634 per GRT on GRT above 60000
	3	Coastal vessel plying between Andaman and KoPT only	` 13.029 per GRT subject to a minimum of ` 13156.00	` 390733.00 + ` 10.419 per GRT on 30001 to 60000 GRT	` 703251.45+ ` 9.108 per GRT on GRT above 60000

S.24.2	Vessel availing of pilotage from Sandheads to Virtual Jetty or Saugor/ Diamond Harbour Anchorage or any other river anchorage below Diamond Harbour and back only but not requiring pilotage to any other point in Kolkata Dock System or Haldia Dock Complex shall be allowed a rebate of 25% in rate specified in S.24.1 above.
S.24.3	Vessel availing of pilotage from Sandheads to Haldia Anchorage and back only but not requiring pilotage to any other point in Kolkata Dock System or Haldia Dock Complex shall be allowed a rebate of 20% in pilotage rate specified in Section 24.1.
S.24.4	50% of the rates at S.24.1 shall apply to inward or outward journey.
S.24.5	Vessels which enters or leaves the port without requiring the services of River pilots in terms of dispensation granted by Director, Marine Dept. under the provision of Section 31 of the Indian Ports Act, 1908 shall be allowed a rebate of 30% of the above rates, including the minimum charge, for the inward or outward journey, as the case may be.
S.24.6	In case of LASH vessels the above rates are inclusive of charge for berthing and fleeting of barges.
S.24.7	For piloting a fishing trawler/ foreign barge/coastal barge including their towing tug/launch, if any, charges shall be levied @ 50% of the rates specified under S. 24.1 or S.24.4, as the case may be.

S.24.8	When a vessel calls both at Kolkata Dock System and Haldia Dock Complex in the same voyage, charge for inward journey shall be levied by the dock system where the vessel calls first and charge for outward journey shall be levied by the other dock system.
S.24.9	For movement of vessels between HDC and Budge Budge/ Saugor/ Diamond Harbour / Roychowk or any point of KDS, which is not forming a part of inward or outward journey as stated in S.24.1, Towage & Pilotage at the rate of 40% of the rates specified under S. 24.1 shall be levied for each movement by the dock system from where journey commences.
S.24.10	Where any vessel, after visiting either KDS or HDC, is required to go back to Sandheads before proceeding to other dock system for cargo / container work; the towage & pilotage shall be levied at the rate of 1.5 times of the rate specified under S.24.1 for the entire voyage. The aforesaid additional 50% towage & pilotage shall be levied by the dock system where the vessel visits finally via Sandheads.

24.11	<u>Shifting Charge</u>		
	For shifting of vessel, other than for port convenience, charges shall be levied at the following rates: -		
Sl. No.	Nature of Shifting	Rate per GRT for each shifting	
		Vessel engaged in Foreign Trade (in US \$)	Vessel engaged in Coastal Trade (in `)
a)	Within KDS or within HDC only	13.80 cents subject to a minimum of 138.00	3.45 subject to a minimum of ` 3450/-
b)	Between KDS and HDC	16.56 cents subject to a minimum of 165.60	4.14 subject to a minimum of Rs. ` 4140/-
Note:			
i)	In case of shifting of vessel from KDS to HDC or vice-versa, which forms a part of inward / outward journey as stated in S. 25.1, charges shall be levied as specified above and each dock system shall levy 50% of the charge.		
ii)	No charges shall be levied for shifting of vessel due to port convenience.		
<u>Port Convenience for the above purpose shall mean the following-</u>			
i)	Shifting(s) of a double-banked ship to facilitate sailing and/or shifting of the ship alongside the berth.		
ii)	Shifting(s) of ship from one working berth to another location to accommodate ship having ousting priority as the shifting charges are borne by the other ship. The same would also be considered for 'Port Convenience' if the incoming ship is exempted from paying priority charge unless the ship in question was not idling at berth without doing any cargo handling operation.		
iii)	Shifting of ship from one working berth to other location to accommodate ship having MOU priority, unless the shifted ship also qualifies for priority under the same MOU under which the other ship was accorded priority.		
iv)	Shifting of a ship coming with MOU priority and allotted a different berth other than the berth covered by MOU, due to occupation of the MOU berth by other vessel (excepting vessel getting priority under the same MOU), from the allotted berth to the MOU berth.		
v)	Shifting of ship from one working berth to other location to accommodate ship having cargo priority. Cargo Priority means priority for berthing vessels carrying the specified cargo to be handled at the specific berth.		

vi)	Shifting(s) of a ship to accommodate another vessel having priority at the adjacent berth and unless the vessel shifts, another vessel cannot be berthed at the adjacent berth due to length or other similar technical restriction.
vii)	Shifting(s) of a ship from one berth/location to another for undertaking dredging, repair & maintenance of berth or any other similar works of the port.
viii)	Shifting(s) of ship from one berth/location to another for rearranging working ships' position to accommodate other ship in between.
ix)	Shifting(s) of ship that cannot work due to inclement weather condition for placement of another workable ship in her place at Port's option.
x)	Shifting(s) of a ship from berth to waiting location after completion of cargo work if the sailing cannot be done due to non-availability of suitable tide or due to Port's inability to provide Pilot, provided that the agent as per stipulation does the booking of Pilot.
xi)	Shifting(s) of a waiting ship (including shiftings of ships called on neaping priority, but excluding vessels on distress as per request of the agent) to a working berth.
xii)	Shifting of a container ship at KDS from a MHC berth to a non-MHC berth due to breakdown of MHC.
xiii)	Shifting of a container ship from any of the allotted container berths (MHC or non-MHC – spanning from 1 NSD to 8 NSD) to any other non-container berth at NSD/KPD for handling empty containers in either leg (Import/Export)
xiv)	Shifting of a ship from one MHC berth to another MHC berth, due to breakdown of MHC.

S.24.12	If the booking of a pilot is cancelled by the Agent / Ship owner / Charterer less than 24 hours before the appointed time of hauling out from berth/buoy/river mooring/anchorage, a charge of 241.50 US dollars or ` 6302/- per cancellation shall be levied on vessels engaged in Foreign Trade and Coastal Trade respectively. No cancellation charge for pilot booking shall be levied if sailing is cancelled due to non-availability of pilots/ tugs or for lock gate being out of commission or for any reasons attributable to Port.
S.24.13	For piloting a vessel undergoing trials, a charge of Rs.11500/- shall be levied for trials above and upto Garden Reach and ` 28750/- per trial below Garden Reach.
S.24.14	For mother vessel doing lighterage operation at Sandheads an all-inclusive charge (including anchorage charge but except Port Dues as per Section 25) of 5.75 Cents per GRT in case of Foreign going vessel or ` 1.54 per GRT in case of coastal vessel shall be levied. For daughter vessel proceeding to other port with cargo discharged at Sandhead from mother vessel, the aforesaid rate shall also apply.
S.24.15	The rates under S.24.1, S.24.4, S.24.9 & S.24.13 are inclusive of services of tugs/launches and mooring/unmooring of vessels and turning if necessary except when services of additional tugs or launches is provided against specific requisition of the Shipowner/ Agent/ Charterer.

S.24.16	For use of the Kolkata Port Trust Tugs/ Despatch vessel/ Survey vessel/ Anti pollution vessel etc., on requisition by the Ship-owner/Agent/ Charterer , charges shall be levied at the following rates:-		
Sl. No.	Description	Vessel engaged in Foreign Trade rate (in US \$)	Vessel engaged in Coastal Trade (in `)
i)	Vessel not exceeding 1,000 IHP.	276.00 dollars per hour subject to a minimum of 828.00 dollars per operation.	7176.00 per hour subject to a minimum of 21528.00 per operation.
ii)	Vessel exceeding 1,000 IHP.	345.00 dollars per hour subject to a minimum of 1035.00 dollars per operation.	8970.00 per hour subject to a minimum of 26910.00 per operation.
Note:	The period shall be counted from the time the vessel leaves for the operation till it comes back or deployed for another work, whichever is earlier.		

S.24.17	An additional charge of 25% shall be levied when Kolkata Port Trust tug/vessel is deployed for salvage operation.
S.24.18	Ship owners/Agent of vessels shall be required to pay the actual Insurance premium plus 20% whenever Kolkata Port Trust tug/vessel is deployed on requisition for towage assistance/salvage operation. In such cases claims for damages shall not be made against the hirer in case of accident.

S.25	<u>Port Dues</u>	
S.25.1	Port dues shall be levied on Sea going vessels entering the Port of Kolkata at the following rates. The dues are payable on each entry of the same vessel into the port: -	
Sl. No	Description of vessel	Rate per GRT
i)	Vessel engaged in Foreign trade	41.40 Cents
ii)	Vessels engaged in Coastal trade other than those plying between Andaman and KOPT.	Rs 11.081
iii)	Vessel engaged in Coastal trade between Andaman and KOPT	Rs 6.403
iv)	Vessel entering in ballast and not carrying Passengers.	75% of the respective rates specified at Sl. No. (i), (ii) & (iii) above.
v)	Vessel entering for but not discharging or taking any cargo or Passenger therein (with the exception of such unshipment and /or re-shipment as may be necessary for purposes of repair)	50% of the respective rates specified at Sl. No. (i), (ii) & (iii) above.
vi)	Vessels attending at Sandheads for lighterage operation.	25% of the respective rates specified at Sl. No. (i), (ii) & (iii) above.

Note:-	
i)	For 'Oil tankers' with segregated ballast, the reduced gross tonnage that is indicated in the "Remarks" column of its international Tonnage Certificate will be taken to be its gross tonnage for the purpose of levy of Port dues.
ii)	LASH Vessel making a "Second Call" to pick up empty LASH barges shall not be charged any Port dues.
iii)	In case of vessel visiting both KDS and HDC 50% of the applicable port dues shall be payable both at KDS and HDC.
iv)	In case of vessels attending Sandheads for lighterage operation where the cargo discharged by such mother vessels is subsequently not discharged at any approved landing stage within KoPT limits, the provision of S.25.1 (vi) shall not apply and Port Dues shall be levied as per provision of S.25.1 (i) and S.25.1 (ii) as the case may be.

P A R T – VII

VESSEL RELATED CHARGES FOR INLAND VESSEL AND NON- PROPELLED VESSEL

S.26	The rates under this chapter shall apply to –	
	i)	All Inland Vessels and Non- propelled vessels (excluding vessel classified as 'foreign' OR 'coastal' or Inland vessels which are allowed ply into under any dispensation/ permission granted by appropriate authority).
	ii)	All barges / boats / flats / motor launches working at Virtual Jetty / Saugor (excluding vessel classified as 'foreign' OR 'coastal').

S.27	Stayal Charge on vessels	
S.27.1	Stayal charge shall be levied on vessels at the following rates for occupying berth/ jetty/dock buoy/or any other point at Kidderpore Dock-I, Kidderpore Dock-II, Netaji Subhas Dock, Budge Budge Oil jetty, Haldia Oil Jetty, Haldia Docks:-	
Sl. No.	Period	Rate in `
1.	On vessel of less than 200 tonnes -	
	i) Upto 5 days from the date of entry	35.94 per vessel per day or part thereof
	ii) 6 th to 10 th day	71.88 per vessel per day or part thereof
	ii) 11 th to 20 th day	215.64 per vessel per day or part thereof
	iii) 21 st day onwards	718.80.00 per vessel per day or part thereof
2.	On vessel of 200 tonne and above	0.86 per tonne per day or part thereof

S.27.2	Stayal charge shall be levied at the following rates on vessels for occupying declared riverside IVW of KOPT-	
Sl. No.	Description	Rate in Rupees.
1.	On Non-propelled vessel	
	i) Upto 4 tonne capacity	22.00 per vessel per day or part thereof
	ii) Above 4 tonne capacity	58.00 per vessel per day or part thereof
2.	On propelled vessel	100.00 per vessel per day or part thereof

S.27.3	Stayal charge shall be levied on vessels other than Tourist/Ferry launch @ ` 36/- per day for occupying any other riverside jetty/river mooring/riverside landing stage belonging to KOPT.
S.27.4	Tourist/Ferry launch using riverside jetty belonging to KOPT shall be charged ` 216/- per visit per day.

S.28	Dock Toll	
S.28.1	Dock Toll charge shall be levied at the following rates on the vessels for entry inside the impounded docks	
Sl. No	Capacity	Rates in `
1.	Upto 15 tonnes	287.00 per vessel per entry
2.	15 tonnes and above	12.94 per tonne, subject to a minimum of 287.00 per vessel.

S.29	Miscellaneous Charges on Non-propelled Vessel	
S.29.1	Registration fees shall be levied @ ` 136.85 per tonne, subject to a minimum of ` 805/- and maximum of ` ` 16100/- per craft.	
S.29.2	Annual licence fee shall be levied @ ` 24.15 per tonne, subject to a minimum of ` 483/- and maximum of ` 16100/- per craft.	
S.29.3	Charges for extension of annual license shall be levied @ 25% of the annual licence fees per month.	

S.29.4	Other charges on non-propelled vessel shall be levied at the following rates: -	
Sl. No.	Services	Rate in `
1.	Majhi licence/ licence plate for passenger craft/duplicate licence.	161.00 per issue
2.	Endorsement of change of ownership on certificate of Registry & Licence.	805.00 per issue
3.	Issue of dead weight certificate/ duplicate certificate of Registry	483.00 per issue
4.	Fees for Surveying at owner's workshop: -	
	a) Within port limit	` 24.15 per tonne subject to a minimum of ` ` 805/- & maximum of ` 1610/- per visit.
	b) Outside port limit	` 48.30 per tonne subject to a minimum of ` 3220/- and maximum of ` 8050/- per visit.
5.	Fees for Special inspection and issuance of certificate	
	i) Inspection if carried out within Port limit	
	a) For plying upto Haldia	1610.00
	b) For carrying explosives	1610.00
	ii) Inspection if carried out outside Port limit	
	a) For plying upto Haldia	8050.00
	b) For carrying explosives	8050.00

Sl. No.	Services	Rate in `
6.	Fees for scrutiny and approval of drawing and plans for new construction.	3220.00 per craft
7.	Fee for Inspection during construction/reconstruction by the process of cannibalisation or for providing technical advice.	
	i) Within Port limit	
	a) Wooden/non-metallic boat	805.00
	b) Steel / metallic boat	1610.00
	ii) Outside Port limit	
	a) Wooden/non-metallic boat	3220.00
	b) Steel / metallic boat	8050.00
8.	Supply of Manjhi Book	40.25 per copy
9.	Supply of instruction book for guidance and rules of construction/re-construction and survey.	322.00 per copy
10.	Charges for Re-registration	
	a) Wooden/non-metallic boat	483.00 per craft
	b) Steel / metallic boat	1610.00 per craft
Note:	If the Special Inspection Survey and the Annual licensing survey are carried out on the same date, Survey fees for annual licensing survey will not be applicable.	

S.29.5	Penalty for non-renewal of licence as per Rule 83 (2) of Kolkata Port Rules, 1994 shall be levied at double the rate of annual licence fee (for the expired period) from the date of expiry of the licence, subject to minimum of 1 month charge.
--------	---

S.30	Towage & Pilotage for inland vessels and non-propelled crafts
S.30.1	If a vessel requires services of port for towage & pilotage, 50% of the rates specified at S.24.1 for coastal vessel (other than for Andaman) shall be levied. In such case, dock toll shall not be levied separately. Similarly for shifting also, where port provides services, 50% of the rates specified at S.24.11 for coastal vessel shall be levied.
S.30.2	If a vessel does not require the services of port as mentioned at S.30.1, Dock Toll charge as specified at section S.28.1 shall be levied.
S.30.3	If any vessel covered under this Part of the Scale of Rates avails any of the services for which no rate has been specified in this Part, the rate applicable for coastal vessel (other than for Andaman) shall apply.

S.31	For handling of Fly Ash vessel at TT Shed of KDS, operated by KoPT, a Consolidated handling charge, inclusive of all cargo and barge related services, shall be levied at the rate of ` 40.00 per MT.
------	---

Note for Part-VII of this of Scale of Rates

Tonne in respect of vessel under this Part of Scale of Rates shall mean Registered Tonne or Gross Registered Tonne of the vessel unless otherwise specified. In cases, where Registered Tonne or Gross Registered Tonne is not available and only measurement in Cubic Metre is available, for the purpose of realization of charges conversion factor shall be 1 Cu. Mt. = 0.36 Register Tonne.

P A R T – VIII

SLIPWAY HIRE CHARGES

S.32	Slipway hire charges			
S.32.1	Charges for hire of slipways with back up adjacent land at North Workshop Complex shall be levied at the following rates: -			
	Period	Rate in Rupees per day		
		Slipway No. 1	Slipway No. 2	Slipway No. 3
	1 st to 10 th day	4169.88	2432.43	2722.01
	11 th day onwards	3855.60	2268.00	2551.50

S.32.2	Charges for hire of slipways without back up adjacent land at North Workshop Complex shall be levied at the following rates: -			
	Period	Rate in Rupees per day		
		Slipway No. 1	Slipway No. 2	Slipway No. 3
	1 st to 10 th day	1846.80	907.20	972.00
	11 th day onwards	1749.60	874.80	907.20

PART – IX

SPECIAL RATE

1. To meet the pension liability in respect of employees of KOPT who have retired prior to 1 April 2004, a special rate as a percentage of various charges notified in the Scale of Rates under Part – 1 to Part – VIII shall be levied during the validity of the Scale of Rates.
2. The special rate to be levied during the validity of the Scale of Rates shall be 5% of the respective charges payable by the port users.
3. The KOPT shall apply the revenue generated through this special rate only for the specified purpose. For this purpose, the KOPT shall maintain a separate account covering the receipts and payments in this regard.

कोलकाता पत्तन न्यास
दरों के पैमाने
सामान्य

एस 1	संक्षिप्त शीर्षक का प्रारंभ
	इसके अंतर्गत निर्धारित स्केल ऑफ टूल्स, बकाया और दर कोलकाता पत्तन न्यास के 'दरों के पैमाने' के नाम से जाना जाएगा और दरों के पैमाने के प्रावधान के तहत कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा परिवर्तन को वसूला जाएगा ।
एस 2	परिभाषा
	इन दरों के पैमाने में यदि विषय अन्यथा वांछित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी ।
(i)	'मंडल' (बोर्ड) का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में दिया गया है।
(ii)	'तटीय पोत' का अर्थ वह पोत जो भारत के किसी पत्तन व स्थान से किसी अन्य पत्तन व स्थान के मध्य व्यापार में संपूर्ण रूप से संलग्न हो और जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध तटीय लाइसेंस जारी किया गया हो ।
(iii)	'दिवस' का अर्थ कोलकाता गोदी प्रणाली के संदर्भ में वह अवधि जो सुबह 6.30 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 6.30 बजे समाप्त होता है । हल्दिया गोदी परिसर के संदर्भ में 'दिवस' का अर्थ वह अवधि जो सुबह 6.00 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 6.00 बजे समाप्त होता है ।
(iv)	'विलंबन' (डेमरेज) का अर्थ वह प्रभार जो पत्तन परिसर में दरों के पैमाने में निर्धारित निःशुल्क अवधि से अधिक भंडारण के लिए देय हो और माल के भंडारण के लिए लाइसेंस/लीज आधार पर एक पत्तन प्रयोक्ता को आबंटित क्षेत्र पर भंडारित माल में शामिल नहीं होगा। टिप्पणी: लाइसेंस/पट्टा आधार पर केओपीटी द्वारा किसी पत्तन उपयोक्ता को आबंटित क्षेत्रों में कार्गो के भंडारण के लिए, किराये की अनुसूची के प्रावधान पत्तन उपयोक्ता द्वारा भंडारण क्षेत्र के अधिग्रहण (अर्थात् खाली किए जाने तक) की पूर्ण अवधि के दौरान लागू होंगे।
(v)	विदेश गामी पोत' का अर्थ तटीय पोत, अंतर्देशीय पोत, बोट और फ्लैट के अतिरिक्त अन्य पोत।
(vi)	'पूर्ण कंटेनर भार' (एससीएल) का अर्थ होगा कंटेनर का एकल आयात/निर्यात माल धारिता।
(vii)	'हल्दिया गोदी परिसर' (एचडीसी) का अर्थ होगा हल्दिया पर स्थित तेल जेटियां, अन्य जेटियां, घाट और बर्थ तथा हल्दिया लंगरगाह पर रिवर मूरिंग ।
(viii)	'जोखिमयुक्त I' का अर्थ मंडल द्वारा समय-समय पर स्वीकार्य जोखिमयुक्त माल की सूची में जोखिमयुक्त के रूप में संवर्गीकृत माल है।
(ix)	'आईडब्ल्यूटी माल/आईडब्ल्यूटी कंटेनर' का अर्थ अंतर्देशीय जलपथ के मार्फत माल/कंटेनर वाहित अंतर्देशीय पोत/बार्ज/बोट/फ्लैट किंतु इसमें लाइटरज माल/कंटेनर शामिल नहीं होगा ।
(x)	'अंतर्देशीय पोत' का अर्थ वह पोत जो अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 के प्रावधान के तहत पंजीकृत है । नोट: अंतर्देशीय पोत पर लगाया गया प्रभार प्रोटोकाल के अंतर्गत बंगलादेश और केओपीटी के बीच नदी पथ से चलने वाली पोत पर भी लागू होंगे ।
(xi)	'कोलकाता गोदी प्रणाली' (केडीएस) का अर्थ नेताजी सुभाष गोदी, खिदिरपुर गोदी, सैंडहेड्स, सागर, नदी लंगरगाह, नदी मूरिंग, बजबज पेट्रोलियम घाट, अंतर्देशीय पोत घाट तथा केओपीटी के अन्य सभी स्थापना उनके अतिरिक्त जो विशेष रूप से हल्दिया गोदी परिसर के तहत हैं, को छोड़कर ।

(xii)	'कोलकाता पत्तन न्यास' (केओपीटी) का अर्थ कारपोरेट व्यक्तित्व है और इसमें कोलकाता गोदी प्रणाली तथा हल्दिया गोदी परिसर शामिल होगा ।
(xiii)	'कंटेनर भार से कम (एलसीएल) का अर्थ वह कंटेनर जो एक से अधिक आयात/निर्यात का माल धारित करता हो ।
(xiv)	'लाइटरज माल'/ 'लाइटरज कंटेनर' का अर्थ वह माल/कंटेनर जो छोटे पोतो/बार्जों से/में किसी नदी लंगरगाह/मूरिंग/बर्चुअल जेटी/सैडहेड्स पर विदेशगामी पोत/तटीय पोत पर रिक्त/भारित ।
(xv)	'माह' का अर्थ क्रमिक कैलेण्डर दिवस जिसमें अवकाश दिवस शामिल है यदि अन्यथा उल्लेखित न हो
(xvi)	'ऑन बोर्ड संचालन प्रभार' का अर्थ लोडिंग/अनलोडिंग परिचालन हेतु श्रमशक्ति की आपूर्ति के रूप में पत्तन द्वारा ऑन बोर्ड सेवाओं पर कार्य करने हेतु माल/सामग्री/वस्तु/पैकेज/कंटेनर पर प्रभार ।
(xvii)	'ओवरसाइड डिस्चार्ज/शिपमेंट' का अर्थ डिस्चार्ज/शिपमेंट परिचालन के समय क्वे के मार्फत बिना पासिंग माल का बर्थ/जेटी/गोदी बोय में कार्यरत पोत से/में अनलोडिंग/लोडिंग परिचालन ।
(xviii)	'ओवर डाइमेंसनल कंटेनर' का अर्थ मानक कंटेनरों के सामान्य आकार से अधिक वाहित कंटेनर और/अथवा जैसे स्लींग, सैकेल. लिफ्टिंग बीम इत्यादि जिसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता हो । क्षतिग्रस्त कंटेनर (कार्नर कास्टिंग समस्या वाले बक्से शामिल हैं) और लिफ्टिंग के लिए वांछित विशेष उपकरण कंटेनर को ओवर डाइमेंसनल कंटेनर के रूप में भी वर्गीकृत किया जाएगा ।
(xix)	'तट संचालन प्रभार' का अर्थ माल/सामग्री/वस्तु/पैकेज/कंटेनर पर वह प्रभार जो पत्तन द्वारा माल को हुक प्वाइंट से स्टेक प्वाइंट (जिसमें हुक प्वाइंट पर लोडिंग शामिल है), स्टेकिंग प्वाइंट पर उसे खाली करने और सुपुर्दगी के लिए पारवर्ती लोडिंग और व्युत्क्रम के लिए माल के परिवहन हेतु उपकरण सहित/उपकरण के बना श्रम की आपूर्ति के रूप में दिया गया तट सेवा और माल के यांत्रिक प्रापण के मामले में वैगन टिप्पलर द्वारा वैगन के टिप्पलिंग हेतु प्रभार भी शामिल है ।
(xx)	'शट आउट' कार्गो का अर्थ पत्तन में पड़े निर्यात माल जो पोत पर ऑन बोर्ड शिफ्ट नहीं हुए जिसके लिए इसे पत्तन परिसर में प्राप्त किया गया ।
(xxi)	'टीइयू' का अर्थ कंटेनर का 20 फीट समतुल्य इकाई ।
(xxii)	'पोतांतरण' का अर्थ अन्य पत्तन/पत्तनों के गंतव्य के लिए मिडस्ट्रीम में अथवा वाया तट एक समुद्रगामी पोत/बार्ज से अन्य समुद्रगामी पोत/बार्ज को माल/कंटेनर का स्थानांतरण ।
(xxiii)	'वार्फेज' का अर्थ सभी माल/कंटेनर जो पत्तन सीमा के अंतर्गत उतरा गया अथवा शिफ्ट या पोतांतरित किया गया, और पत्तन के घोषित लैंडिंग स्टेज को आया अथवा के मार्फत पासिंग हुआ, जहाँ पोर्टरेज पत्तन द्वारा प्रदान किया गया हो अथवा नहीं या जहाँ आवश्यक, तट पर हुकिंग/अनहुकिंग परिचालन शामिल होगा अथवा नहीं, पर प्राप्य बेसिक बकाया ।
(xxiv)	'वीक' (सप्ताह) का अर्थ छुट्टी के दिन सहित 7(सात) लगातार कलेण्डर दिवस ।
एस.3	निर्धारण का सामान्य सिद्धांत
(i)	प्रभार योग्य न्यूनतम भार/माप होगा 1 टन/1सीवीएम यद्यपि समग्र भार/माप 1 टन/1सीवीएम से कम हो सकता है । यदि प्रभार भार पर आधारित हो और समग्र भार 100 कि.ग्रा. के समान गुणन में नहीं हो तो उसे 100कि.ग्राम के उच्चतर गुणक में राउण्डेड किया गया । जहां समग्र सीबीएम में दशमलब शामिल है तो उसे 1सीवीएम के परवर्ती पूर्ण संख्या के रूप में रखा जाएगा ।
(ii)	भार के अतिरिक्त अवधि/इकाई हेतु प्रायोज्य दर उसके अवधि/इकाई के हिस्से पर लागू होगा ।

	(iii)	अन्यथा उल्लेखित न होने पर यदि पोत से/में माल/कंटेनर का लैण्डिंग/शिपमेंट के लिए पत्तन उपस्कर प्रयुक्त होता है अथवा पोत द्वारा अन्य उद्देश्य हेतु उपस्करण प्रभार अनुच्छेद 17.1 में निर्धारणानुसार पोत एजेंट/पोत स्वामी/आयातक/निर्यातक अथवा उनके एजेंट, चार्टर्ड पोतों के मामले में जैसा हो, वसूला जाएगा।
	(iv)	माल संबंधित प्रभार माल के स्वामी अथवा उनके क्लियरिंग व फारवार्डिंग एजेंट/संचालन एजेंट, प्रभारित किया जाएगा जहाँ अन्यथा उल्लेखित न हो अथवा उन मामले में शिपर्स/स्टीमर एजेंट ऐसे प्रभार अदा करने के लिए तैयार हो। पोतवणिकों के अपने कंटेनर के मामले में, कार्गो के स्वामी अथवा उनके क्लियरिंग तथा फॉरवार्डिंग एजेंट्स/हैंडलिंग एजेंट्स भी प्रभारों की अदायगी कर सकते हैं।
	(v)	कंटेनरों की लदाई/खाली करने से सम्बंधित सभी प्रभार उनपर विलंबशुल्क कंटेनर एजेंटों/मेन लाइन प्रचालकों (एमएलओ) पर वसूल किए जाएंगे। तथापि, आईसीडी/सीमाशुल्क अधिसूचित सीएफएस से/को कंटेनर के मामले में, संबद्ध आईसीडी अथवा सीएफएस प्रचालक भी पत्तन प्रभारों की अदायगी कर सकता है। तथापि, खाली करने के बाद अथवा भरण से पहले, कार्गो सम्बंधित प्रभार, यदि कोई हों, कार्गो के स्वामी अथवा उसके क्लियरिंग एंड फॉरवार्डिंग एजेंट/प्रहस्तन एजेंट पर वसूल किए जाएंगे।
	(vi)	(क) पोत संबंधी प्रभारों की उगाही जहाजों के मालिकों/स्टीमर एजेंटों पर की जाएगी। जहां कहीं भी दरों का यूएस डालर के रूप में नामकरण किया गया है, प्रभार की वसूली भारतीय रूप में की जाएगी, ऐसा करते समय भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर पर यूएस करेंसी को भारतीय रूप में बदलने के बाद किया जाएगा। पत्तन सीमा में पोत के प्रवेश की तारीख को इस प्रकार बदलने की तारीख समझा जाएगा।
		(ख) कंटेनर संबंधी प्रभार जिसका यूएस डालर के रूप में नामकरण किया गया, का संग्रहण भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर पर भारतीय रुपयों के समकक्ष किया जाएगा, ऐसा पत्तन में आयात कंटेनरों के मामले में पोत के प्रवेश की तारीख पर प्रचालित, तथा निर्यात कंटेनरों के मामले में कंटेनरों के पहुंचने की तारीख पर प्रचालित।
	(vii)	(क) सभी सामुद्रिक पोतों हेतु पोत संबंधी प्रभार अन्य पोतों हेतु अनुवर्ती प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए।
		(ख) सभी तटीय माल/ कंटेनर के लिए माल/कंटेनर संबंधी प्रभार थर्मल कोल पीओएल, क्रूड आयल सहित, लौह अयस्क और आयरन पैलेट्स के अतिरिक्त सामान्य माल/कंटेनर संबंधित प्रभार के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए।
		(ग) माल संबंधी प्रभार के मामले में, रियायती दर शिप-शोर स्थानांतरण और क्वे को/से स्टोरेज यार्ड वार्फेज सहित, के लिए संबद्ध सभी संचालन प्रभार पर प्रभारित होगा।
		(घ) कंटेनर संबंधित प्रभार के मामले में रियायत कम्पोजिट बॉक्स दर पर लागू है। जहाँ मदवार प्रभार वसूला जाता है वहाँ शिप-शोर स्थानांतरण और भंडारण यार्ड से/को क्वे से/को स्थानांतरण के साथ ही कार्गो और कंटेनर पर वार्फेज, के लिए सभी पर रियायत प्रभारित होगा।
		(ड.) इस रियायत के लिए, विदेशी पत्तन से माल/कंटेनर जो भारतीय पत्तन 'ए' पर पहुँचते हैं और परवर्ती भारतीय पत्तन 'बी' को पोतांतरित होते हैं वे भी अर्हता प्राप्त हैं क्योंकि इसके तटीय यात्रा के लिए प्रासंगिक है। अन्य शब्दों में, तटीय यात्रा के लिए अनुमित पोत द्वारा भारतीय पत्तनों से/को माल/कंटेनर इस रियायत के योग्य होंगे।
		(च) तटीय माल/कंटेनर/पोत हेतु प्रभार डिनोमिनेट किया जाएगा और भारतीय रुपयों में ली जाएगी।

(viii)	सभी मामलों में जहाँ प्रभार यूएस डालर में वसूला जाता है एकसर्चेंज दर प्रत्येक 30 दिन में एक बार समीक्षा की जाएगी यह पत्तन के अन्दर कंटेनर रखे जाने के भंडारण प्रभार के संदर्भ में प्रारंभ तिथि 30 दिन से अधिक के मामले में, मानी जाती है अथवा 30 दिन से अधिक पत्तन में ठहरे पोत के लिए पोत पर संबंधित प्रभार के संदर्भ में, लागू है। इन प्रकार के मामले में, बिल का आधार समीक्षा के समय निहित उचित एकसर्चेंज दर के साथ प्रत्याशित होगा।	
(ix)	नमूने, सूची-पत्र तथा अन्य वस्तुएँ जिनके लिए जहाज कम्पनियां कोई भाड़ा नहीं लेती है तथा जिन पर कोई सीमा-शुल्क नहीं देना पड़ता, राजनयिक डाक-थैले, कर्मियों का सामान तथा केओपीटी के व्यवहार हेतु सभी मालों पर सभी प्रकार के कार्गो संबंधित प्रभार में छूट दिया जाएगा।	
(x)	केओपीटी जलयान/पोतों पर उठाए गए भंडार/रसद पर कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।	
(xi)	पत्तन कर्मचारियों द्वारा जिन दिनों में हड़ताल किया जाएगा उन दिनों के दौरान माल नहीं छुड़ाने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा, बशर्ते यह कि संबद्ध आयातक या उसके प्राधिकृत एजेंट हड़ताल शुरू होने से पहले ही पूरे डेलवरी- कागजात, सभी पत्तन प्रभार के भुगतान के पश्चात, दाखिल कर दें।	
(xii)	(क)	बर्थ किराया का समय पोत के यात्रा शुरू होने की तैयारी का संकेत मिलने के समय से 4 घंटे पश्चात् समाप्त हो जाएगी। बर्थ किराया बंद होने की निर्धारित समय-सीमा से जहाज के अनुकूल ज्वार-भाटा की अवस्था तक प्रतीक्षा का समय या खराब मौसम के कारण रुकने का समय या रात्रि के नौवहन सुविधा के न होने के कारण अथवा एचडीसी द्वारा पोत को स्वीकार नहीं किए जाने पर रुकने का समय निकाल दिया जाएगा।
	(ख)	झूठा संकेत देने पर एक दिन के बर्थ-किराया के समान दण्ड स्वरूप किराया देना पड़ेगा।
(xiii)	विलंबित भुगतान/धन-वापसी पर ब्याज:	
	(क)	इस दर के पैमाने के अंतर्गत विलंबित भुगतान हेतु प्रयोक्ता को दण्डात्मक ब्याज देना होगा, इसी प्रकार विलंबित धन-वापसी के लिए केओपीटी को दण्डात्मक ब्याज देना होगा।
	(ख)	दण्डात्मक ब्याज का दर 16.75 % होगा। दण्डात्मक ब्याज का दर केओपीटी तथा पत्तन प्रयोक्ता दोनों पर लागू होगा।
	(ग)	सेवा पूरा हो जाने या प्रयोक्ता द्वारा सभी अपेक्षित कागजात दाखिले करने का समय जो भी परवर्ती हो के केवल धन-वापसी में विलंब गिना जाएगा।
	(घ)	केओपीटी द्वारा बल देने की तारीख से केवल 10 दिन बाद यदि प्रयोक्ता द्वारा भुगतान न किया जाए तो विलंबित भुगतान माना जाएगा। परन्तु यह प्रावधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जहाँ सेवाएं प्राप्त करने से पहले ही/भुगतान किया जाना है/प्रमुख पत्तन अधिनियम में अनुबद्ध अनुसार पत्तन न्यास के संपत्ति के व्यवहार के क्षेत्र में/या जहाँ दरों के पैमाने में दिए शर्त अनुसार प्रभार का अग्रिम भुगतान करना निर्धारित है।
(xiv)	कसी कार्गो को 'अनिर्दिष्ट वर्ग' के अधीन वर्गीकृत करने से पहले या कार्गो किस वर्ग का है उसे निर्दिष्ट करने से पहले, यह जानने के लिए कि कहा कार्गो को अनुसूची में वर्णित किसी भी वर्ग में निर्दिष्ट किया जा सकता है, संबद्ध सीमा शुल्क वर्गीकरण को देखा जाए।	
(xv)	(क)	सीमा शुल्क रूपांतरण आदेश के आधार पर भारतीय पताका-युक्त विदेश को जाने वाला पोत जिसके पास सामान्य ट्रेडिंग लाइसेंस है, उसे तटीय-यात्रा पोत में परिवर्तित किया जा सकता है।
	(ख)	विदेशी पताका-युक्त विदेश को जाने वाला विदेशी पोत को पोत-परिवहन-महा निदेशालय द्वारा जारी किए गए तटीय-यात्रा लाइसेंस के आधार पर तटीय-यात्रा पोत में परिवर्तित किया जा सकता है।
	(ग)	समर्पित (डेडकेटड) भारतीय तटीय पोतों के लिए जिन्हें पोत परिवहन महानिदेशालय से तटीय लाइसेंस प्राप्त है, उनके लिए तटीय दरों के हकदार होने के लिए ओर कसी कागज की अपेक्षा नहीं होगी।

	(घ)	पोत संबंधित प्रभार उगाही के प्रयोजन के लिए सीमा शुल्क या पोत परिवहन निदेशालय द्वारा दिए गए प्रमाणन ही पोत के 'तटीय' या 'विदेशगामी' के रूप में वर्गीकरण करने के लिए निर्णायक सूत्र होगा और इस प्रयोजन के लिए कार्गो की प्रकृति या इसका उद्गम स्थल, किसी प्रकार प्रासंगिक नहीं होगा ।
	(ङ)	प्रभार लागू करते समय पोत की स्थिति (वर्गीकरण) के अनुसार उस पर लागू होने वाली संबद्ध दर लागू किया जाना चाहिए ।
	(xvi)	सभी प्रकार के कार्गो के लिए, कार्गो संबंधी प्रभारों की उगाही कन्साइनमेंट के कुल समग्र भार पर की जाएगी
	(xvii)	प्रभारों के लगाने हेतु, पोतवणिक के अपने कंटेनर, मरीन, फ्रेट कंटेनरों के सममूल्य पर होंगे
	(xviii)	केओपीटी को आरोप्य समीचीन स्तर से परे विलंब होने पर प्रयोगकर्ताओं को कोई प्रभार देना अपेक्षित नहीं होगा
	(xix)	(क) जहां भी दरों के अधिसूचित मान में सेवा/कार्गो हेतु विशिष्ट शुल्क-दर उपलब्ध नहीं हो, केओपीटी टीएमपी को यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है
		(ख) साथ ही साथ प्रस्ताव के प्रस्तुत करने पर प्रस्तावित दर की उगाही दर की अधिसूचना अंतिम रूप से किए जाने तक तदर्थ आधार पर की जाएगी।
		(ग) अंतरिम अवधि में परिचालन की जाने वाली तदर्थ दर व्युत्पन्न होगी जो कि तुलनात्मक सेवाओं/कार्गो हेतु वर्तमान अधिसूचित शुल्क-दर पर आधारित होगी तथा इस पर पत्तन/टर्मिनल तथा संबंधित प्रयोग कर्ताओं द्वारा परस्पर सहमति होगी ।
		(घ) टीएमपी द्वारा निर्धारित अंतिम दर सामान्यतया प्रत्याशित रूप से प्रभावी होगी । तदर्थ ऊप से अपनाई गई अंतरिम दर पहचानी जाएगी अगर इसे अतिशय पाया जाय तो पूर्वप्रभावी रूप से कुछ नियमन अपेक्षित होंगे
	(xx)	(क) इस दरों के मान में निर्धारित दरें सीलिंग स्तर पर है इसी प्रकार छूट तथा रियायत फ्लोर स्तर पर हैं । केओपीटी, अगर चाहे तो, निम्न दर प्रभारित कर सकता है तथा/या उच्चदर पर छूट तथा रियायत दे सकता है ।
		(ख) केओपीटी, अगर चाहे तो निर्धारित शर्तों की बुद्धिसंगत व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है जो कि दरों के मान में निर्धारित दरों के उपयोग से नियमित होता है
		(ग) बशर्ते कि केओपीटी को चाहिए कि जनता को ऐसी घटी हुई दरों की अधिसूचना कर दे तथा/अथवा ऐसी दरों के उपयोग से नियमित होता है जो शर्तों की बुद्धिसंगत व्याख्या प्रस्तुत करता है तथा ऐसी घटती हुई दरों के आगे होने वाले परिवर्तनों की अधिसूचना जनता को करते रहे तथा/या ऐसी दरों के उपयोग को नियमित करने की शर्तों के अध्यधीन बशर्ते कि निर्धारित नई दर टीएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक न हों ।

पार्ट - 1

ब्रेक-बल्क तथा बल्क कार्गो

क्र.सं. 4	वार्फेज:
क्र.सं.4.1	कोलकाता पत्तन न्यास के भीतर किसी था पर उतारे/जहाज से भेजे गए विदेशी माल पर वार्फेज की उगाही निम्नलिखित दरों पर की जाएगी, ऐसा जहां अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो के अलावा होगा:-

क्रं सं.	विवरण	प्रति टन दर रूपयों में अथवा उसका हिस्सा (जब तक कि अन्य इकाई विनिर्दिष्ट की गई हो)
पाइपलाइन के माध्यम से संचालित तरल/गैस		
1.	क्रूड ऑयल	91.80
2.	पी ओएल/पीओएल उत्पाद अमोनिया; एविएशन टरबाइन फ्यूल; सीबीएफएस; फरनेस ऑयल; सुपिरियर केरोसिन ऑयल; मोटर स्पिरिट; पेरैक्सलिन; स्लेक वैक्स अथवा अन्य कोई तरल/गैस जिसका फ्लैश प्वाइंट 23° से. (73.4° फा) तथा इससे अधिक हो तथा नीचे विनिर्दिष्ट न किया गया हो, जहाज का बंकर	91.80
3.	पीओएल/पीओएल उत्पाद अथवा अन्य कोई तरल/गैस जिसका फ्लैश प्वाइंट 23° से.(73.4° फा) से कम हो तथा ऊपर विनिर्दिष्ट न किया गया हो ;	
	(क) प्रति वित्तीय वर्ष में 50000 टन तक परिमाण हेतु	135.00
	(ख) प्रति वित्तीय वर्ष में 50000 टन के ऊपर संचालित क्रमशः वृद्धिगामी परिमाण पर	102.60
	क्रूड ऑयल	
4.	एलपीजी; नैफ्था, बुटाडिन, बुटेन, बुटीन, बेंजीन, पाई गैस, प्रोपेन, हेक्सेन तथा एन-हेक्सेन ;	102.60
5.	एथलीन ग्लाइकोल, एथिल हेक्सानोल; मिथाइल अल्कोहल; एसिड, फैटी एसिड, खनिज तेल, टैलो, अल्कोहल; पाम स्टेरिन	70.20
6.	वनस्पति तेल	54.00
7.	सीरा	32.40
पाइप लाइन के माध्यम के अलावा संचालित तरल		
8.	जहाज के बंकर समेत सभी तरल	91.80
अभियांत्रिक प्रणाली माध्यम से प्रहस्तित कार्गो		
9.	निर्यात लौह अयस्क	46.66
10.	निर्यात थर्मल कोयला	52.49
11.	विनिर्दिष्ट नहीं किए गए कोयले के सभी प्रकार, उर्वरक; उर्वरक कच्चा माल; सोडा राख तथा अन्य सभी सूखे थोक	104.98
यांत्रिक प्रणाली के माध्यम के अलावा संचालित माल		
12.	नमक, फ्लाई ऐश, रेत	23.33
13.	लौह अयस्क, लौह अयस्क गुट्टिकाएं;	23.33
14.	लाइमस्टोन, कोकिंग कोल; पेट्रोलियमकोक; मेटलरजिकल कोक; बाक्साइट; मैगनीज अयस्क; सभी प्रकार के वे कोल/कोक/अयस्क जो विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हों; स्पंज आयरन; पिग आयरन; सभी अन्य शुष्क बल्क कार्गो जो विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हों;	46.66
15.	गेंहू, चावल, चीनी, दलहन, मटर, रैपसीड, अनाज तथा उनके उत्पाद, बल्गर गेंहू, कॉर्न सोया ब्लेंड, दूध पाउडर, सभी प्रकार के बीज, चीनी (कच्ची और रिफाइन दोनों); ब्रान;	58.32

	न्यूज प्रिंट; जिप्सम; स्लैग; सोडा (कास्टिक अथवा एश); सीमेंट; क्लिंकर सोडा (कास्टिक या एश), सीमेंट, क्लिंकर, न्यूज प्रिंट, जिप्सम, स्लैग	
क्रं सं.	विवरण	प्रति टन दर रूपों में अथवा उसका हिस्सा (जब तक कि अन्य इकाई विनिर्दिष्ट की गई हो)
16	मिल स्केल, मैग्नेसाइट, ग्रेनाइट, सभी प्रकार के स्क्रेप, ऑयल केक, बोन व बोन मील, ब्रैन, फाइबर ब्रिक तथा अन्य निमानिया सामग्री, माइका ब्लॉक/फ्लेक/स्पिटिंग/अपशिष्ट/कूड़ा-करकट/पावडर, जिंक ल्यूमीनियम/ कॉपर/ लीड, अमोनियम सल्फेट; अमोनियम नाइट्रेट ; लीड कन्सनटरेट; प्लाइवुड; फायर ब्रिक तथा अन्य रिफरेक्टरी माल; सीआई माल; रॉक फॉस्फेट, सल्फर तथा अन्य उर्वरक कच्चा माल; दी-अमोनियम फास्फेट (डीएपी), यूरिया तथा अन्य तैयार उर्वरक; एस्फैल्ट पिच (कोल तार पिच सहित) बिटुमेन; कार्बन ब्लैक; स्पेयर बैग; जूट, गिनी, जूट उत्पाद/कूड़ा-करकट/कटिंग, हेम्प, वनस्पति रेशे, कच्ची ऊन, सिंथेटिक यार्न/रिंग, सूती टुकड़ों का माल, रद्दी कागज, लकड़ी का गुद्दा, प्लाई वुड, शेलैक, सीडलैक, ग्लास शीट, ग्लास वेयर/उत्पाद, पोर्सेलेन वेयर/उत्पाद हाइड्रस तथा स्किन, हॉजरी माल; गारमेंट; चमड़ा और इसके उत्पाद; जहाज का स्टोर, डनेर्ज, सभी अन्य कार्गो जो विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं परन्तु बैगों में प्रहस्तित किया जाता है।	81.65
17	'लोहा तथा इस्पात, पाइप तथा ट्यूब	69.98
18	'लॉग, टम्बर, वेनीर	122.47 प्रति सीबीएम अथवा उसका भाग
19	'कार, रबड़ के टायर वाले कोई वाहन, कार्गो संचलन उपकरण, भूमि संचलन उपकरण,.	4665.60 प्रति इकाई
20	परियोजना सामग्री, परियोजना उपस्कर, मशीनरी तथा पुर्जे	240.00
21	उपर्युक्त में उल्लेख के अलावा अन्य कोई कार्गो	240.00

टिप्पणी: एस.4.1 क्रम सं. 3 (ख) में विनिर्दिष्ट निम्नतर दर स्वीकृति की जाएगी और यह वित्तीय वर्ष की समाप्त के बाद आयातक/निर्यातक द्वारा किए गए दावे पर ही धन-वापसी द्वारा की जाएगी। प्रत्येक गोदी प्रणाली के लिए इसकी अलग-अलग गणना की जाएगी ऐसा करते समय दूसरी गोदी प्रणाली में संचालित परिमाण पर विचार नहीं किया जाएगा। किए गए दावे के साथ जो कुछ प्रस्तुत करना होगा वह है- परिमाण पोतवार संचालन तथा भुगतान के ब्योरे।

क्र.4.2	कोलकाता पत्तन न्यास के भीतर सामुद्रिक कार्गो के/किसी स्थान से उतरने/चलने पर घाट शुल्क की जहाँ अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो उसके अलावा निम्नलिखित दरों पर उगाही की जाएगी:-	
क्र.सं.	विवरण	दर रुपए प्रति टन या उसका अंश
1	कूड ऑयल, पीओएल तथा पीओएल उत्पाद, थर्मल कोयला, लौह अयस्क तथा लौह अयस्क पेलेट्स	क्रम.4.1 में विनिर्दिष्ट विदेशी कार्गो हेतु दरों के समान
2	अन्य सभी कार्गो	क्रम.4.1 में विनिर्दिष्ट विदेशी कार्गो हेतु दरों के 60%
क्र.4.3	बर्थ पर संचालित दूसरे जहाज पर लादने वाले कार्गो हेतु अवतरण के लिए प्रयोज्य दर का 75% घाट शुल्क अदायगी योग्य होगा तथा अनुवर्ती शिपमेंट के लिए प्रयोज्य दर का 75% अदायगी योग्य होगा। प्रयोज्य दरें वही होंगी जो क्र. 4.1 अथवा क्र. 4.2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्र. 2. के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार डिस्चार्ज/शिपमेंट के समय यह विदेशी है या सामुद्रिक है।	
	सैंडहेड/वास्तवक जेटी/किसी दूसरे लंगरगाह प्वाइंट/भूरिंग में संचालित ट्रांसशिपमेंट कार्गो हेतु प्रति टन रु.28 या उसका आंशिक घाट शुल्क की उगाही की जाएगी भले ही कार्गो की प्रकृति व विवरण कैसा भी हो।	

क्र.4.4	सैंडहेड/वास्तविक जेटी/किसी दूसरे लंगरगाह प्वाइंट/मूरिंग में डिस्चार्ज किए गए कूड ऑयल/पीओएल/पीओएल उत्पाद हेतु, शिपमेंट के मामले में बर्थ पर या इसके विपरीत अनुवर्ती उतरने के लिए केवल एक संपूर्ण घाट शुल्क की उगाही की जाएगी, भले ही कार्गो परिचालन दोनों गोदी प्रणालियों पर किया जाता हो। ऐसे मामलों में प्रत्येक गोदी प्रणाली प्रयोज्य घाट शुल्क के 50% की उगाही करेगी															
क्र.4.5	सैंडहेड/वास्तविक जेटी/किसी दूसरे लंगरगाह प्वाइंट/मूरिंग में कार्गो के डिस्चार्ज/शिपमेंट हेतु क्र. 4. अथवा 4.2 में विनिर्दिष्ट के अनुरूप घाट शुल्क के 90% की उगाही, जहाँ जैसा मामला हों ऐसे प्वाइंट पर डिस्चार्ज/शिपमेंट हेतु की जाएगी। इसके साथ-साथ अगर कसी बर्थ/जेटी/पत्तन के घोषित आंतरक पोत पर उतारने/चढ़ाने हेतु ऐसे कार्गो के साथ बार्ज/नौका/फ्लैट या अन्य कोई पोत हो तो ऐसे डिस्चार्ज/शिपमेंट हेतु निम्नलिखित दरों पर घाट शुल्क की उगाही की जाएगी :															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>परिचालन का स्थान</th> <th>प्रति टन दर रुपए या उसका अंश</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>समुद्रगामी पोत के संचलन हेतु बर्थ/जेटी</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>क) लौह अयस्क</td> <td>5.83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ख) अन्य सभी कार्गो</td> <td>23.33</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>केओपीटी के घोषित इनलैंड वेसेल वार्व</td> <td>4.86</td> </tr> </tbody> </table>	क्रम सं.	परिचालन का स्थान	प्रति टन दर रुपए या उसका अंश	1.	समुद्रगामी पोत के संचलन हेतु बर्थ/जेटी			क) लौह अयस्क	5.83		ख) अन्य सभी कार्गो	23.33	2.	केओपीटी के घोषित इनलैंड वेसेल वार्व	4.86
क्रम सं.	परिचालन का स्थान	प्रति टन दर रुपए या उसका अंश														
1.	समुद्रगामी पोत के संचलन हेतु बर्थ/जेटी															
	क) लौह अयस्क	5.83														
	ख) अन्य सभी कार्गो	23.33														
2.	केओपीटी के घोषित इनलैंड वेसेल वार्व	4.86														
क्र.4.6	आईडब्ल्यूटी पर पोर्ट के अपने कसी बर्थ/जेटी/घोषित इनलैंडवेसेल कार्गो पर चढ़ाने/उतारने वाले कार्गो पर घाट-शुल्क की वसूली निम्नलिखित दरों पर की जाएगी:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>परिचालन का स्थान</th> <th>प्रति टन दर रुपयों में अथवा उसका अंश (जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>समुद्रगामी पोत के संचालन हेतु बर्थ/जेटी</td> <td>क्र.4.1 पर विनिर्दिष्ट घाट शुल्क का 50%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>केओपीटी का घोषित इनलैंड वेसेल वार्व</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>क) फ्लाई ऐश</td> <td>11.66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ख) अन्य सभी कार्गो</td> <td>23.33</td> </tr> </tbody> </table>	क्रम सं.	परिचालन का स्थान	प्रति टन दर रुपयों में अथवा उसका अंश (जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो)	1.	समुद्रगामी पोत के संचालन हेतु बर्थ/जेटी	क्र.4.1 पर विनिर्दिष्ट घाट शुल्क का 50%	2.	केओपीटी का घोषित इनलैंड वेसेल वार्व			क) फ्लाई ऐश	11.66		ख) अन्य सभी कार्गो	23.33
क्रम सं.	परिचालन का स्थान	प्रति टन दर रुपयों में अथवा उसका अंश (जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो)														
1.	समुद्रगामी पोत के संचालन हेतु बर्थ/जेटी	क्र.4.1 पर विनिर्दिष्ट घाट शुल्क का 50%														
2.	केओपीटी का घोषित इनलैंड वेसेल वार्व															
	क) फ्लाई ऐश	11.66														
	ख) अन्य सभी कार्गो	23.33														
क्र.4.7	क) जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो दरों के इस मान में कार्गो परिचालन के लिए प्रत्येक गोदी प्रणाली द्वारा अपनी-अपनी प्रणालियों के भीतर घाट-शुल्क की उगाही की जाएगी। ख) पोत से कार्गो की ओवरसाइड उतराई के मामले में, एस.4.1. अथवा एस.4.2. के अनुसार घाटशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, वसूल किया जाएगा। समान गोदी प्रणाली में बर्थ में उक्त कार्गो की अनुवर्ती उतराई के लिए, एस.4.1. अथवा एस.4.2. के अधीन दी गई दर का 50 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, उपर्युक्त के अलावा वसूल किया जा सकता है।															
क्र.4.8	ऐसे बंद कार्गो/स्टॉक कार्गो जो पत्तन परिसर से वापस ले लिए गए हों, 50% घाट-शुल्क की अदायगी की जाएगी। इसके साथ-साथ कार्गो के संचालन हेतु अगर पत्तन द्वारा श्रमिक तथा/या उपकरणों की आपूर्ति की जाती है तो ऑन-बोर्ड संचालन प्रभार तथा/या शोर संचालन प्रभार की उगाही जैसा मामला हो उस अनुसार की जाएगी। अगर इसे अनुवर्ती समय पर पत्तन परिसर से हटाए बना चलाया जाएगा तो बंद कार्गो पर कोई अतिरिक्त घाट-शुल्क नहीं लगाया जाएगा।															
क्र.4.9	कुछ परिचालनगत कारण से अगर कोई कार्गो कसी पोत से उतारा जाता है जो कि उसी पोत द्वारा अनुवर्ती शिपमेंट के लिए उतारा जाता है तो प्रति टन रु. 116.64 की दर से या उसका आंशिक समेकित घाट-शुल्क की उगाही की जाएगी।															
क्र.4.10	एचडीसी तथा केडीएस के बीच या कसी अन्य प्वाइंट से केडीएस/एचडीसी या इसके विपरीत तक पाइप लाइन से होते हुए तरल कार्गो के स्थानांतरण पर जहाँ यह स्थानांतरित किया जाए उस गोदी प्रणाली पर घाट शुल्क के 50% की उगाही की जाएगी।															
5	बोर्ड पर संचालन प्रभार:															
क्र.5.1	केओपीटी द्वारा श्रमशक्ति की आपूर्ति हेतु, बोर्ड पर विदेशी कार्गो के संचालन हेतु पोत/बार्ज के उतारने/चढ़ाने के परिचालन हेतु पोत एजेंटों या आयातकों/निर्यातकों या उनके क्लीयरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट/हैंडलिंग एजेंटों पर प्रभारों की उगाही निम्नलिखित दरों पर की जाएगी :															

क्रम सं.	विवरण	प्रति टन दर रुपयों में अथवा उसका अंश, जब तक कि अन्य इकाई विनिर्दिष्ट न की गई हो
1	ऐसी सभी प्रकार के कोयले, कोक तथा अयस्क, लाइमस्टोन, अन्य सूखे गोदी प्रभार जो कि विनिर्दिष्ट न किए गए हो और जो ग्रेब/मैग्नेट के प्रयोग द्वारा डिस्चार्ज/शिप न किए गए हों	34.99
2	लोहा एवं स्टील, पाइप तथा ट्यूब	93.31
3	बैगों या ड्रमों में प्रहस्तित सभी प्रकार के कार्गो	40.82
4	लॉग; टिम्बर; विनियर ;	29.16 प्रति सीबीएम
5	कार, रबर टायरवाले अन्य वाहन, कार्गो अपसारक उपकरण या भू अपसारक उपकरण जब उन्हें स्लिंग की सहायता से वाहित/पोतवाहित किया गया हो ।	58.32 प्रति इकाई
6	क्र.सं. 1,2,3, 4, एवं 5 में विनिर्दिष्ट को छोड़कर अन्य सभी कार्गो	46.66
एस.5.2	वेसल में / लोडिंग हेतु बजरे में/ अनलोडिंग कार्य हेतु कूड तैल, पीओएल एवं पीओएल उत्पाद, थर्मल कोल, लौह अयस्क एवं लौह अयस्क पेलेट्स को छोड़कर तटीय कार्गो के हैंडलिंग के लिए केओपीटी द्वारा जनशक्ति की आपूर्ति के वेसल एजेंट्स या निर्यातक अथवा उसके क्लियरिंग फारवार्डिंग एजेंट से एस.5.1 में निर्दिष्ट दरों के 60% की दर पर प्रभार लिया जाएगा । कूड तैल, पीओएल एवं पीओएल उत्पाद, थर्मल कोल, लौह अयस्क एवं लौह अयस्क पेलेट्स के लिए दर विदेशी कार्गो की दर के समान होगी ।	
सेक्शन 5 के लिए नोट :		
(i)	पाइपलाइन द्वारा या मेकैनिकल प्रणाली से कार्गो के हैंडलिंग के लिए घाट किराया की वसूली किए जाने की स्थिति में कोई ऑन बोर्ड कार्गो हैंडलिंग प्रभार नहीं लिया जाता है क्योंकि ऐसे वेसल के लिए केओपीटी बोर्ड लेबर / उपकरण मुहैया नहीं कराता है ।	
(ii)	घाट से नहीं गुजरते हुए ऑन बोर्ड कार्गो के लिए प्रयोज्य ऑन बोर्ड हैंडलिंग प्रभार का 1.5 गुणा प्रभार लिया जाएगा ।	

एस .6		तटीय हैंडलिंग प्रभार :	
एस.6.1		विदेशी कार्गो को तटीय हैंडलिंग सेवा एवं तदनु रूप निम्नलिखित सेवाओं के लिए एस.2 (xix) में 'तटीय हैंडलिंग चार्जेज' के रूप यथानिर्दिष्ट दर पर प्रभार लिया जाएगा ।	
क्र.सं.	विवरण	दर- प्रति टन या उसका अंश रुपए में	
		केवल श्रमिक	श्रमिक एवं उपकरण
1.	थैलाबंद कार्गो या पैकेज (जहाँ हैंडलिंग, यथावश्यक, हाथगाड़ी का उपयोग करते हुए पूर्णतः दस्ती तौर पर किया जाता है)	29.16	-
2.	लौहा तथा स्टील; पाइप और ट्यूबें;	23.33	139.97
3.	अन्य सभी ब्रेक बल्क कार्गो जिनके लिए अन्यथा दर निर्धारित नहीं की गई है – (प्रति पैकेज या इकाई वजन)		
	i) 5 टन से कम तक	23.33	46.66
	ii) 5 टन से 10 टन से कम तक	23.33	87.48
	iii) 10 टन से 20 टन से कम तक	23.33	174.96
	iv) 20 टन से 40 टन से कम तक	23.33	233.28
	v) 40 टन एवं उससे अधिक	23.33	466.56

क्र.सं.	विवरण	दर- प्रति टन या उसका अंश रूप में	
		केवल श्रमिक	श्रमिक एवं उपकरण
4.	i) वैगन ट्रिप्लर द्वारा थर्मल कोल वैगन की ट्रिप्लिंग	52.49	
	ii) थर्मल कोल वैगन की मैनुअल अनलोडिंग -	34.99	
	iii) थर्मल कोल (मेकनिकल पद्धति से भिन्न) का अंतरण, अनलोडिंग पॉयंट से स्टैक पॉयंट, अनलोडिंग पॉयंट पर लोडिंग तथा स्टैक पॉयंट पर अनलोडिंग सहित।	46.66	52.49
	iv) थर्मल कोल (मेकनिकल पद्धति से भिन्न) का अंतरण, स्टैक पॉयंट/अनलोडिंग पॉयंट से हुक पॉयंट, स्टैक पॉयंट/ अनलोडिंग पॉयंट पर लोडिंग एवं हुक पॉयंट तथा वेसल फिडिंग के लिए कार्गो के हिपिंग पर अनलोडिंग सहित।	64.15	69.98
5.	i) वैगन ट्रिप्लर द्वारा लौह अयस्क वैगन की ट्रिप्लिंग	46.66	
	ii) लौह अयस्क वैगन की दस्ती अनलोडिंग	46.66	
	iii) लौह अयस्क (मेकनिकल पद्धति से भिन्न) का अंतरण, अनलोडिंग पॉयंट से स्टैक पॉयंट , अनलोडिंग पॉयंट पर लोडिंग तथा स्टैक पॉयंट पर अनलोडिंग सहित ।	52.49	58.32
	iv) लौह अयस्क (मेकनिकल पद्धति से भिन्न) का अंतरण, स्टैक पॉयंट/अनलोडिंग पॉयंट से हुक पॉयंट , स्टैक पॉयंट/ अनलोडिंग पॉयंट पर लोडिंग एवं हुक पॉयंट तथा वेसल फिडिंग के लिए कार्गो के हिपिंग पर अनलोडिंग सहित ।	64.15	75.82
6.	सभी प्रकार के शुष्क बल्क कार्गो जो विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हों (अभियांत्रिक प्रणाली के माध्यम से नौभरित/नौभरित किए जाने वाले से उतारे गए कार्गो के अलावा)		
	i) जब कार्गो बर्थ पर उतारा गया कार्गो उसी बर्थके समर्पित भंडारण क्षेत्र में भंडारित किया जाता है और आखिरकार उक्त भंडारण क्षेत्र से डिलीवर किया जाता है, अथवा विलोमतः (निर्यातों के मामले में); तट प्रहस्तन प्रभार की परिभाषा के अधीन उन कवर्ड में अतिरिक्त लदाई/उतराई और/अथवा परिवहन की अपेक्षा किए बिना।	81.65	104.98
	ii) जब बर्थ पर उतारा गया कार्गो समान बर्थ के समर्पित भंडारण क्षेत्र से इतर किसी क्षेत्र (गोदी के भीतर) में भंडारित किया जाता है, और आखिरकार उक्त भंडारण क्षेत्र से डिलीवर किया जाता है, अथवा विलोमतः (निर्यातों के मामले में); तट प्रहस्तन प्रभार की परिभाषा के अधीन उन कवर्ड में अतिरिक्त लदाई/उतराई और/अथवा परिवहन की अपेक्षा किए बिना।	81.65	120.58
7.	लॉग्स; टिम्बर; विनियर	23.33 प्रति सीबीएम	46.66 प्रति सीबीएम
एस .6.2	कूड तैल, पीओएल एवं पीओएल उत्पाद, थर्मल कोल, लौह अयस्क एवं लौह अयस्क पेलेट्स को छोड़कर तटीय कार्गो के हैंडलिंग के लिए केओपीटी द्वारा उपकरण के बिना / उपकरण के साथ जनशक्ति की आपूर्ति के लिए एस.6.1 में निर्दिष्ट दरों के 60% की दर पर प्रभार लिया जाएगा। कूड तैल, पीओएल एवं पीओएल उत्पाद, थर्मल कोल, लौह अयस्क एवं लौह अयस्क पेलेट्स के लिए विदेशी कार्गो के समान दर होगी।		
सेक्शन 6 के लिए नोट :			
i)	वैगन की ट्रिप्लिंग को छोड़कर तटीय हैंडलिंग के लिए श्रमिक / उपकरण की आपूर्ति करने / नहीं करने का अधिकार पोर्ट के लिए सुरक्षित है।		

ii)	एस.6.1 के क्र.सं. 1,2,3 तथा 7 के मामले में , यदि पोर्ट एस.2 (xix) के अंतर्गत 'तटीय हैंडलिंग प्रभार ' के रूप में परिभाषित सेवाओं में से केवल आंशिक रूप से सेवाएं मुहैया करवाता है तो निर्दिष्ट तटीय हैंडलिंग प्रभार का 50% प्रभारित किया जाएगा ।
iii)	यदि पोर्ट एस.2 (xix) के अंतर्गत 'तटीय हैंडलिंग प्रभार ' के रूप में परिभाषित सेवाओं में से कोई भी सेवा मुहैया नहीं करवाता है और पाइपलाइन के द्वारा हैंडलिंग के लिए घाट किराया वसूला जाता है तो कोई भी प्रभार नहीं लिया जाएगा ।
iv)	पोर्ट के विकल्प के आधार पर थर्मल कोल वेगन के दस्ती अनलोडिंग और / अथवा थर्मल कोल के दस्ती लोडिंग के लिए , क्र.सं. 4 (ii), (iii) एवं (iv) के अंतर्गत निर्दिष्ट दर पर 30% की छूट की अनुमति दी जाएगी ।

एस.7	कार्गो पर विलंब शुल्क :	
एस.7.1	आयात कार्गो (कंटेनरयुक्त कार्गो छोड़कर) पर विलंब शुल्क –रहित अवधि की छूट देने के बाद निम्नलिखित दर पर प्रभारित किया जाएगा :-	
क्र.सं.	विवरण	विलंब शुल्क रहित अवधि
1.	जोखिमी – 1 कार्गो	उतराई की वास्तविक तारीख
2.	क्र. सं. 1,3 एवं 4 में उल्लिखित को छोड़कर अन्य सभी कार्गो	वेसल / उतराई वाले कार्गो के बजरे की अंतिम उतराई के 3 दिन बाद ।
3.	डीलिवरी के लिए पोर्ट के उपकरण का उपयोग करनेवाले गैर-जोखिमी कार्गो ; नेपाल और भूटान के लिए गैर-जोखिमी कार्गो ;	वेसल / उतराई वाले कार्गो के बजरे की अंतिम उतराई की तारीख से 6 दिन बाद ।
4.	मिशनरीज ऑफ चैरिटी, भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन, केयर, सीआरएस , डब्ल्यूएफपी जैसे एवं केन्द्र सरकार / राज्य सरकार तथा नेपाल , भूटान सरकार के सक्षम सरकारी प्राधिकारी या उनके स्थानीय कंसुलेट जनरल द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र के आधार पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य स्वयंसेवी / राहत संस्थाओं द्वारा आयात किए जानेवाले कार्गो ।	वेसल / उतराई वाले कार्गो के बजरे की अंतिम उतराई की तारीख से 30 दिन बाद।

सेक्शन 7 के लिए नोट :

i)	क) अंतिम उतराई की तारीख (एलएलडी) वह तारीख है जिस दिन वेसल घाट पर अपना आय्यतित माल की उतराई का काम समाप्त करती है । ख) ओवर-साईड डिसचार्ज तथा एंकरेज/मूरिंग/ नावों/बजरों/फ्लैट्स / अन्य किसी वेसल पर लदान के मामले में घाट पर ऐसे प्रत्येक नाव/बजरा/फ्लैट/अन्य किसी वेसल में अनलोडिंग पूरा होने की तारीख उस विशेष नाव/बजरा/फ्लैट/ वेसल द्वारा लाए गए कार्गो की एलएलडी होगी । ग) तथापि, वेसल से डिसचार्ज किए गए कार्गो के लिए, जब पोर्ट की ओर से बिना किसी गलती/ कारण से वेसल में 24 घंटे से अधिक समय के लिए कार्गो ऑपरेशन का काम नहीं हो रहा हो, केओपीटी अन्य कोई एलएलडी घोषित कर सकता है । ऐसे मामलों में वेसल के लिए एक से अधिक एलएलडी हो सकते हैं ।
ii)	अनुमत लदाई-उतराई समय की गणना के लिए कस्टम द्वारा अधिसूचित छुट्टियों तथा/अथवा केओपीटी के गैर-कार्य दिवसों को बाद दिया जाता है । यदि रविवार को कस्टम द्वारा अधिसूचित छुट्टी और केओपीटी का गैर-कार्य दिवस नहीं पड़ता है तो अनुमत लदाई-उतराई समय की गणना के लिए रविवार को बाद नहीं दिया जाता है । जब विलंब शुल्क लगना शुरू हो जाता है तो कस्टम द्वारा अधिसूचित छुट्टी और केओपीटी के गैर-कार्य दिवस के तहत कोई छूट नहीं दी जाती है ।

एस.7.2	आयात कार्गो (लांग, टिम्बर और विनियर को छोड़कर) पर विलंब शुल्क मुक्त अवधि के समाप्त होने पर निम्नलिखित दरों से विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा :-		
क्र.सं.	कार्गो का प्रकार	दर - प्रति टन या उसका अंश प्रति दिन – रुपए में	
		पहले 15 दिनों के लिए	16वें दिन और उसके बाद
1.	जोखिमी- I	183.60	216.00
2.	अन्य सभी कार्गो	43.20	64.80

एस.7.3	आयातित लांग, टिम्बर, विनियर पर विलंब शुल्क मुक्त अवधि के समाप्त होने पर निम्नलिखित दरों से विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा :-
--------	---

क्र.सं.	कार्गों का प्रकार	दर - प्रति सीबीएम प्रतिदिन या उसका अंश - रुपए में		
		पहले 7 दिनों के लिए	8वां से 14वां दिन	15वां दिन और उससे आगे
1.	लॉग, टिम्बर, विनियर	6.48	12.96	19.44
एस.7.4	जोखिमी -1 को छोड़कर, निर्यात / स्टॉक कार्गों पर कोई विलंब शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा यदि प्राप्ति के 15 दिन के भीतर कार्गों का लदान हो जाता है। तथापि, जैसे कार्गों पर 16वें दिन से, प्राप्ति की तारीख से लेकर लदान की तारीख तक के लिए रु.43.20 प्रति टन प्रति सप्ताह या उसके अंश की दर से विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा।			
एस.7.5	जोखिमी-1 कोटि के निर्यात कार्गों केवल सीधी लदान के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। यदि जैसे कार्गों का लदान प्राप्ति की तारीख को नहीं होता है, प्राप्ति की तारीख के अगले दिन से लदान के दिन या पोर्ट परिसर से हटा लिए जाने के दिन तक के लिए रु.183.60 प्रति टन प्रति सप्ताह या उसके अंश की दर से विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा।			
एस.7.6	जोखिमी - 1 कार्गों छोड़कर, शट आउट कार्गों/ स्टॉक पर कार्गों की प्राप्ति की तारीख से बिना लदान के पोर्ट परिसर से हटा लिए जाने के दिन तक के लिए रु.10.80 प्रति टन प्रति सप्ताह या उसके अंश की दर से विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा। यदि शट आउट कार्गों का लदान परवर्ती वेसल द्वारा किया जाता है तो प्रावधान एस.7.4 लागू होगा।			
एस.7.7	यदि कार्गों /पण्य बतौर गैर-आयात, गैर- निर्यात या गैर-स्टॉक शिपमेंट के लिए प्राप्त होता है तो कार्गों की प्राप्ति की तारीख से पोर्ट परिसर से हटा लिए जाने के दिन तक के लिए रु. 43.20 प्रति टन प्रति सप्ताह या उसके अंश की दर से विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा।			
एस.7.8	अनक्लीयर्ड / कस्टम द्वारा जब्त किए गए कार्गों, नीलामी या टेंडर या निजी करार या अन्य किसी तरीके से बेचे गए कार्गों पर डीलिवरी के उपलब्ध होने के दिन के बाद 10 दिन के फ्री टाइम की स्वीकृति देकर एस.7.2 या एस.7.3 में यथानिर्दिष्ट दरों पर, जो भी स्थिति हो, विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा।			
एस.7.9	पोर्ट की तरफ से कोई कारण से केओपीटी कार्गों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो तो उपभोक्ता द्वारा मांग किए जाने पर उतने दिनों के लिए कोई विलंब शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।			

एस.8	परिवहन :		
एस.8.1	यदि केओपीटी एस.2 (xix) के 'तृतीय हैंडलिंग प्रभार' के अंतर्गत नहीं आनेवाले कार्गों के परिवहन (लोडिंग एवं/अथवा अनलोडिंग छोड़कर) की जिम्मेदारी लेता है तो कार्गों पर निम्नलिखित दरों पर प्रभार लिए जाएंगे:-		
क्र.सं.	विवरण	दर - प्रति टन या उसका अंश - रुपए में	
1.	केडीएस के एक डॉक के अंदर या डॉक के एचडीसी के भीतरी अंचल में	40.82	
2.	कोलकाता डॉक प्रणाली के अंतर्गत एक डॉक के एनक्लोजर से केडीएस के दूसरे डॉक के एनक्लोजर तक	58.32	

एस.9	लोडिंग/अनलोडिंग/ रि-स्टैकिंग प्रभार		
एस.9.1	यदि केओपीटी एस.2(xix) के 'तृतीय हैंडलिंग प्रभार' के अंतर्गत कवर नहीं किए गए लोडिंग/अनलोडिंग /रि-स्टैकिंग की जिम्मेवारी लेता है तो कार्गों पर निम्नलिखित प्रभार लिए जाएंगे :-		
क्र.सं.	विवरण	दर - प्रति टन या उसका अंश - रुपए में	
1.	1 टन से कम वजन का सामान / पैकेज	23.33	
2.	1 टन या उससे अधिक लेकिन 10 टन से कम वजन का सामान / पैकेज	46.66	
3.	10 टन या उससे अधिक लेकिन 20 टन से कम वजन का सामान / पैकेज	58.32	
4.	20 टन या उससे अधिक लेकिन 40 टन से कम वजन का सामान / पैकेज	116.64	
5.	40 टन या उससे अधिक वजन का सामान / पैकेज	291.60	

एस.10	छूट :		
एस.10.1	एच डी सी में, निम्नलिखित मामलों में घाट किराया में छूट दी जाएगी :-		

	(क)	यदि कोई परेषिती/परेषक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6.50 मिलियन टन से अधिक कच्चा तेल प्रहस्तित करता है तो ऑनबोर्ड और घाटशुल्क प्रभार प्रथम 6.50 मिलियन टनों पर रु. 91.80 प्रति टन की दर से और 6.50 मिलियन टनों से अधिक मात्रा पर रु. 81/- प्रति टन पर वसूल किया जाएगा।	
	(ख)	एचडीसी में एक कॉल में वेसल 25000 टन थर्मल कोल/लाइमस्टोन/फर्टिलाइजर/कच्चा माल लोड करता है तो 25000 टन से अधिक मात्रा के लिए घाट किराया में 10% की छूट दी जाएगी।	
	(ग)	यदि एक पोत एचडीसी में एकल कॉल में 25000 टन थर्मल कोयला से अधिक की लदाई करता है तो 25000 टनों से अधिक की मात्रा पर घाटशुल्क प्रभारों पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।	
एस.10.2	केडीएस में आयातक/निर्यातक को उनके द्वारा केडीएस के माध्यम से हैंडल किए गए कार्गो के आधार पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित रूप से घाट किराए पर छूट दी जाएगी।		
क्र.सं.	कार्गो का प्रकार	हैंडल किया गया टनेज	प्रयोज्य घाट किराए पर छूट की प्रमात्रा
(क).	कोकिंग कोल, चीनी, दाल, गेहूँ, चावल, जूट एवं जूट उत्पाद, लोहा एवं स्टील, लॉग, सल्फर, रॉक फास्फेट, तैयार उर्वरक, वनस्पति तैल, सी आई माल, एलपीजी	75000 टन तक 75001 से 100000 टन 100000 टन से ऊपर	शून्य 10% 15%
(ख).	कूड ऑयल, पीओएल एवं इसके उत्पाद	4000000 टन तक 4000001 से 7500000 टन 7500000 टन से ऊपर	शून्य 10% 15%
नोट: उपर्युक्त छूट निर्यातक / आयातक द्वारा वर्ष भर में उनकी उपलब्धि के साक्ष्य स्वरूप कार्गो जमा किए जाने पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष (यानी 1ली अप्रैल से 31 मार्च) के अंत में घाट किराए की वापसी के रूप में दी जाएगी।			

भाग - II

कन्टेनर एवं कन्टेनराइज्ड कार्गो पर प्रभार

एस .11	कन्टेनर के लिए कम्पोजिट बॉक्स दर					
एस.11.1	घाट किराया तथा जहाज से तट तक अंतरण हेतु, बर्थ से यार्ड तक अंतरण, यार्ड पर उठाई एवं डीलिवरी के लिए अंतिम उठाई या इसके विपरीत हेतु मूल कंटेनर हैंडलिंग प्रभार को कवर करते हुए कंटेनर (निर्दिष्ट आईसीडी से भिन्न) के लिए कम्पोजिट बॉक्स-दर निम्नप्रकार होगी :-					
	क्र.सं.	कोटि	दर प्रति टीईयू - रु. में			
			केडीएस		एचडीसी	
			विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
	1.	लोड कंटेनर - अत्यंत बड़े आकार वाले कंटेनर को छोड़कर	4898.88	2939.33	4307.90	2584.74
	2.	अत्यंत बड़े आकार वाले लोड कंटेनर	6123.60	3674.16	5384.88	3230.93
	3.	खाली कंटेनर	1946.59	1167.95	2266.70	1360.02
एस.11.2	घाट किराया तथा जहाज से तट तक अंतरण हेतु, बर्थ से यार्ड तक अंतरण, यार्ड पर उठाई एवं डीलिवरी के लिए अंतिम उठाई या इसके विपरीत हेतु मूल कंटेनर हैंडलिंग प्रभार को कवर करते हुए सभी आईसीडी कंटेनर (काशीपुर आईसीडी कंटेनर को छोड़कर) के लिए कम्पोजिट बॉक्स-दर निम्नप्रकार होगी :-					
	क्र.सं.	कोटि	दर प्रति टीईयू - रु. में			
			केडीएस		एचडीसी	
			विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
	1.	लोड कंटेनर - अत्यंत बड़े आकार वाले कंटेनर को छोड़कर	3698.88	2219.33	3107.90	1864.74
	2.	अत्यंत बड़े आकार वाले लोड कंटेनर	4623.60	2774.16	3884.88	2330.93

एस.11.3	घाट किराया तथा जहाज से तट तक अंतरण हेतु, बर्थ से यार्ड तक अंतरण, यार्ड पर उठाई एवं डीलिवरी के लिए अंतिम उठाई या इसके विपरीत हेतु मूल कंटेनर हैंडलिंग प्रभार को कवर करते हुए सभी आईडब्ल्यूटी कंटेनर, आईडब्ल्यूटी के माध्यम से बांगला देश जाते हुए कंटेनर सहित, के लिए कम्पोजिट बॉक्स-दर निम्नप्रकार होगी:-				
	क्रम सं..	संवर्ग	प्रति टीईयू दर रुपया में		
	1.	निर्धारित आकार से बड़े कंटेनरों को छोड़कर भरे हुए कंटेनर	2237.54		
	2.	निर्धारित आकार से बड़े भरे हुए सभी कंटेनर	2796.94		
	3.	खाली कंटेनर	1537.70		
एस.12	छूट :				
एस.12.1	संमिश्र बॉक्स दर के अंतर्गत पड़नेवाली कंटेनर लदाई-उतराई की कोई भी एक मूल सेवा पत्तन द्वारा मुहैया न कराए जाने की अवस्था में पोत से तट पर स्थानांतरण हेतु पोत के क्रेन के उपयोग, बर्थ और यार्ड के बीच लाने-ले जाने के लिए पार्टी द्वारा किराए पर लिए गए ट्रेलर के उपयोग, यार्ड से उठाने और डिलेवरी के लिए यार्ड में रखने हेतु या विलोमतः पार्टी द्वारा किराए पर लिए गए उपस्कर के उपयोग के लिए विदेशी कंटेनरों की संमिश्र बॉक्स दर पर निम्नलिखित दरों की छूट की अनुमति दी जाएगी:				
	सेवा का प्रकार		प्रति टीईयू रुपये में छूट की दर		
			केडीएस		एचडीसी
			लदा हुआ	खाली	लदा हुआ
					खाली
	(क)	पोत के क्रेन द्वारा पोत से तट पर स्थानांतरण के लिए ।	816.48	311.46	717.98
	(ख)	पार्टी द्वारा किराए पर लिए गए ट्रेलर द्वारा बर्थ और यार्ड के बीच लाने-ले जाने के लिए ।	125.20	89.54	110.06
	(ग)	पार्टी द्वारा किराए पर लिए गए उपस्कर द्वारा उतराई/लदाई की प्रक्रिया के दौरान यार्ड में उतारने/चढ़ाने के लिए ।	190.51	97.33	167.53
	(घ)	पार्टी द्वारा किराए पर लिए गए उपस्कर द्वारा सुपुर्दगी/प्राप्ति के दौरान यार्ड में उतारने/चढ़ाने के लिए ।	217.73	116.80	191.46
एस.11 एवं 12 खंडों हेतु टिप्पणी					
(i)	नेपाल और भूटान को भेजे जानेवाले माल के आयात कंटेनर के मामले में क्र.11.1 एवं क्र.11.2 में विनिर्दिष्ट कंटेनर के लिए संमिश्र बॉक्स-दर पर 10% छूट की अनुमति दी जाएगी ।				
(ii)	यदि शटआउट निर्यात लोड्स कंटेनर या पोत पर ले जाए जाने की जगह पोतलदान कागजात बगैर प्राप्त कंटेनर की डिलेवरी ली जाती है तो, प्रदान न की गई सेवा के लिए एस. 12.1 के अंतर्गत दी जानेवाली छूट की अनुमति दी जाएगी जो उपर्युक्त निर्दिष्ट कुल संमिश्र बॉक्स दरों का अधिकतम 60% होगी । इसके अलावा, किन्हीं अतिरिक्त प्रहस्तन सेवाओं के लिए, एस.14 पर यथा विनिर्दिष्ट प्रासंगिक प्रभार।				
(iii)	यदि कंटेनर में रखा गया निर्यात माल निकाला जाता है और ब्रेक-बल्क के रूप में उसकी डिलेवरी ली जाती है तो एस. 4 में विनिर्दिष्ट जहाज घाट शुल्क का 50% लिया जाएगा । इसके अतिरिक्त उक्त माल और कंटेनर के लिए वास्तविक रूप में किए गए परिचालन के लिए उक्त कंटेनर पर अन्य सभी प्रभार लगाए जाएंगे ।				
(iv)	लंगरगाह आगम और उसके उपरांत कंटेनरों की डॉक पर उतराई या चढ़ाई के लिए एस. 11.1 और एस. 11.2 में विनिर्दिष्ट संमिश्र बॉक्स दर केवल एक बार ली जाएगी ।				
(v)	तटीय कंटेनरों के मामले में विदेशी कंटेनरों के लिए छूट की दर एस. 12.1 में विनिर्दिष्ट दरों का 60% होगी ।				
(vi)	आईडब्ल्यूटी कंटेनरों के मामले में, रियायत की दरें विदेशी कंटेनरों के लिए लागू उपर्युक्त एस.12.1 में विनिर्दिष्ट दरों के 4.5 प्रतिशत होंगी। .				
(vii)	क) समेकित बॉक्स दर उनकी प्रणाली के भीतर कंटेनर प्रचालन के लिए प्रत्येक गोदी प्रणाली द्वारा अलग-अलग वसूली की जाएगी, जबतक कि इस दरमान में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है। ख) पोत से/को कंटेनर की ओवरसाइड उतराई/भरण के मामले में, एस.11.1 के अनुसार समेकित बॉक्स दर प्रदत्त नहीं की गई सेवाओं के प्रति एस.12.1 के अधीन रियायतें स्वीकार करने के बाद वसूल की जाएंगी।				
एस.13	कंटेनर के पोतांतरण हेतु प्रभार				
एस.13.1	सामान्य पोतांतरण कंटेनर के मामले में निम्नलिखित दरों पर समेकित प्रभार लिया जाएगा :				

क्रम सं.	विवरण	केडीएस		एचडीसी	
		भरा हुआ (रु. प्रति टीईयू)	खाली (रु. प्रति टीईयू)	भरा हुआ (रु. प्रति टीईयू)	खाली (रु. प्रति टीईयू)
1.	पोतांतरण करें, यदि दोनों लेग विदेशी हों	7059.64	2630.23	6173.17	3111.37
2.	पोतांतरण करें, यदि दोनों लेग तटीय हों	4311.38	1578.14	3703.91	1866.83
3.	पोतांतरण करें, यदि एक लेग विदेशी और दूसरा तटीय हो	5647.70	2104.19	4938.54	2489.10
टिप्पणी:	(i). उपर्युक्त दरों में जहाज घाट शुल्क, पोत से तट पर स्थानांतरण, यार्ड में उतराई सहित जहाज घाट से कंटेनर यार्ड तक परिवहन तथा इसके अनंतर यार्ड में चढ़ाने सहित कंटेनर यार्ड से घाट तथा तट से पोत पर स्थानांतरण शामिल है।				
	(ii). यदि पत्तन द्वारा इनमें से कोई सेवा मुहैया नहीं कराई जाती है तो एस. 12.1 में निर्दिष्ट छूट की दर का 75% अनुमत होगा।				
	(iii). अति आयामीय पोतांतरण कंटेनर के मामले में, दर सामान्य पोतांतरण कंटेनर के लिए दर का 1.25 गुना अधिक होगी।				

एस.14	कंटेनर/कंटेनर पोत को दी गई विविध सेवाओं के लिए प्रभार	
एस.14.1	एस.11, एस. 12 एवं एस. 13 के अंतर्गत शामिल न की गई सेवाओं के लिए भरे/खाली कंटेनर पर निम्नलिखित दरों पर विविध प्रभार लिए जाएंगे:-	
क्रम सं.	सेवाएँ	प्रति टीईयू रु. में दर
1.	क). घाट हैड के रास्ते बोर्ड पर कंटेनरों का स्थानांतरण ख). घाट हैड के रास्ते के बिना बोर्ड पर कंटेनरों का स्थानांतरण जहां पत्तन लेबर तैनात की गई हो। टिप्पणी: i) पत्तन उपस्कर के उपयोग के लिए क्र.सं. 5 और 8 पर यथा विनिर्दिष्ट, जैसी भी स्थिति हो, वसूल किया जाएगा। ii) इन मामलों में समेकित बॉक्स दर अलग से वसूल नहीं की जाएगी।	816.48 419.90
2.	परिवहन/परिचालन हेतु पत्तन ट्रेलर द्वारा कंटेनर का स्थानांतरण एस. 11 और एस. 13 के अंतर्गत किसी प्रभार में शामिल नहीं है -	
	क) एक ही बर्थ/यार्ड के भीतर	349.92
	ख) दो बर्थों/यार्डों के बीच	466.56
3.	रीफर कंटेनर को बिजली की आपूर्ति	174.96 प्रति 4 घंटे अथवा उसका भाग
4.	ट्रेलर/वैगन से/में उठाने/रखने या पत्तन उपस्कर द्वारा रिस्टैकिंग (ट्रेलर द्वारा परिवहन न किया जाना) एस. 11 और एस. 13 में वर्णित सेवाओं या एस. 14 के अंतर्गत अन्य किसी सेवा में शामिल नहीं है।	419.90
5.	एस.11.1, एस.11.2, एस.11.3 तथा एस.13.1 के अधीन शामिल सेवाओं से इतर, जलयान/बार्ज से तट उतराई अथवा विलोमतः अथवाकिसी अन्य ऑन बोर्ड प्रचालन के लिए (हारबर मोबाइल क्रेन/रेल माउंटेड गैन्ट्री क्रेन/200 टन केन्टिलीवर क्रेन से इतर) पत्तन उपस्कर का प्रयोग।	559.87
6.	स्टफिंग/डि-स्टफिंग: (i). जहाँ कंटेनर का भीतरी एवं बाहरी परिचालन पत्तन द्वारा किया जाता है:- (क) जहाँ सीडीबीएल गैंग को बुक करना अपेक्षित है। (ख) जहाँ सीडीबीएल गैंग को बुक करना अपेक्षित न हो तथा भीतरी और बाहरी परिचालन पत्तन मजदूरों द्वारा किया जाता है।	3499.20 349.92

	(ii). जहाँ कंटेनर का भीतरी एवं बाहरी परिचालन पत्तन के अतिरिक्त एजेंसियों द्वारा किया जाता है: - (क) कंटेनर के बाहर का परिचालन पत्तन द्वारा किया जाता है । (ख) कंटेनर के बाहर का परिचालन पत्तन के अतिरिक्त एजेंसियों द्वारा किया जाता है ।	1166.40 145.80
	(iii). जहाँ केवल कंटेनर का भीतरी परिचालन पत्तन द्वारा किया जाता है और किसी सीडीबीएल गैंग का उपयोग नहीं किया जाता ।	174.96
7.	अन्य प्रभारों के अतिरिक्त खतरनाक-1 माल से भरे कंटेनर को फायरमैन का नियोजन करने सहित सेवाएँ प्रदान करने हेतु ।	1166.40
8.	एस.11 और एस. 13 के अंतर्गत शामिल सेवाओं के अतिरिक्त अन्य किसी परिचालन के लिए रेल माउंटेड की क्रेन (आरएमक्यूसी)/मोबाइल हार्बर क्रेन (एमएचसी) का उपयोग ।	972.00
9.	हैच कवर खोलने तथा उसे प्रतिस्थापित करने के लिए मोबाइल हार्बर क्रेन (एमएचसी)/ रेल माउंटेड की क्रेन (आरएमक्यूसी)/अन्य किसी पत्तन उपस्कर का उपयोग ।	2592.00
10.	कंटेनर पर गेट डिलीवरी/प्राप्त प्रभार जिसपर समेकित बॉक्स दर वसूल नहीं की जाती है।	500.00
11.	कंटेनरों की ऑन बोर्ड लैशिंग/डि-लैशिंग, टिवस्ट लॉक लगाना तथा खोलना और अनुषंगी दस्तावेज टिप्पणी: उक्त सेवाएं वैकल्पिक हैं और उपयोक्ता के अनुरोध पर ही प्रदान की जाएगी।	120.00
12.	कट आफ अवधि के बाद प्रवेश करने वाले लदाई कंटेनरों निर्यात के लिए अथवा तैयार रहने के लिए कट आफ अवधि के बाद निर्यात लदाई कंटेनर तैयार रहेंगे	1000.00

खंड 11, 12, 13 & 14 के लिए टिप्पणी

i)	20' से अधिक से लेकर 40' तक लंबे कंटेनरों की लदाई-उतराई के लिए प्रभार/छूट एस. 11, एस. 12, एस. 13 एवं एस. 14 में विनिर्दिष्ट दरों का 1.5 गुना होगी । 40' से ऊपर के कंटेनरों की लदाई-उतराई के लिए प्रभार/छूट एस. 11, एस. 12, एस. 13 एवं एस. 14 में विनिर्दिष्ट दरों का 2 गुना होगी ।
ii)	एस. 11.2 में विनिर्दिष्ट दरें आईसीडीएस के अतिरिक्त रेलवे द्वारा गंतव्य से/तक ले जानेवाले कंटेनरों, जो केओपीटी के माध्यम से उतारे/भेजे जाते हैं, पर लागू होगी ।
iii)	यदि केवल एक परिचालन किया जाता है तो एस. 14 की क्रम सं.9 में विनिर्दिष्ट हैच कवर हैंडलिंग प्रभार दरों का आधा प्रभारित किया जाएगा ।

एस.15 कंटेनर और कंटेनर में रखे गए माल पर भंडारण प्रभार ।

एस.15.1	एस.15.2, एस.15.3, एस.15.5, एस. 15.6 और एस.15.8 में निर्दिष्ट के अतिरिक्त भरे हुए आयात कंटेनर पर निम्नलिखित दर पर भंडारण प्रभार लिया जाएगा :-																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>अवधि</th> <th>प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टीईयू अमरीकी \$</th> <th>प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टीईयू रु. में तटीय दरें</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>उतराई के दिन के बाद के प्रथम 3 दिन</td> <td>निःशुल्क</td> <td>निःशुल्क</td> </tr> <tr> <td>4^थ दिन से 9^थ दिन तक</td> <td>2.70</td> <td>120.47</td> </tr> <tr> <td>10^थ दिन से 15^थ दिन तक</td> <td>5.40</td> <td>240.95</td> </tr> <tr> <td>16^थ दिन से 20^थ दिन तक</td> <td>8.10</td> <td>361.42</td> </tr> <tr> <td>21^थ दिन से 30^थ दिन तक</td> <td>16.20</td> <td>722.84</td> </tr> <tr> <td>31^थ दिन तथा उससे आगे</td> <td>32.40</td> <td>1445.69</td> </tr> </tbody> </table>	अवधि	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टीईयू अमरीकी \$	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टीईयू रु. में तटीय दरें	उतराई के दिन के बाद के प्रथम 3 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	4 ^थ दिन से 9 ^थ दिन तक	2.70	120.47	10 ^थ दिन से 15 ^थ दिन तक	5.40	240.95	16 ^थ दिन से 20 ^थ दिन तक	8.10	361.42	21 ^थ दिन से 30 ^थ दिन तक	16.20	722.84	31 ^थ दिन तथा उससे आगे	32.40	1445.69
अवधि	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टीईयू अमरीकी \$	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टीईयू रु. में तटीय दरें																				
उतराई के दिन के बाद के प्रथम 3 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क																				
4 ^थ दिन से 9 ^थ दिन तक	2.70	120.47																				
10 ^थ दिन से 15 ^थ दिन तक	5.40	240.95																				
16 ^थ दिन से 20 ^थ दिन तक	8.10	361.42																				
21 ^थ दिन से 30 ^थ दिन तक	16.20	722.84																				
31 ^थ दिन तथा उससे आगे	32.40	1445.69																				

एस.15.2	मिशनरीज ऑफ चैरिटी, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ को छोड़कर राहत सामग्री के भरे हुए आयात कंटेनर पर निम्नलिखित दरों पर भंडारण प्रभार लिया जाएगा :-		
	अवधि	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टैईयू अमरीकी \$	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टैईयू रु. में तटीय दरें
	उतराई के बाद के प्रथम 3 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क
	4 ^{वें} दिन से 9 ^{वें} दिन तक	2.70	120.47
	10 ^{वें} दिन से 15 ^{वें} दिन तक	5.40	240.95
	16 ^{वें} दिन से 20 ^{वें} दिन तक	6.48	289.14
	21 ^{वें} दिन से 30 ^{वें} दिन तक	8.10	361.42
	31 ^{वें} दिन तथा उससे आगे	10.80	481.90
टिप्पणी : एस. 15.2 के प्रयोजनार्थ राहत सामग्री का आशय केंद्र सरकार/राज्य सरकार या नेपाल/भूटान सरकार या उनके स्थानीय कौंसल जेनरल के उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा समय-समय पर स्वीकार्य सीएआरई, सीआरएस, डब्ल्यूएफपी तथा अन्य जैसे स्वैच्छिक/राहत संगठनों द्वारा आयात किए गए जहाजी माल से है ।			
एस.15.3	मिशनरीज ऑफ चैरिटी, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के लिए राहत सामग्री के भरे हुए आयात कंटेनर पर निम्नलिखित दरों पर भंडारण प्रभार लिया जाएगा :-		
	अवधि	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टैईयू अमरीकी \$	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टैईयू रु. में तटीय दरें
	उतराई के बाद के प्रथम 30 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क
	31 ^{वें} दिन तथा उससे आगे	10.80	481.90
एस.15.4	आईसीडी कंटेनरों को छोड़कर भरे हुए निर्यात/स्टॉक कंटेनरों पर (काशीपुर के तथा खतरनाक-1 माल से भरे कंटेनर के अतिरिक्त) निम्नलिखित दरों पर भंडारण प्रभार लिया जाएगा :-		
	अवधि	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टैईयू अमरीकी \$	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टैईयू रु. में तटीय दरें
	प्राप्ति/स्टफिंग के बाद के प्रथम 10 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क
	11 ^{वें} दिन से 15 ^{वें} दिन तक	2.70	120.47
16 ^{वें} दिन तथा उससे आगे	3.78	168.66	
एस.15.5	काशीपुर के लिए तथा खतरनाक-1 माल से भरे कंटेनर को छोड़कर भरे हुए आयात/निर्यात आईसीडी कंटेनरों पर निम्नलिखित दरों पर भंडारण प्रभार लिया जाएगा :-		
	अवधि	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टैईयू अमरीकी \$	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टैईयू रु. में तटीय दरें
	उतराई के बाद के प्रथम 20 दिन .	निःशुल्क	निःशुल्क
	21 ^{वें} दिन से 30 ^{वें} दिन तक	2.70	120.47
31 ^{वें} दिन तथा उससे आगे	5.40	240.95	
एस..15.6	खतरनाक-1 माल से भरे आयात/निर्यात/पोतांतरण कंटेनर पर निम्नलिखित दरों पर भंडारण प्रभार लिया जाएगा :-		
	अवधि	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टैईयू अमरीकी \$	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टैईयू रु. में तटीय दरें
	वास्तविक उतराई/प्राप्ति का पहला दिन	निःशुल्क	निःशुल्क
	2 ^{वें} दिन से 9 ^{वें} दिन तक	3.38	150.59
	10 ^{वें} दिन से 15 ^{वें} दिन तक	6.75	301.19
	16 ^{वें} दिन से 20 ^{वें} दिन तक	10.12	451.78
	21 ^{वें} दिन से 30 ^{वें} दिन तक	20.24	903.55
31 ^{वें} दिन तथा उससे आगे	40.50	1807.12	

एस.15.7	खाली कंटेनरों पर निम्नलिखित दरों पर भंडारण प्रभार लिया जाएगा :-		
	अवधि	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टीईयू अमरीकी \$	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टीईयू रु. में तटीय दरें
	उतराई/प्रप्टि/डिस्टफिंग के बाद के प्रथम 3 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क
	4 ^{वें} दिन से 9 ^{वें} दिन तक	2.77	123.48
	10 ^{वें} दिन से 15 ^{वें} दिन तक	5.54	246.97
	16 ^{वें} दिन से 20 ^{वें} दिन तक	8.30	370.46
	21 ^{वें} दिन से 30 ^{वें} दिन तक	11.07	493.94
	31 ^{वें} दिन तथा उससे आगे	16.61	740.92
एस.15.8	खतरनाक-1 माल से भरे कंटेनर को छोड़कर भरे पोतांतरण कंटेनर पर निम्नलिखित दरों पर भंडारण प्रभार लिया जाएगा :		
	अवधि	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टीईयू अमरीकी \$	प्रतिदिन या उसके अंश पर प्रति टीईयू रु. में तटीय दरें
	उतराई के बाद के प्रथम 20 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क
	21 ^{वें} दिन से 30 ^{वें} दिन तक	2.77	123.48
	31 ^{वें} दिन तथा उससे आगे	5.54	246.97
खंड 15 के लिए टिप्पणी :			
1.	निःशुल्क अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश और/अथवा केओपीटी के गैर कार्य दिवस शामिल नहीं किए जाएंगे । सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश और केओपीटी का गैर कार्य दिवस रविवार को न पड़ने पर निःशुल्क समय की गणना के प्रयोजनार्थ रविवार को निकाला नहीं जाएगा । भंडारण प्रभार का उपचित होना आरंभ होने के बाद से सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश या केओपीटी के गैर-परिचालन दिवसों के लिए किसी भत्ते की अनुमति नहीं दी जाएगी ।		
2.	क) 20' से अधिक और 40' लंबाई तक के कंटेनरों पर एस. 15 में विनिर्दिष्ट दरों का दोगुना भंडारण प्रभार लिया जाएगा तथा 40' से अधिक लंबे कंटेनरों पर एस. 15 में विनिर्दिष्ट दरों का तीन गुना भंडारण प्रभार लिया जाएगा। ख) अति आयामीय लदे हुए कंटेनर के मामले में, विलंबशुल्क कंटेनर के तत्संबंधी आकार तथा प्रकार के लिए लागू दर का 2 गुना वसूल किया जाएगा।		
3.	भरे हुए आयात और खाली कंटेनर/पोतलदान कंटेनर(खतरनाक-1 माल से भरे कंटेनर को छोड़कर) का दिन पोत का अंतिम उतराई दिन होगा जिससे किसी एकल सूचना पर किसी निर्दिष्ट डॉक प्रणाली के अंतर्गत कंटेनर का आयात किया जाता है । खतरनाक-1 माल से भरे कंटेनर के लिए भंडारण प्रभार के प्रयोजनार्थ उतराई की तारीख उतराई की वास्तविक तारीख होगी ।		
4.	अंतिम उतराई की तारीख (एलएलडी) वह तारीख है जिस दिन पोत विनिर्दिष्ट डॉक प्रणाली में अपना आयात कार्य पूरा करता है । किंतु, किसी त्रुटि के कारण/पत्तन को बगैर कोई कारण बताए पोत वर्किंग बर्थ में 24 घंटे से अधिक से कार्गो परिचालन कार्य नहीं कर रहा हो तो पोत से निकाले जा चुके कंटेनर के लिए केओपीटी किसी अन्य तारीख की घोषणा कर सकता है ।		
5.	आयात कंटेनरों के लिए निःशुल्क ड्रैव टाइम (भंडारण) अवधि कंटेनरों की उतराई वाले दिन के बाद वाले दिन से शुरू होगी और आयत कंटेनरों के लिए निःशुल्क अवधि कंटेनरों के टर्मिनल में प्रवेश करने के समय से शुरू होगी ।		
6.	डॉक के भीतर स्टाफ किए गए निर्यात भार वाले कंटेनर के मामले में निर्यात माल के साथ स्टाफिंग की शुरुआत की तारीख को एस.15.4 के अनुसार दर का निर्धारण करने हेतु प्रथम दिन माना जाएगा ।		
7.	यदि दिलेवरी के प्रयोजनार्थ आयात लोड कंटेनर की लदाई केओपीटी द्वारा ट्रक/ट्रेलर के प्रवेश करने के 24 घंटे के भीतर नहीं की जाती, जैसाकि केडीएस के एंटी गेट पास (ईजीपी) /एचडीसी में जारी लोडिंग ऑर्डर या केओपीटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जानेवाले ऐसे अन्य दस्तावेजों में उल्लेख है, तो उस अवधि के लिए भंडारण प्रभार पर 75% की छूट की अनुमति दी जाएगी जिस दौरान ये कंटेनर उक्त 24 घंटों के बाद नहीं भरे जाते हैं । उक्त छूट तभी दी जाएगी जब कंटेनर उस जगह से भरा जा रहा हो जहाँ केवल पत्तन उपस्करों का ही उपयोग किया जाता है । उक्त छूट उस समय लागू नहीं होगी जब संपूर्ण दिलेवरी दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के पूर्व आयातकर्ता अग्रिम लोडिंग हेतु आवेदन करता है।		

8.	परित्यक्त एफसीएल कंटेनर/पोतवणिक के स्वामित्ववाले कंटेनरों पर भंडारण प्रभार परित्यक्त होने की लिखित सूचना पाने की तारीख तक या कंटेनर के लोडिंग की तारीख से 75 दिन तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन लगाया जाएगा : -
(क)	(i) परेषिती कभी भी परित्याग पत्र जारी कर सकता है ; या
	(ii) यदि परेषिती उक्त परित्याग पत्र जारी न करने का चयन करता है तो कंटेनर एजेंट/एमएलओ भी परित्याग पत्र जारी कर सकता है बशर्ते,
	(क) लाइन/एमएलओ माल के साथ कंटेनर की अभिरक्षा पुनः ग्रहण करेगा तथा इसे पत्तन के परिसर से वापस लेगा या हटाएगा; और
	(ख) कंटेनर की अभिरक्षा पुनः ग्रहण करने के पूर्व लाइन/एमएलओ माल तथा कंटेनर पर उपचित सभी पत्तन प्रभार अदा करेगा ।
(ख)	कंटेनर एजेंट/एमएलओ आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करेगा तथा परिवहन और डि-स्टफिंग की लागत वहन करेगा । उनके द्वारा निर्धारित अवधि में उक्त कार्रवाई न कर पाने की अवस्था में कंटेनर पर भंडारण प्रभार उस समय तक लिया जाना जारी रहेगा जब तक माल के डि-स्टफिंग या पत्तन परिसर से लोड कंटेनर को हटाने के लिए शिपिंग लाइन्स/एमएलओ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।
(ग)	यदि कंटेनर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ा/जब्त किया जाता है और 75 दिन की निर्धारित समयावधि के भीतर उसकी डि-स्टफिंग नहीं की जा सकती, तो माल के मोचन हेतु सीमा शुल्क आदेश की तारीख से भंडारण प्रभार लागू नहीं होगा बशर्ते लाइन द्वारा आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की जाती हों और परिवहन तथा डि-स्टफिंग की लागत वहन की जाती हो । अन्यथा पकड़े गए/जब्त कंटेनरों को लाइन/परेषिती द्वारा पत्तन परिसर से हटाकर सीमा शुल्क क्षेत्र में रखा जाएगा तथा उस मामले में हटाने की तारीख से भंडारण प्रभार लिया जाना बंद हो जाएगा ।
9.	डॉक पर प्राप्त किंतु उसके उपरांत जहाज द्वारा भेजे न गए निर्यात लोड कंटेनर/स्टॉक कंटेनर/खाली कंटेनर के लिए किसी निःशुल्क अवधि की अनुमति नहीं दी जाएगी । उक्त कंटेनरों के लिए संबंधित प्रकार के कंटेनर के लिए प्रयोज्य प्रथम स्लैब की दर कंटेनर की प्राप्ति की तारीख से लागू होगी और इसके बाद परवर्ती स्लैब दरे यथनिर्धारित लागू होंगी।
10.	यदि डॉक पर प्राप्त निर्यात लोड कंटेनर अंततः डि-स्टफ किया जाता है और माल पत्तन परिसर से वापस लिया जाता है तो उसके लिए कोई निःशुल्क भंडारण अवधि अनुमत नहीं होगी । उक्त कंटेनरों के लिए प्राप्ति की तारीख से स्टफिंग की तारीख तक एस. 15.4 में निर्धारित उच्चतम दर लागू होगी और माल के लिए प्राप्ति की तारीख से डि-स्टफिंग की तारीख के बाद की तारीख से डिलेवरी की तारीख तक एस. 7.6 में निर्धारित दर लागू होगी ।
11.	कंटेनर के डॉक परिसर में मौजूद रहने के दौरान यदि कंटेनर की स्थिति में लोड से खाली या विलोमतः परिवर्तन होता है तो उक्त कंटेनर की निःशुल्क अवधि का हिसाब प्रत्येक स्टेज के लिए अलग से किया जाएगा ।
12.	कंटेनर से डि-स्टफिंग करने पर डि-स्टफिंग की तारीख को छोड़कर माल पर कोई निःशुल्क अवधि नहीं दी जाएगी तथा डि-स्टफिंग की तारीख के बाद वाले दिन से एस.7.2 और एस.7.3, यथास्थिति, के अंतर्गत उपबंधित दर के अनुसार विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा ।
13.	उस अवधि के लिए भंडारण प्रभार उपचित नहीं होगा जिसके दौरान केओपीटी उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर कुछ कारणों से कंटेनर देने की स्थिति में नहीं होगा ।
14.	आईडब्ल्यूटी कंटेनर के लिए विलंबशुल्क के मामले में, तटीय कंटेनर के लिए लागू विलंबशुल्क दर लागू होगी।

भाग-III

विविध प्रभार

एस..16	<u>विविध प्रभार</u>
एस.16.1	विविध सेवाओं के लिए निम्नलिखित दरों पर प्रभार लिए जाएँगे: -

क्रम सं.	विवरण	दर रुपयों में
1.	अल्प उतराई प्रमाणपत्र/आउट टर्न रिपोर्ट या कोई प्रमाणपत्र या संशोधन जारी किया जाना ।	51.84 प्रति प्रमाणपत्र/रिपोर्ट/संशोधन
2.	क) विक्रय की गजट एवं विज्ञापन लागत ।	129.60 प्रति प्रकाशन
	ख) बर्थिंग सूची/संचलन/व्यापार को गेट नोटिस के विक्रय की लागत ।	2.59 प्रत्येक मासिक अंशदान रु. 51.84 प्रत्येक वार्षिक अंशदान रु. 583.20 प्रत्येक
3.	साइडिंग पर वैगनों की लोडिंग/अनलोडिंग का मिलान करने के लिए मिलान करनेवाले स्टाफ की आपूर्ति ।	259.20 प्रति एकसल
4.	लॉरी के अनुरक्षण के लिए स्टाफ की आपूर्ति ।	518.40 प्रति पाली प्रति व्यक्ति
5.	अतिरिक्त मजदूरों का नियोजन (पत्तन का उपयोग करनेवालों की माँग पर) ।	388.80 प्रति पाली प्रति लेबर
6.	पत्तन के रोड वे ब्रिज का उपयोग	5.18 प्रति टन परन्तु न्यूनतम खाली वाहन के लिए रु. 25.92 और लदे हुए वाहन के लिए रु. 51.84
7.	उस जहाजी माल का गेट डिलेवरी / प्राप्ति प्रभार जिस पर जहाज घाट शुल्क नहीं लिया जाता । टिप्पणी: गेट डिलेवरी / प्राप्ति प्रभार उस समय प्रभार्य है जब कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा चढ़ाए-उतारे जाने से संबंधित सेवा मुहैया कराई जाती है ।	29.16 प्रति टन
8.	लोकोमोटिव को किराए पर लेना	3000.00 प्रति घंटा अथवा उसका भाग परन्तु न्यूनतम रु. 12000.00
9.	गैर-कमीशनवाले वैगन या सीएफएस ऑपरेटरों/भारतीय रेल को छोड़कर पार्टों के स्वामित्ववाले वैगन पर स्टैबलिंग प्रभार	14.40 प्रति एकसल प्रतिदिन। ऐसे वैगन लोकोमोटिव के होलेज के लिए किराया प्रभार क्र.सं. 8 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वसूल किया जाएगा।
10.	अतिलंघन, स्थानीय वहन, टर्मिनल प्रभार तथा वैगन किराया/विलंब प्रभार ।	रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित दर वसूल की जाएगी।
11.	केडीएस रेलवे प्रणाली में रेल वैगनों से आनेवाले माल पर समेकित प्रभार ।	
	(क) डॉक/जेटी के अंदर बर्थ/शेड में भरे या खाली कंटेनर न लानेवाले वैगन पर ।	वैगन की चिह्नित क्षमता पर 14.40 प्रति टन
	(ख) साइडिंग या डॉक के बाहर के स्थानों पर भरे या खाली कंटेनर न लानेवाले वैगन पर ।	वैगन की चिह्नित क्षमता पर 42.00 प्रति टन
	(ग) केडीएस के कोल डॉक रोड पर कॉनकॉर सीटीकेआर टर्मिनल पर भरे या खाली कंटेनर लानेवाले वैगन पर ।	630/- प्रति 20' कंटेनर 945/- प्रति 40' कंटेनर
12.	निम्नलिखित पत्तन उपस्करों में से प्रत्येक का किराया प्रभार	
	क) मोबाइल/ रेकिंग क्रेन	5832.00
	ख) फॉर्कलिफ्ट	1944.00
	क्रम सं.	विवरण
	ग) शॉर क्रेन	2332.80
	घ) ट्रैक्टर	972.00

	ड)	ट्रेलर:							
		i) 10 एमटी एसडब्ल्यूएल तक	972.00						
		ii) 10 एमटी एसडब्ल्यूएल से ऊपर	1458.00						
	च)	पे लोडर:							
		i) 1 घ. मी. क्षमता तक	4860.00						
		ii) 1 घ. मी. क्षमता से ऊपर	9720.00						
	छ)	हैंड ट्रक	48.60						
	ज)		2430.00						
	झ)	बुल डॉजर 10 एमटी और उससे अधिक	13608.00						
	ञ)	बुल डॉजर 10 एमटी से कम	6804.00						
	ट)	कैंटिलीवर क्रेन	38880.00						
	ठ)	फ्लॉटिंग क्रेन (30 टन क्षमता से अधिक)	58320.00						
	ड)	टॉपलिफ्ट ट्रक/ रीच स्टैकर	25272.00						
	ढ)	स्प्रेडर (20 फीट)	2916.00						
	(ण)	फायर फ्लॉट्स के अतिरिक्त अग्निशामक उपकरणों और उपस्करों का उपयोग ।	3888.00 प्रति अपाराट्स प्रति घंटा जमा लागत पर उपभोज्य .						
	(त)	एक्सकवेटर्स	1813.00 प्रति घंटा अथवा उसका भाग						
क्र.सं.	विवरण	दर रु. में	क्र.सं.						
13.		<p>किसी एमएचसी बर्थ पर शुष्क बल्क कार्गो की लदाई/उतराई के लिए पोत के बोर्ड पर गैबों तथा पे लोडरों के साथ मोबाइल हारबर क्रेन (एचएमसी) का उपयोग।</p> <p>टिप्पणी:</p> <p>(क). निर्धारित दर दो एमएचसी का उपयोग करते हुए 20000 एम.टी. प्रतिदिन का न्यूनतम उत्पादकता स्तर (एमएलपी) अर्जित करने के लिए आधार दर है।</p> <p>(ख). यदि उत्पादकता एमएलपी से अधिक अर्जित की जाती है तो उपयोक्ता एमएलपी से अधिक प्रहस्तित अतिरिक्त कार्गो पर केवल आधार दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अदा करेगा। अतिरिक्त कार्गो जिसपर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त लेवी परिकल्पित की जाएगी जोकि निम्नवत् है:-</p> <p>कुल कार्गो लादा/उतारा गया - [(एमएलपी x पोत प्रचालनसमय/24]</p> <p>(ग). यदि उत्पादकता एमएलपी से कम अर्जित की जाती है तो निम्नलिखित दरें वसूल की जाएंगी:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>18000 टन से 19999 तक</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>16000 टन से 17999 तक</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>14000 टन से 15999 तक</td> <td>60%</td> </tr> </table>	18000 टन से 19999 तक	90%	16000 टन से 17999 तक	80%	14000 टन से 15999 तक	60%	<p>62.40 प्रति मी.ट. विदेशी कार्गो के लिए</p> <p>37.44 प्रति मी.ट. तटीय कार्गो के लिए</p>
18000 टन से 19999 तक	90%								
16000 टन से 17999 तक	80%								
14000 टन से 15999 तक	60%								
		99							

		14000 टन से कम	40%											
		<p>घ) आकस्मिकता अथवा ट्रेड की आवश्यकता अथवा प्रचालनात्मक कारण जैसे बार्ज/छोटे पोत का प्रहस्तन, की वजह से एमएचसी बर्थ में एक एमएचसी (दो की बजाय) के प्रयोग की वजह से एक गैर-एचएमसी बर्थ पर एक एचएमसी की तैनाती के मामले में, उत्पादकता का निर्धारित न्यूनतम स्तर (एमएलपी) 10000 एमटी प्रतिदिन होगा। उच्चतर उत्पादकता अर्जित करने के लिए लागू दर उपर्युक्त टिप्पणी (ख) के अनुसार होगी। यदि उत्पादकता एमएलपी (10000 मी.ट. प्रतिदिन) से कम अर्जित होती है तो निम्नलिखित दरें वसूल की जाएंगी:-</p> <table border="1"> <tr> <td>प्रति पोत आधार पर वास्तव में अर्जित जलयान बर्थ दिवस आउटपुट</td> <td>आधार दर के प्रतिशत रूप में देय राशि</td> </tr> <tr> <td>9000 टन से 9999 तक</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>8000 टन से 8999 तक</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>7000 टन से 7999 तक</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>7000 टन से कम</td> <td>40%</td> </tr> </table> <p>ड.) किसी कार्गो, शुष्क बल्क कार्गो से इतर, के प्रहस्तन के लिए एमएचसी की तैनाती के मामले में, निर्धारित दर बिना किसी एमएलपी के लागू होगी।</p> <p>च) तटीय कार्गो, कच्चे तेल, पीओएल तथा पीओएल उत्पादों, ताप कोयला, लौह अयस्क तथा लौह अयस्क गुट्टिकाओं से इतर के मामले में विनिर्दिष्ट दरों 60 प्रतिशत की दर पर प्रभार वसूल किए जाएंगे।</p>			प्रति पोत आधार पर वास्तव में अर्जित जलयान बर्थ दिवस आउटपुट	आधार दर के प्रतिशत रूप में देय राशि	9000 टन से 9999 तक	90%	8000 टन से 8999 तक	80%	7000 टन से 7999 तक	60%	7000 टन से कम	40%
प्रति पोत आधार पर वास्तव में अर्जित जलयान बर्थ दिवस आउटपुट	आधार दर के प्रतिशत रूप में देय राशि													
9000 टन से 9999 तक	90%													
8000 टन से 8999 तक	80%													
7000 टन से 7999 तक	60%													
7000 टन से कम	40%													
14.	एचडीसी के भंडारण क्षेत्र /हुक पाइंट पर ड्राई थोक माल का अंबार लगाना/अत्यधिक अंबार लगाना			12.00 प्रति मी.ट;										
15.	क)	क्लिनिंग, ट्रिमिंग, लेबलिंग, लाइम स्प्रेडिंग और वेटमेंट सहित एचडीसी के एमएचसी बर्थों के माध्यम से रेल पर लदे माल की गई उतराई-चढ़ाई/की जानेवाली उतराई-चढ़ाई के लिए प्रेषण संबद्ध सेवाएँ ।		10.80 प्रति मी.ट;										
	ख)	वेटमेंट सहित एचडीसी के एमएचसी बर्थों के माध्यम से सड़क से भेजे जानेवाले माल की गई उतराई-चढ़ाई/की जानेवाली उतराई-चढ़ाई के लिए प्रेषण संबद्ध सेवाएँ ।		7.20 प्रति मी.ट;										
16.	कोकिंग कोल, सभी तरह के कोक, लाइम स्टोन सल्फर, रॉक फास्फेट, सीमेंट और दालों के लदाई-उतराई के लिए क्लिनिंग प्रभार ।			1.30 प्रति मी.ट;										
<p>टिप्पणी:</p> <p>i) केडीएस में कोल डॉक रोड पर कॉनक्रोर सीटीकेआर टर्मिनल पर कंटेनर ढोनेवाले वैगन के लोड होने या अनलोड करने की अवस्था में, 11(ग) में विनिर्दिष्ट समेकित प्रभारों के अतिरिक्त केओपीटी द्वारा उपलब्ध कराई गई रेल संबद्ध सेवाओं के लिए अन्य कोई प्रभार नहीं लगाए जाएंगे ।</p>														

ii)	पत्तन रेलवे ट्रैक पर सीएफएस प्रचालकों के वैगनों की स्टैबलिंग के मामले में लगातार स्टैबलिंग के प्रथम तीन दिन के लिए कोई स्टैबलिंग प्रभार नहीं लिया जाएगा ।	
iii)	केओपीटी द्वारा उपलब्ध कराई जानेवाली सेवाओं पर किसी पोत द्वारा उतारी जानेवाली/भेजी जानेवाली कुल मात्रा पर क्रम सं. 14 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर प्रभारित की जाएगी ।	
iv)	क्र.सं. 16 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पोत द्वारा उतारे/नौभरित की गई कुल मात्रा पर वसूल की जाएगी।	
एस.16.2	वेटमेंट/रिवेटमेंट हेतु वैगन को किसी वे ब्रिज तक ले जाने के लिए, एस. 16.1 के क्रमांक 8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लोकोमोटिव किराया प्रभार लगाता जाएगा । यह समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित रि-वेटमेंट प्रभार के अतिरिक्त होगा।	
एस.16.3	यदि कोलकाता डॉक की रेलवे प्रणाली में आने के बाद अनलोडिंग किए बिना फिर से बुक किया जाता है तो एस. 16.1 की क्रम सं. 11 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समेकित प्रभार केवल एक बार लिया जाएगा ।.	
एस.16.4	यदि निर्यात माल ले जानेवाला वैगन डॉक/जेटी के भीतर के बर्थ/शेड के अतिरिक्त अन्य स्थान पर खाली किया जाता है और उसके अनंतर केडीएस द्वारा जहाज से ले जाया जाता है तो 11(क) में विनिर्धारित कोई समेकित प्रभार नहीं लगाया जाएगा बशर्ते निर्यातकर्ता/उसका एजेंट उक्त शिपमेंट के लिए केओपीटी को स्वीकार्य दस्तावेज प्रस्तुत करे ।	
एस.16.5	अंडमन और केओपीटी के बीच तटीय व्यापार में लगे पोत के लिए एस. 16, क्रमांक 12(ग) में विनिर्धारित शोर क्रेन प्रभार पर 50% के छूट की अनुमति दी जाएगी ।	
एस.16.6	विक्रय के प्रयोजनार्थ किसी माल के मूल्य निर्धारण हेतु केओपीटी द्वारा जहाँ सर्वेक्षक/मूल्यांकक की नियुक्ति की जाती है, वहाँ विक्रय के पूर्व कंटेनर सहित माल को डॉक से हटाए जाने की अवस्था में यदि माल की डिलेवरी उनसे और कंटेनर एजेंट /एमएलओ से ली जाती है तो उक्त मूल्य निर्धारण की लागत आयातकर्ता या उसके क्लियरिंग एजेंट से वसूली जाएगी	
एस.17	परमिट एवं लाइसेंस :	
एस.17.1	डॉक, जेटी, जहाज घाट और घाटों पर, जहाँ भी प्रयोज्य हो, प्रवेश करने या परिचालन करने हेतु परमिट/लाइसेंस जारी करने/नवीकरण करने हेतु निम्नलिखित दरों पर प्रभार लिए जाएँगे :	
क्रम सं.	विवरण	दर रुपयों में
1.	डॉक परमिट प्रति व्यक्ति	6.48 प्रति दैनिक परमिट (अधिकतम 12 घंटे वैधता) 174.96 प्रति मासिक परमिट 486.00 प्रति तिमाही परमिट 2799.36 प्रति बायनियल परमिट t
2.	डॉक परमिट प्रति वाहन/ट्रेलर एवं पोत का गीयर एवं माल ले जानेवाले वाहन के लिए सर्कुलर परमिट (रात्रि ठहराव सहित) ।	32.40 प्रति दैनिक परमिट 2592.00 प्रति वार्षिक परमिट
3.	मोबाइल क्रेन/रीच स्टैकर/टॉपलिफ्टर/डम्पर/पेलोडर के लिए परमिट (रात्रि ठहराव सहित) ।	129.60 प्रति दैनिक परमिट 11664.00 प्रति वार्षिक परमिट
4.	फॉक-लिफ्ट/ ट्रेलर या लादने-उतारने वाला अन्य उपस्कर ले जानेवाले कंटेनर के लिए डॉक परमिट (रात्रि ठहराव सहित) ।	77.76 प्रति दैनिक परमिट 6998.40 प्रति वार्षिक परमिट
5.	कार्ट के लिए डॉक परमिट (रात्रि ठहराव सहित) ।	12.96 प्रति दैनिक परमिट 1425.60 प्रति वार्षिक परमिट
6.	हाकरों/वैडरों के लिए परमिट ।	972.00 प्रति वार्षिक परमिट
7.	पोत कार्मिकों की परमिट बही (50 परमिटवाली) ।	648.00 प्रति पुस्तिका
8.	क्लियरिंग एवं फॉरवार्डिंग एजेंसी लाइसेंस ।	259.20 प्रति लाइसेंस 1 माह के लिए 2799.36.00 प्रति लाइसेंस 1 वर्ष के लिए 6998.40 प्रति लाइसेंस 3 वर्षों के लिए 9331.20 प्रति लाइसेंस 5 वर्षों के लिए
9.	जेटी सरकार का/कूपर लाइसेंस (डॉक प्रविष्टि सहित) ।	155.52 प्रति लाइसेंस 1 माह के लिए

		1399.68 प्रति लाइसेंस 1 वर्ष के लिए 3369.60 प्रति लाइसेंस 3 वर्षों के लिए 4665.60 प्रति लाइसेंस 5 वर्षों के लिए
10.	पोत मरम्मत/पोत शैंडिलिंग/पोत सर्वेक्षण/जेनरल ऑन बोर्ड सर्विसेज (जीओएस)/पोत तुड़ाई लाइसेंस ।	2851.20 प्रति लाइसेंस प्रतिवर्ष
11.	कुलीगिरी का लाइसेंस / लदाई- उतराई एजेंट का लाइसेंस ।	12960.00 प्रति लाइसेंस 2 वर्षों के लिए
12.	केडीएस में पंडा सीट ग्रहण करने हेतु लाइसेंस ।	38.88 प्रति मासिक लाइसेंस
13.	केडीएस में अंतर्देशीय जहाज घाट के किसी भी स्थान पर 1 वर्गफुट जगह ग्रहण करने या अस्थायी निर्माण करने हेतु लाइसेंस ।	7.78 प्रतिदिन . 349.92 प्रति तिमाही
14.	एचडीसी में अंतर्देशीय जहाज घाट के किसी भी स्थान पर 1 वर्गफुट जगह ग्रहण करने या अस्थायी निर्माण करने हेतु लाइसेंस ।	6.48 प्रतिदिन . 194.40 प्रति तिमाही.
15.	एचडीसी/केडीसी के ट्रक टर्मिनल का प्रति ट्रक/लॉरी/ट्रेलर व्यवहार करने हेतु परमिट ।	19.44 प्रतिदिन

एस.17.2	क्षति/हानि की अवस्था में डुप्लिकेट/ट्रिप्लिकेट परमिट/लाइसेंस जारी किए जाने हेतु मूल के लिए प्रयोज्य दर का 50% प्रभारित किया जाएगा । निःशुल्क जारी किए गए परमिट के लिए उक्त प्रभार खंड 17.1 में वैसे ही परमिट/लाइसेंस के लिए निर्धारित दर का 25% होगा ।
एस.17.3	परमिट/लाइसेंस में किसी तरह के संशोधन के लिए खंड 17, क्रम. सं. 1 में उल्लिखित संशोधन प्रभार लिया जाएगा ।
एस.17.4	खंड 17.1 के क्रमांक 9 एवं 10 के अंतर्गत जारी लाइसेंसों के मामले में नवीकरण का आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से कम से कम एक माह पूर्व जमा किया जाएगा । उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पर मूल का 25% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा ।

भाग – IV

पोत तुड़ाई संबंधी प्रभार

एस.18	पोत तुड़ाई प्रभार	
एस.18.1	केओपीटी में पोत तुड़ाई के कार्यकलापों हेतु प्रति एलडीटी 165.60/- रु. की दर से पोत तुड़ाई प्रभार लिया जाएगा।.	
टिप्पणियाँ:		
1.	इस पत्तन के दरमान के किसी खंड के अंतर्गत प्रभार लगने के प्रयोजनार्थ एलडीटी का आशय केओपीटी से पोत तोड़ने की अनुमति प्राप्त करते समय घोषित पोत की एलडीटी से है।	
2.	शिप ब्रेकिंग बर्थ के उपयोग करने के साथ-साथ संलग्न भूमि क्षेत्र (बीचिंग क्षेत्र के साथ) के प्रभार की दर निर्धारित अवधि के लिए 3250 वर्ग मी., जैसा कि नीचे उल्लिखित है, के लिए निम्न है:-	
i)	2000 एलडीटी तक के पोत के लिए	35 दिन
ii)	2001 एलडीटी से 3000 एलडीटी तक के पोत के लिए	40 दिन
iii)	3001 एलडीटी से 5000 एलडीटी तक के पोत के लिए	50 दिन
iv)	5001 एलडीटी से 8000 एलडीटी तक के पोत के लिए	60 दिन
v)	8001 एलडीटी और उससे ऊपर के पोत के लिए	70 दिन
3.	नोट -2 पर उल्लिखित दिन की संख्या उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन को केओपीटी जहाज को तोड़ने के लिए अनुमति प्रदान करता है अथवा जिस दिन जहाज निर्धारित शिप ब्रेकिंग बर्थ पर खड़ा होता है, जो भी बाद में हो।	

एस.18.2	यदि कोई शिप ब्रेकिंग बर्थ किसी शिप ब्रेकर के कब्जे में है तथा वह पहले से तोड़े जा रहे किसी जहाज के तोड़ने का कार्य पूरा होने के पहले कोई अन्य जहाज ले आता है तो उक्त बर्थ के आबंटन में अन्य की तुलना में उस शिप ब्रेकर को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि वह एक जहाज लाया है। ऐसे मामले में दिन की संख्या की गणना एस 18.1, नोट-3 में दिए गए अनुसार किया जाएगा।	
एस.18.3	एस.18.1, नोट-2 में निर्धारित क्षेत्र की परिधि के अतिरिक्त भूमि क्षेत्र के लिए अतिरिक्त प्रभार संबंधित भूमि सूची के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।	
एस.18.4	यदि 29 केपीडी पर कोई अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध न हो तो एस.18, नोट-2 में निर्धारित अवधि को 10 दिनों के लिए बढ़ा दी जाएगी।	
एस.18.5	पोर्ट उपकरण की आपूर्ति, पोर्ट द्वारा बिजली का आपूर्ति, पोर्ट अग्निशमन सेवा का नियोजन एवं पोर्ट अग्निशामक कार्मिकों की सेवा के लिए अलग प्रभार लगाया जाएगा।	
एस.18.6	यदि एस.18.1 या एस.18.4 में निर्धारित अवधि से ज्यादा अवधि के लिए जहाज को तोड़ने का कार्य बढ़ जाता है तो बढ़ी हुई अवधि के लिए निम्नलिखित दर से प्रभार लगाया जाएगा:-	
	दर रुपयों में प्रति एलडीटी प्रतिदिन	
i)	2000 एलडीटी तक के पोत के लिए	11.00
ii)	2001 एलडीटी से 3000 एलडीटी तक के पोत के लिए	10.00
iii)	3001 एलडीटी से 5000 एलडीटी तक के पोत के लिए	8.00
iv)	5001 एलडीटी से 8000 एलडीटी तक के पोत के लिए	7.00
v)	8001 एलडीटी और उससे ऊपर के पोत के लिए	6.00

एस.18.7	एस.18.1 एवं एस.18.4 में निर्धारित अवधि के पूर्व शिप ब्रेकिंग का कार्य पूरा करने पर एस.18.1 में दी गई निर्धारित दर पर प्रत्येक दिन की बचत पर @ 0.5% की दर से अधिकतम 10% की छूट प्रदान की जाएगी।	
एस.18.8	वे जहाज, जो केवल तोड़े जाने के प्रयोजन से कोलकाता पोर्ट में लाए जा रहे हैं, को पोर्ट प्रभार तथा टोवेज एवं पाइलटैज प्रभार से छूट दी जाएगी।	
एस.18.9	जहाज तोड़े जाने के पूर्व प्रतीक्षा की अवधि के लिए बर्थ किराया एवं मूरिंग किराया, जैसी भी स्थिति हो, निम्नलिखित दर पर प्रभारित की जाएगी:-	
i)	प्रथम 5 दिन के लिए -	एस.21.1 या एस. 22.1 में निर्धारित दर का 15%
ii)	अगले 10 दिनों के लिए -	एस.21.1 या एस. 22.1 में निर्धारित दर का 10%
iii)	उसके बाद -	एस.21.1 या एस. 22.1 में निर्धारित दर का 5%

नोट:	तुड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे जहाज का तात्पर्य वैसे जहाज से होगा जो माल/यात्रियों को उतारने के बाद तथा वैसे जहाज जो तुड़ाई के लिए बैलास्ट में पहुंचे हैं, तथा नदी मूरिंग, गोदी मूरिंग या शिप ब्रेकिंग बर्थ के साथ-साथ किसी बर्थ में प्रतीक्षा कर रहा हो एवं जिस दिन केओपीटी उक्त जहाज को तोड़ने की अनुमति प्रधान करता है या जिस दिन उक्त जहाज निर्धारित शिप ब्रेकिंग बर्थ पर लगता है, जो भू पहले हो।
एस.18.10	शिप तोड़े जाने के पूर्व शिप तोड़ने की अनुमति प्राप्त करने के समय एलडीटी के आधार पर गणना किया गया शिप ब्रेकिंग प्रभार शिप तोड़ने का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अग्रिम जमा करना होगा। अतिरिक्त प्रभार, यदि कोई हो, बिल तैयार करने के साथ-साथ तत्काल जमा करना होगा।
एस.18.11	कर, ड्यूटी आदि जो भी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या कोई विधिक/सांविधिक प्राधिकारी द्वारा समय समय पर लगाया जाएगा, उसका भी अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
एस.18.12	केओपीटी में शिप तोड़ने के लिए हामी भरने पर एस.18.1 में निर्धारित दर में निम्न दरों पर छूट दी जाएगी:-
प्रतिवर्ष 10000 एलडीटी तक	शून्य
प्रतिवर्ष 10001 से 25000 एलडीटी तक	5%
प्रतिवर्ष 25001 से 40000 एलडीटी तक	10%
प्रतिवर्ष 40000 एलडीटी से ऊपर	15%

भाग- V

ड्राई डॉक के लिए प्रभार

एस.19	ड्राई डॉक प्रभार						
एस.19.1	डॉक में लाने और डॉक से ले जाने के प्रभार						
पोत का आकार	1 & 2 एन. एस. ड्राई डॉक		1 & 2 के. पी. ड्राई डॉक		3 के. पी. ड्राई डॉक		
	विदेशगामी पोत	तटीय पोत	विदेशगामी पोत	तटीय पोत	विदेशगामी पोत	तटीय पोत	
	अमरीकी डॉलर	रुपया	अमरीकी डॉलर	रुपया	अमरीकी डॉलर	रुपया	
1000 जीआरटी तक	3600	96380.00	3600	96380.00	3600	96380.00	
1000 जीआरटी से ऊपर	3600 + 840 प्रत्येक अतिरिक्त 1000 जीआरटी अथवा उसके भाग के लिए	96380.00 + 18000 प्रत्येक अतिरिक्त 1000 जीआरटी अथवा उसके भाग के लिए	3600 + 840 प्रत्येक अतिरिक्त 1000 जीआरटी अथवा उसके भाग के लिए	96380.00 + 18000 प्रत्येक अतिरिक्त 1000 जीआरटी अथवा उसके भाग के लिए	3600 + 840 प्रत्येक अतिरिक्त 1000 जीआरटी अथवा उसके भाग के लिए	96380.00 + 18000 प्रत्येक अतिरिक्त 1000 जीआरटी अथवा उसके भाग के लिए	
एस.19.2	ड्राई डॉक किराया प्रभार						
i)	पोत के ग्रहण के पहले 10 दिन के दौरान (प्रतिदिन या उसका अंश): -						
		1 & 2 एन. एस. ड्राई डॉक		1 & 2 के. पी. ड्राई डॉक		3 के. पी. ड्राई डॉक	
	पोत का आकार जीआरटी में	विदेशगामी पोत	तटीय पोत	विदेशगामी पोत	तटीय पोत	विदेशगामी पोत	तटीय पोत
		अमरीकी \$	रुपया	अमरीकी \$	रुपया	अमरीकी \$	रुपया
	1000 तक	1200	26400	1080	25200	1080	24000
	1001 से 2000 तक	1320	28800	1200	27600	1080	25800
	2001 से 3000 तक	1440	31200	1320	30000	1080	26400
	3001 से 4000 तक	1560	36000	1440	33600	1080	27000
	4001 से 5000 तक	1680	40800	1560	37200	1080	27600
	5001 से 10000 तक	1920	45600	1680	42000	1080	28800
	10001 एवं उससे अधिक	2160	50400	1800	46800	1080	30000
ii)	पेशा के 11 से 30 दिन : -एस 19.2(i) में उल्लिखित दर का 125% प्रति दन अथवा उसके अंश हेतु						
iii)	पेशा के 30 दिन के अधिक: एस.19.2 (i) में उल्लिखित दर का 150% प्रति दन अथवा उसके अंश हेतु						
iv)	यदि पोत उस अवधि से परे शुष्क गोदी अधिग्रहीत करता है जिसके लिए शुष्क गोदी आबंटित की गई है, अति विराम अवधि के लिए किराया प्रभार निर्धारित दर से दोगुना वसूल किया जाएगा।						
v)	यदि पोत को ड्राई डक की मांग हो किन्तु ड्राई डॉकिंग प्रोग्राम के अनुसार निर्धारित समय पर डक के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रभार नहीं वसूला जाएगा बशर्ते ड्राई डॉकिंग के निरस्तीकरण/स्थगन की संसूचना (डॉकिंग के दिन को छोड़कर) डॉकिंग के निर्धारित समय से 2 दिन पहले दी जाए। ऐसे मामले में विदेशी/तटीय मामले में क्रमशः निरस्तीकरण शुल्क 25 यूएस डॉलर/रु. 1,000/- वसूली जाएगी। तथापि, यदि कोई संसूचना नहीं दी जाती तो 5% अतिरिक्त प्रभार वसूली जाएगी जो ग्रहण किए जाने के प्रथम 10 दिन के दौरान प्रयोज्य दर पर गणना की जाएगी जो सूखी गोदी में पोत द्वारा वास्तविक ग्रहण अवधि नहीं थी।						
एस.19.3	यदि पोत के अपने बनावट के कारण उसे विशेष मील ब्लॉक लगाना आवश्यक हो तो ऊपर के एस.19.2 (i) के अंतर्गत निर्धारित दर पर अतिरिक्त भाड़ा वसूली जाएगी। यह उस अवधि के लिए होगा जो उन विशेष कील ब्लॉक्स के लगाने और हटाने में लगेगा। उपरोक्त के अनुसार ड्राई डॉक के ग्रहण हेतु भाड़ा प्रभार की वसूली प्रयोज्य पीरियड ग्रुप के अनुसार की जाएगी।						
	टिप्पणी: चूंकि सेवा पत्तन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, बाहरी एजेंसी द्वारा विशेष कील ब्लॉक लगाने हेतु, एस.19.3 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार निर्धारित दर प्रयोज्य नहीं होगी। तथापि, एस.19.2. पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार बाहरी एजेंसी द्वारा विशेष कील ब्लॉक लगाने के कार्य के दौरान सूखी गोदी प्रभार प्रयोज्य होंगे।						

एस.19.4	पुनः गोदी के प्रत्येक परिचालन अथवा इस प्रकार की आंशिक गतिविधि हेतु एस.19.1. में निर्धारित गोदी में ले जाना और गोदी से बाहर ले आना की दरों के अनुसार प्रभार लिया जाएगा ।
---------	---

एस.19.5	प्रत्येक ब्लॉक के हटाने या पुनः पूर्व स्थिति में लाने के लिए प्रभारः	
	विदेश-गामी पोतों के लिए	120.75 अमेरिकी डॉलर
	तटीय पोतों के लिए	रु. 3220/-

एस.19.6	पोत के सूखी गोदी में अवस्थान का समय उस समय से माना जाता है जब पोत के प्रवेश के पश्चात कैसों को ठीक अवस्था में रखा जाता है और उस समय तक जब पोत गोदी खाली कर देता है ।
---------	--

एस.19.7	यदि कोई पोत एनएस सूखी गोदी सं. 1 में दूसरे पोत द्वारा दखल करने के कारण एनएस सूखी गोदी सं. 2 में रोका जाता है तो जितने समय के लिए पोत को रुकना पड़ा उस समय के लिए साधारणतः सूखी गोदी के कराए की बजाए एस 22.1 के क्रम सं. 1 में निर्धारित यथोचित मूरिंग प्रभार उगाही जाएगी ।
---------	--

एस.19.8	जब एक से अधिक पोत एक ही सूखी गोदी का प्रयोग कर रहे हैं और एक ही प्रचालन सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रत्येक पोत को एस-19.2 में निर्धारित दर पर 25% की छूट दी जाएगी । यह छूट तब भी लागू होगी जब सूखी गोदी का केओपीटी के पोत के साथ प्रयोग किया जाए ।
---------	---

एस.19.9	सूखी गोदी क्रेन की सेवा मरम्मत तथा अन्य कार्यों के लिए निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध किया जा सकता है: -
---------	---

क्रम सं.	क्रेन की क्षमता	8 घंटे शिफ्ट या उसके अंश में विदेश गामी पोतों के लिए यूएस डालर में दर	विदेश गामी पोतों के अलावा अन्य पोतों के लिए 8 घंटे शिफ्ट या उसके अंश में रु. में दर
1.	25 टन	241.50	4830.00
2.	7 टन	96.60	2585.66
3.	6 टन तक	48.30	1292.83

टिप्पणी: क्रेन की सुविधा कठोर रूप से उपलब्ध होने पर मिलेगी और सूखे गोदी के दखल के लिए या किराए प्रभार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

क्र.19.10	पोत की आपूर्ति की गई बिजली के लिए केओपीटी वास्तविक आपूर्ति का भुगतान करेगा
-----------	--

क्र.20	दरों के मान के भाग VI के अंतर्गत पोत संबंधी प्रभारों में रियायत
---------------	--

S.20.1	दरों के मान के भाग VI में विनिर्दिष्ट के अनुसार केवल सूखी गोदी हेतु पहुंचने वाले पोत पत्तन देय, नौकर्षण व पायलटेज तथा बर्थ भाड़ा/मूरिंग भाड़ा प्रयोज्य दरों के मान के 25% का भुगतान करेंगे ।
--------	--

	तथापि, 1000 जीआरटी तक ऐसे पोतों हेतु बर्थ, गोदी बोया, नदी मूरिंग तथा नदी लंगरे पर पहुंचन की तारीख से पहले 20 दिनों हेतु कोई बर्थ भाड़े/मूरिंग भाड़े की उगाही नहीं की जाएगी । इसी तरह कसी प्रकार के पायलटेज की उगाही नहीं की जाएगी अगर 1000 जीआरटी तक पोत नदी पायलटों की सेवाओं की अपेक्षा किए बना ही पत्तन में प्रवेश करते हैं यथा पत्तन से रवाना होते हैं, ऐसा भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 31 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की गई छूट की शर्तों के मुताबिक है ।
--	---

क्र.20.2	कार्गो डिस्चार्ज/यात्री के जहाज से उतरने के बाद सूखी गोदी सुविधाएँ लेने वाले पोत बर्थ भाड़ा/मूरिंग भाड़ा दरों के मान के भाग VI में विनिर्दिष्ट के अनुसार प्रयोज्य दरों क मान के 25% का भुगतान करेंगे, ऐसा शिफ्ट से शिफ्ट तक तब होगा जब कि सूखी गोदी हेतु पोत तैयार रहेंगा ।
----------	---

S.20.3	शिफ्टिंग प्रभार, अगर पोतों की शिफ्टिंग हेतु प्रयोज्य हो तो दरों के मान के भाग VI में विनिर्दिष्ट के अनुसार प्रयोज्य दरों क मान के 25% की उगाही की जाएगी ।
--------	---

भाग - VI

विदेश व्यापार में लगे हुए पोतों तथा सामुद्रिक व्यापार में लगे हुए पोतों संबंधी प्रभार

क्र.21	बर्थ भाड़ा	
क्र.21.1	गोदी बर्थ/नदी तट जेटी के पोतों पर बर्थ भाड़े की निम्नलिखित दरों पर उगाही की जाएगी:	
	क्र. सं.	पोत का विवरण
		प्रति घंटा प्रति जीटीआर दर
	1.	विदेश व्यापार में लगे तथा क्र. सं. 4 में विनिर्दिष्ट के अलावा पोत
		0.345 सेंट परन्तु न्यूनतम 8.28 अमेरिकी डॉलर

	2.	अंदमान तथा केओपीटी के बीच चलने वाले और क्र.सं. 4 में विनिर्दिष्ट के अलावा सामुद्रिक व्यापार में लगे हुए पोत	रु. 0;0524 परन्तु न्यूनतम रु. 124.20/- प्रति घंटा
	3.	अंदमान तथा केओपीटी के बीच सामुद्रिक व्यापार में लगे हुए पोत	रु. 0.0372 परन्तु न्यूनतम रु. 37.26/- प्रति घंटा
	4.	प्रदर्शनी पोत के मामले में उपर्युक्त क्र.सं. 1 व 2 में विनिर्दिष्ट दरों की मामले अनुसार उगाही	
नोट:			
	i)	अगर पत्तन को नहीं आरोप्य किए कारणों से छुट्टी के दन कार्य करने हेतु बुक किया गया कोई पोत काम नहीं करता है तो ऐसी बुकिंग के सामने जिन शिफ्टों में इसने काम नहीं किया उसके लिए बर्थ भाड़े की क्रम. 21.1 में विनिर्दिष्ट दरों से दुगुनी उगाही की जाएगी।	
	ii)	जब भी कसी बर्थ को लेते हुए कोई पोत दोहरे/तिहरे होकर किसी दूसरे समुद्रगामी पोत के पीछे किनारे पर खड़े हों तो गैर-कार्यशील स्थिति में पोत के न होने पर उपर्युक्त विनिर्दिष्ट बर्थ भाड़ा प्रभार की 50% की दर से दोहरा/तिहरा प्रभार लिया जाएगा।	
	iii)	एचडीसी पर या किसी अन्य नदी तटीय जेटी पर या जहाज से उतरने के स्तर पर या मूरिंग के स्तर पर बार्ज जेटी/लंगरगाह जेटी दखल करते हुए मस्ययन जलपोत हेतु प्रति घंटा रु 17.25 की उगाही की जाएगी।	
	iv)	अगर कोई पोत पत्तन उपकरण की अनुपलब्धता या ब्रेक डाउन, या केओपीटी में बिजली चली जाने से या केओपीटी को आरोप्य कसी अन्य कारण से अचल हो जाता है पोत के अचल होने की अवधि के दौरान प्रोद्भूत बर्थ भाड़ा प्रभार के समकक्ष छूट की स्वीकृति दी जाएगी।	
एस.21.2	प्राथमिकता/आउस्टिंग प्राथमिकता प्रभार		
	प्राथमिकता/आउस्टिंग प्राथमिकता के अनुसार पोतों हेतु बर्थग प्रभार की उगाही दरों के मान के क्र.21.1 के अनुसार बर्थ भाड़ा प्रभारों सहित निम्नलिखित दरों पर की जाएगी ।		
	प्राथमिकता	बर्थ भाड़ा प्रभार के 75% के समकक्ष प्रभार जिसकी गणना बर्थ पर वास्तविक रूप से ठहरने की कुल अवधि हेतु की जाएगी बशर्ते कि न्यूनतम एक दन का बर्थ भाड़ा प्रभार हो ।	
	आउस्टिंग प्राथमिकता बर्थिंग	बर्थ भाड़ा प्रभार के 100% के समकक्ष प्रभार जिसकी गणना बर्थ पर वास्तविक रूप से ठहरने की कुल अवधि हेतु तथा क्र. 24.11 के अंतर्गत दरों पर आउस्टेड पोतों के 'अंदर स्थानांतरण' तथा 'बाहर स्थानांतरण' हेतु शिफ्टिंग प्रभार ।	
	नोट	उपर्युक्त प्रभार (प्रायोरिटी /आउस्टिंग प्रायोरिटी) निम्नलिखित कोटियों के लिए प्रभारित नहीं होंगे :-	
	i)	सुरक्षा कार्गो ढोनेवाले, सुरक्षा प्राधिकारी द्वारा सीधे किराए पर लिए (इसके लिए सुरक्षा प्राधिकारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे) गए वेसल ।	
	ii)	गुडविल विजिट पर आनेवाले सुरक्षा वेसल।	
	iii)	महासागर विकास विभाग द्वारा अंटार्कटिका यात्रा के लिए किराए पर लिए गए वेसल ।	
	iv)	जहाजरानी मंत्रालय द्वारा विशेष छूट प्राप्त अन्य कोई भी वेसल ।	
	v)	विशिष्ट कार्गो ढोनेवाले , सामान्य नीति के तहत अनुरूप कार्गो के हैंडलिंग हेतु आरक्षित बर्थ में रखे गए वेसल के लिए 'प्रायोरिटी /आउस्टिंग प्रायोरिटी' प्रदान करने के एवज में कोई शुल्क प्रभारित नहीं होता है । तथापि, जब भी निर्दिष्ट कोटि के अंतर्गत कार्गो वाले वेसल को 'प्रायोरिटी/आउस्टिंग प्रायोरिटी ' दिया जाएगा, पोर्ट 'प्रायोरिटी/आउस्टिंग प्रायोरिटी ' प्रदान करने का, जो भी स्थिति हो, शुल्क की वसूली करेगा । किसी बर्थ पर किसी विशेष यूजर को विशिष्ट सुविधा दिए जाने पर 'प्रायोरिटी/आउस्टिंग प्रायोरिटी ' प्रदान किए जाने का शुल्क प्रभार्य होगा । यह शुल्क अन्य वेसल पर भी प्रभार्य होगा यदि यूजर विशेष को विशेष सुविधा देते हुए 'प्रायोरिटी/आउस्टिंग प्रायोरिटी ' प्रदान कर बर्थ में वेसल रखने की अनुमति दी गई हो ।	
	vi)	'प्रायोरिटी/आउस्टिंग प्रायोरिटी ' प्रदान करने का शुल्क उन वेसल से भी नहीं लिया जाता है, 'प्रायोरिटी/आउस्टिंग प्रायोरिटी ' की विशेष अनुमति प्राप्त होते हुए भी जो वेसल सामान्य तौर पर अपनी पारी से बर्थ किए जाते हैं ।	
	vii)	'प्रायोरिटी/आउस्टिंग प्रायोरिटी ' प्रदान करने का शुल्क उन वेसल से भी नहीं लिया जाता है, जो सरकारी अनुमोदन पर दीर्घवधिक लीज पर दिए गए बर्थ पर ठहराए जाते हैं एवं लेस्सी के खाते पर होते हैं । तथापि, अन्य उपयोक्ता के खाते पर लीजवाले बर्थ पर 'प्रायोरिटी/आउस्टिंग प्रायोरिटी 'की सुविधा प्राप्त कर वेसल बर्थ किए जाने से यह शुल्क प्रभारित किया जाता है ।	

एस.22	मूरिंग / एंकरेज
एस.22.1	जब वेसल को कडीएस /एचडीसी के डॉक बाँय / रिवर मूरिंग या अन्य किसी मूरिंग / एंकरेज में मूर /एंकर किया जाता है तो निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किए जाते हैं :-

क्र. सं.	वेसल का विवरण एवं कब्जा का विवरण	दर – प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका अंश – विदेशी व्यापार में लगे वेसल के लिए (यू एस करेंसी में)	दर – प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका अंश – तटीय व्यापार में लगे वेसल के लिए (रुपए में)
1.	किसी डॉक बाँय में मूर किए गए वेसल	0.166 सेंट	रु. 0.028
2.	किसी रिवर मूरिंग / अन्य किसी मूरिंग में मूर किए गए वेसल	0.083 सेंट	रु. 0.0138
3.	किसी रिवर एंकर या अन्य किसी एंकर में एंकर किए गए वेसल	0.048 सेंट	रु. 0.0069
एस.23	विविध:		
एस.23 .1	विविध सेवाओं के लिए वेसल से निम्नलिखित दरों पर प्रभार वसूले जाएंगे :		
क्र. सं.	सेवाएं	विदेशी व्यापार में लगे वेसल के लिए (यू एस डॉलर में)	तटीय व्यापार में लगे वेसल के लिए (रुपए में)
1.	मांग पर विशेष कार्य हेतु लांच	138 प्रति घंटा	4554.00 प्रति घंटा
2.	फायर फ्लोट का किराया	1380.00 प्रतिदिन	45540.00 प्रतिदिन
3.	स्क्रीन डायवर / गैस मास्क डायवर का किराया	13.80 प्रति घंटा	455.40 प्रति घंटा
4.	ड्रेस डायवर का किराया	276.00 प्रति घंटा	9188.00 प्रति घंटा
5.	डायविंग संबंधी कार्य हेतु नियुक्त अतिरिक्त श्रमिक	4.14 प्रति आदमी घंटा	136.62 प्रति आदमी घंटा
6.	स्वच्छ जल की आपूर्ति :		
	क)पाइपलाइन के द्वारा	7.73 प्रति 1000 लिटर	255.09 प्रति 1000 लिटर
	ख) वाटर बार्ज के द्वारा	9.66 प्रति 1000 लिटर	318.78 प्रति 1000 लिटर
7.	बिजली की आपूर्ति	0.359 प्रति इकाई जमा 43.12 अमेरिकी डॉलर का संस्थापन प्रभार	11.85 प्रति इकाई जमा रु. 500.00 का संस्थापन प्रभार
8.	यात्री वाहक वेसल के लिए अतिरिक्त प्रभार	200 प्रति पूर्ण नौचालन अथवा 100.00 प्रत्येक लैंग के लिए	6900.00 प्रति पूर्ण नौचालन अथवा 3450.00 प्रत्येक लैंग के लिए
9.	गोदी/तेल जेट्टियों/बार्ज जेट्टियों/आईडब्ल्यूआई जेट्टी/कोई अन्य जेट्टी अथवा हल्दिया लंगरगाह तक लंगरगाह प्वाइंट में फेन्डरों के जाने-आने सहित) न्यूमेटिक फेन्डर उपलब्ध करवाने के लिए सेवा। टिप्पणी: यदि फेन्डरों को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से इतर किसी स्थान में तैनात किए जाने की अपेक्षा होती है तो फेन्डरों के उपयोग के स्थान पर जाने तथा वापिस परिवहन के लिए अतिरिक्त वसूल किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे मामले में, फेन्डरों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त गारंटी केओपीटी को भेजने की आवश्यकता हो सकती है।	100 प्रति फेन्डर प्रतिदिन	3300.00 प्रति फेन्डर प्रतिदिन

एस.23 .2	एस.23 .1 (1 से 5) के अंतर्गत किसी मांग के निरसन के लिए उस सेवा विशेष पर प्रयोज्य दर का 10% शुल्क प्रभारित किया जाएगा।												
एस.23 .3	पी ओ एल टैंकर/ केओपीटी में हैंडल किए जानेवाले अन्य वेसल के बैलास्ट-वाटर ट्रिटमेंट के लिए निम्नलिखित दर पर शुल्क प्रभारित होगा: -												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वेसल का आकार</th> <th>विदेशी व्यापार में लगे वेसल के लिए (यू एस डॉलर में)</th> <th>तटीय व्यापार में लगे वेसल के लिए (रुपए में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वेसल 5000 जीआरटी तक</td> <td>662.40 प्रति पोत</td> <td>21859.20 प्रति पोत</td> </tr> <tr> <td>वेसल 5000 जीआरटी से 20000 जीआरटी तक</td> <td>1242.00 प्रति पोत</td> <td>40986.00 प्रति पोत</td> </tr> <tr> <td>वेसल 20000 जीआरटी से अधिक</td> <td>6210.00 प्रति पोत</td> <td>204930.00 प्रति पोत</td> </tr> </tbody> </table>	वेसल का आकार	विदेशी व्यापार में लगे वेसल के लिए (यू एस डॉलर में)	तटीय व्यापार में लगे वेसल के लिए (रुपए में)	वेसल 5000 जीआरटी तक	662.40 प्रति पोत	21859.20 प्रति पोत	वेसल 5000 जीआरटी से 20000 जीआरटी तक	1242.00 प्रति पोत	40986.00 प्रति पोत	वेसल 20000 जीआरटी से अधिक	6210.00 प्रति पोत	204930.00 प्रति पोत
वेसल का आकार	विदेशी व्यापार में लगे वेसल के लिए (यू एस डॉलर में)	तटीय व्यापार में लगे वेसल के लिए (रुपए में)											
वेसल 5000 जीआरटी तक	662.40 प्रति पोत	21859.20 प्रति पोत											
वेसल 5000 जीआरटी से 20000 जीआरटी तक	1242.00 प्रति पोत	40986.00 प्रति पोत											
वेसल 20000 जीआरटी से अधिक	6210.00 प्रति पोत	204930.00 प्रति पोत											
एस.23 .4	एस.23 .3 के अंतर्गत किसी मांग के निरसन के लिए उस सेवा विशेष पर प्रयोज्य दर का 20% शुल्क प्रभारित किया जाएगा।												

एस.24	वेसल का टोवेज एवं पायलटेज				
एस.24 .1	सैंडहेड से कोलकाता डॉक सिस्टम या हल्दिया डॉक कंप्लेक्स के किसी स्थान पर सीधे या इनवार्ड जर्नी के समय किसी अन्य स्थान से होते हुए पायलटिंग तथा पुनः सीधे या आउटवार्ड जर्नी के समय सैंडहेड तक लौटने में पायलटिंग शुल्क निम्नलिखित दर से प्रभारित होगा :-				
	क्र.सं.	विवरण	30000 जीआरटी तक के लिए	30000 से अधिक एवं 60000 तक जीआरटी के लिए	60000 से अधिक जीआरटी के लिए
	1	विदेशी व्यापार में लगे वेसल	74.003 सेंट परन्तु न्यूनतम 1610 अमेरिकी डॉलर	22200.90 अमेरिकी डॉलर +59.202 सेंट प्रति जीआर 30001 से 60000 जीआरटी तक	39961.50 अमेरिकी डॉलर + 51.801 सेंट प्रति जीआरटी 60000 से अधिक जीआरटी पर
	2	तटीय व्यापार में लगे वेसल	रु. 13.662 प्रति जीआरटी परन्तु न्यूनतम रु. 29900.00	रु. 409860.00 + रु. 10.9296 प्रति जीआरटी 30001 से 60000 जीआरटी पर	रु. 737748.00+ रु. 9.5634 प्रति जीआरटी 60000 से अधिक जीआरटी पर
	3	केवल अंदमान और केओपीटी के बीच चलनेवाले वेसल	रु. 13.029 प्रति जीआरटी परन्तु न्यूनतम रु. 13156.00	रु. 390733.00 + रु. 10.419 प्रति जीआरटी 30001से 60000 जीआरटी पर	रु. 703251.45 + रु. 9.108 प्रति जीआरटी 60000 से अधिक जीआरटी पर
एस.24 .2	सैंडहेड से वास्तविक जेटी या सागर /डायमंड हार्बर एंकरेज अथवा डायमंड हार्बर से नीचे किसी अन्य रिवर एंकरेज तथा लौटने के लिए, लेकिन कोलकाता डॉक सिस्टम या हल्दिया डॉक कंप्लेक्स के किसी स्थान में पायलटेज की आवश्यकता नहीं हो तो पायलटेज में ऊपर एस.24.1 में निर्दिष्ट दर पर 25% की छूट की अनुमति है।				
एस.24 .3	सैंडहेड से केवल हल्दिया एंकरेज तथा तथा लौटने के लिए, लेकिन कोलकाता डॉक सिस्टम या हल्दिया डॉक कंप्लेक्स के किसी स्थान में पायलटेज की आवश्यकता नहीं हो तो पायलटेज में एस.24.1 में निर्दिष्ट दर पर 20% की छूट की अनुमति है।				
एस.24 .4	इनवार्ड और आउटवार्ड जर्नी के लिए एस.24.1 में निर्दिष्ट दर का 50% प्रयोज्य होगा।				
एस.24 .5	इंडियन पोर्ट एंक्ट, 1908 के सेक्शन 31 के उपबंधों के तहत निदेशक, मेरिन विभाग से रिवर पायलट की सेवाओं से छूट की स्वीकृति प्राप्त कर प्रवेश करनेवाले और निकलनेवाले वेसल पर इनवार्ड जर्नी या आउटवार्ड जर्नी, स्थिति जो भी हो, के लिए न्यूनतम शुल्क सहित ऊपर लिखित दरों में 30% की छूट दी जाएगी।				
एस.24 .6	एलएएसएच वेसल के मामले में उपर्युक्त दर में बजरो की बर्थिंग एवं फ्लिटिंग शुल्क भी शामिल है।				
एस.24 .7	टोविंग टग/ लांच, यदि हो, सहित फिशिंग ट्रालर / विदेशी बजरा / तटीय बजरा के पायलटिंग हेतु ऊपर एस.24.1 तथा एस.24.4 में उल्लिखित दरों, जो भी स्थिति हो, का 50% प्रभारित किया जाएगा।				
एस.24 .8	जब कोई वेसल एक ही वॉयज में कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक कंप्लेक्स में आता है तो इनवार्ड जर्नी के लिए शुल्क वह डॉक सिस्टम वसूलेगा जहाँ वेसल पहले आता है और आउटवार्ड जर्नी के लिए दूसरा डॉक सिस्टम शुल्क की वसूली करेगा।				

एस.24.9	एचडीसी एवं बज बज /सागर/ डायमंड हार्बर/ रायचक या केडीएस के किसी स्थान पर वेसल की आवाजाही के लिए, बशर्ते यह एस.24.1 में यथानिर्दिष्ट इनवार्ड या फारवर्ड जर्नी का हिस्सा नहीं होता हो, तो प्रत्येक मूवमेंट के लिए टोवेज तथा पायलटेज एस.24.1 में उल्लिखित दर का 40% होगा और वही डॉक वसूलेगा जहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी।
एस.24.10	केडीएस और एचडीसी विजिट करने के बाद जब किसी वेसल को कार्गो/कंटेनर के कार्य हेतु अन्य डॉक सिस्टम में न जाते हुए सैंडहेड में जाने की आवश्यकता हो तो पूरे बॉयज के लिए टोवेज तथा पायलटेज एस.24.1 में निर्दिष्ट दर का 1.5 गुणा होगा। उक्त 50% अतिरिक्त टोवेज तथा पायलटेज की वसूली वह डॉक सिस्टम करेगा जहाँ वेसल सैंडहेड होते हुए अंतिम रूप से पहुँचता है।

24.11	शिफ्टिंग शुल्क		
	पोर्ट की सुविधा को छोड़कर, वेसल की शिफ्टिंग के लिए निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रयोज्य होंगे :-		
	क्र.सं.	शिफ्टिंग का प्रकार	प्रत्येक शिफ्टिंग के लिए दर प्रति जीआरटी
			विदेशी व्यापार में लगे वेसल के लिए (यू एस डॉलर में)
			तटीय व्यापार में लगे वेसल के लिए (रुप में)
	a)	केवल केडीएस और एचडीसी के अंदर	13.80 सेंट परन्तु न्यूनतम 138.00
	b)	केडीएस और एचडीसी के बीच	16.56 सेंट परन्तु न्यूनतम 165.60
	नोट:		
	i) केडीएस से एचडीसी तक वेसल की शिफ्टिंग या इसके विपरीत, जो एस.24.1 में यथानिर्दिष्ट इनवार्ड/ फारवर्ड जर्नी का हिस्सा हो, तो उपर्युक्त दर पर शुल्क लिया जाएगा एवं प्रत्येक डॉक सिस्टम 50% शुल्क की वसूली करेगा।		
	ii) पोर्ट की सुविधा हेतु वेसल की शिफ्टिंग किए जाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।		
	उक्त प्रयोजनार्थ पोर्ट की सुविधा का अर्थ निम्नलिखित है :-		
	i)	सेलिंग और / या बर्थ की ओर शिप को ले जाने के लिए डबल-बैंकड शिप की शिफ्टिंग करना।	
	ii)	जो शिप शिफ्टिंग चार्ज दे रहा हो एवं आउस्टिंग प्रायोरिटी प्राप्त हो तो उस शिप की सुविधा के लिए किसी वर्किंग बर्थ से दूसरे वर्किंग बर्थ में शिफ्टिंग करना। आनेवाली शिप को प्रायोरिटी चार्ज की छूट प्राप्त हो और संगत शिप बर्थ पर बेकार या कार्गो हैंडलिंग कार्य के बिना पड़ा न हो तो ऐसी स्थिति में शिफ्टिंग को 'पोर्ट की सुविधा' माना जाएगा।	
	iii)	एमओयू प्रायोरिटी वाले शिप की सुविधा के लिए वर्किंग बर्थ से दूसरे स्थान पर शिप को ले जाना, बशर्ते उसी एमओयू के अंतर्गत वह प्रायोरिटी मानदंड को पूरा करता हो जिसके अंतर्गत दूसरी शिप को सुविधा मिली हो।	
	iv)	एमओयू वाले बर्थ के दूसरी शिप (उसी एमओयू के अंतर्गत सुविधाप्राप्त शिप को छोड़कर) द्वारा उपयोग में लाने के कारण एमओयू सुविधा सहित आनेवाली शिप को एमओयू वाले बर्थ से अलग बर्थ का एलॉटमेंट कर शिफ्टिंग किया जाना।	
	v)	कार्गो प्रायोरिटीप्राप्त शिप की सुविधा के लिए शिप को किसी वर्किंग बर्थ से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना। वेसल की कार्गो अग्रता का अर्थ है विशिष्ट कार्गो वहन करनेवाली शिप को बर्थ विशेष में हैंडल किया जाना।	
	vi)	अग्रताप्राप्त किसी अन्य वेसल की सुविधा के लिए शिप को पास के बर्थ में शिफ्टिंग करना एवं जबतक वेसल को शिफ्ट न किया जाए दूसरा वेसल पासवाले बर्थ में लंबाई या दूसरे तकनीकी कारण से बर्थ नहीं किया जा सकता है।	
	vii)	बर्थ की ड्रेजिंग, मरम्मत एवं रख-रखाव या पोर्ट के समरूप किसी अन्य कार्य के लिए शिप को एक बर्थ/स्थान से किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना।	
	viii)	बीच में दूसरी शिप को ठहराने के लिए कार्यरत शिप की पुनर्व्यवस्था हेतु एक बर्थ/स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना।	
	ix)	तूफानी मौसम की वजह से अन्य कार्यरत शिप को अपने स्थान पर कार्य नहीं कर पाने के कारण उसके स्थान पर ठहराने के लिए शिप की शिफ्टिंग करना।	
	x)	उपयुक्त तरंग या एजेंट द्वारा पायलट की बुकिंग व्यवस्था के बावजूद पायलट उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्गो कार्य के पूरा होने के बाद बर्थ से प्रतीक्षा स्थान पर शिप की शिफ्टिंग करना।	
	xi)	प्रतीक्षारत शिप (अग्रता पर लाए गए शिप सहित एवं एजेंट के अनुरोध पर विपत्तिग्रस्त शिप को छोड़कर) की वर्किंग बर्थ में शिफ्टिंग।	
	xii)	एमएचसी की खराबी की वजह से केडीएस में कंटेनर शिप की किसी एमएचसी बर्थ से गैर-एमएचसी बर्थ में शिफ्टिंग करना।	
	xiii)	केडीएस के सीपीवाई में जमा हुए निर्यात को रखने के लिए किअंटेनर शिप का गैर-सीपीवाई बर्थ से सीपीवाई बर्थ में शिफ्टिंग करना।	

	xiv) एमएचसी की खराबी के कारण किसी शिप का एक एमएचसी बर्थ से दूसरे एमएचसी बर्थ में शिफ्टिंग करना ।																					
एस.24 .12	एजेंट / शिप के मालिक/ किराए पर लेनेवाले द्वारा बर्थ/बॉय/ रिवर मूरिंग/ एंकरेज से ढुलाए अवधि के लिए निर्धारित समय से 24 घंटा पहले पायलट की बुकिंग कैंसिल करवाने से विदेशी व्यापार और तटीय व्यापार में लगे वेसल पर क्रमशः प्रति कैंसिलेशन 241.50 अमेरिकी डॉलर अथवा रु. 6302/- की दर से निरसन शुल्क प्रभारित किया जाएगा । पायलट/ टग की अनुपलब्धता या कार्यक्षम नहीं होने के कारण गेट बंद होने या पोर्ट को मान्य अन्य किसी कारण से पायलट बुकिंग के कैंसिलेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ।																					
एस.24 .13	ट्रायल पर वेसल की गार्डेन रीच तक और उससे ऊपर तक पायलटिंग के लिए रु.11500 की दर से तथा गार्डेन रीच से नीचे पायलटिंग के लिए रु.28750 की दर से शुल्क प्रभारित किया जाएगा ।																					
एस.24 .14	सैंडहेड पर लाइटरिंग ऑपरेशन करने के लिए मदर वेसल के लिए, विदेशगामी वेसल के लिए प्रति जीआरटी 5.75 एवं तटीय वेसल के लिए प्रति जीआरटी रु.1.54 की दर से समेकित शुल्क (एंकरेज सहित लेकिन सेक्शन 24 के अनुसार पोर्ट ड्यूज छोड़कर) प्रभारित होगा । मदर वेसल से कार्गो डिसचार्ज कर दूसरे पोर्ट में जानेवाले सहायक वेसल के लिए वही दर लागू होगी ।																					
एस.24 .15	एस.24.1, एस.24.4, एस.24 .9 एवं एस.24.13 के अंतर्गत निर्धारित दरों में टग/ लांचर्स एवं वेसल के मूरिंग / अनमूरिंग एवं यथावश्यक टर्निंग सर्विसेज, शिप मालिक/ एजेंट/ किराएदार की विशेष मांग पर अतिरिक्त टग या लांचर सेवा उपलब्ध कराए जाने की स्थिति को छोड़कर, शामिल हैं ।																					
एस.24 .16	शिप मालिक/ एजेंट/ किराएदार की मांग पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट टग/ डिसचार्ज वेसल/ सर्वे वेसल/ एंटीपॉल्यूशन वेसल आदि के उपयोग के लिए निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किए जाएंगे :-																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="383 853 459 936">क्र.सं.</th> <th data-bbox="459 853 699 936">विवरण</th> <th data-bbox="699 853 1086 936">विदेशी व्यापार में लगे वेसल के लिए (यू एस डॉलर में)</th> <th data-bbox="1086 853 1520 936">तटीय व्यापार में लगे वेसल के लिए (रुपए में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="383 936 459 1014">i)</td> <td data-bbox="459 936 699 1014">1000 आईएचपी से अनधिक वेसल के लिए</td> <td data-bbox="699 936 1086 1014">276.00 डॉलर प्रति घंटा परन्तु न्यूनतम 828.00 डॉलर प्रति प्रचालन</td> <td data-bbox="1086 936 1520 1014">7176.00 प्रति घंटा परन्तु न्यूनतम 21528.00 प्रति प्रचालन</td> </tr> <tr> <td data-bbox="383 1014 459 1093">ii)</td> <td data-bbox="459 1014 699 1093">1000 आईएचपी से अधिक वेसल के लिए</td> <td data-bbox="699 1014 1086 1093">345.00 डॉलर प्रति घंटा परन्तु न्यूनतम 1035.00 डॉलर प्रति प्रचालन</td> <td data-bbox="1086 1014 1520 1093">8970.00 प्रति घंटा परन्तु न्यूनतम 26910.00 प्रति प्रचालन</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	विदेशी व्यापार में लगे वेसल के लिए (यू एस डॉलर में)	तटीय व्यापार में लगे वेसल के लिए (रुपए में)	i)	1000 आईएचपी से अनधिक वेसल के लिए	276.00 डॉलर प्रति घंटा परन्तु न्यूनतम 828.00 डॉलर प्रति प्रचालन	7176.00 प्रति घंटा परन्तु न्यूनतम 21528.00 प्रति प्रचालन	ii)	1000 आईएचपी से अधिक वेसल के लिए	345.00 डॉलर प्रति घंटा परन्तु न्यूनतम 1035.00 डॉलर प्रति प्रचालन	8970.00 प्रति घंटा परन्तु न्यूनतम 26910.00 प्रति प्रचालन									
क्र.सं.	विवरण	विदेशी व्यापार में लगे वेसल के लिए (यू एस डॉलर में)	तटीय व्यापार में लगे वेसल के लिए (रुपए में)																			
i)	1000 आईएचपी से अनधिक वेसल के लिए	276.00 डॉलर प्रति घंटा परन्तु न्यूनतम 828.00 डॉलर प्रति प्रचालन	7176.00 प्रति घंटा परन्तु न्यूनतम 21528.00 प्रति प्रचालन																			
ii)	1000 आईएचपी से अधिक वेसल के लिए	345.00 डॉलर प्रति घंटा परन्तु न्यूनतम 1035.00 डॉलर प्रति प्रचालन	8970.00 प्रति घंटा परन्तु न्यूनतम 26910.00 प्रति प्रचालन																			
नोट:	अवधि की गणना ऑपरेशन के लिए वेसल की रवानगी के समय से लेकर लौट आने के समय तक या दूसरे कार्य में लगाए जाने तक , जो भी पहले हो, होगी ।																					
एस.24 .17	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट टग / वेसल का उपयोग साल्वेज ऑपरेशन के लिए किए जाने पर 25% अतिरिक्त शुल्क प्रभारित किया जाएगा ।																					
एस.24 .18	मांग पर टोवेज सहायता/ साल्वेज ऑपरेशन के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट टग / वेसल का उपयोग किए जाने की स्थिति में शिप मालिक/ एजेंट को वास्तविक बीमा प्रीमियम एवं 20% अदा करना होगा । उस परिस्थिति में दुर्घटना होने पर किराएदार से विलंब शुल्क का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।																					
एस.25	पोर्ट ड्यूज																					
एस.25 .1	समुद्रगामी वेसल जो कोलकाता पोर्ट में प्रवेश करेंगे, उन पर निम्नलिखित दर पर पोर्ट ड्यूज प्रभारित किया जाएगा । पोर्ट में उन वेसल की प्रत्येक प्रवेश के लिए ड्यूज प्रभारित होगा ।																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="383 1451 459 1485">क्र.सं.</th> <th data-bbox="459 1451 1018 1485">वेसल का विवरण</th> <th data-bbox="1018 1451 1520 1485">दर प्रति जीआरटी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="383 1485 459 1518">i)</td> <td data-bbox="459 1485 1018 1518">विदेशी व्यापार में लगे वेसल</td> <td data-bbox="1018 1485 1520 1518">41.40 सेंट</td> </tr> <tr> <td data-bbox="383 1518 459 1574">ii)</td> <td data-bbox="459 1518 1018 1574">तटीय व्यापार में लगे वेसल जो अंडमान और केओपीटी के बीच नहीं चलते हैं ।</td> <td data-bbox="1018 1518 1520 1574">रु. 11.081</td> </tr> <tr> <td data-bbox="383 1574 459 1641">iii)</td> <td data-bbox="459 1574 1018 1641">तटीय व्यापार में लगे वेसल जो अंडमान और केओपीटी के बीच चलते हैं । (भारतीय करेंसी में)</td> <td data-bbox="1018 1574 1520 1641">रु. 6.403</td> </tr> <tr> <td data-bbox="383 1641 459 1720">iv)</td> <td data-bbox="459 1641 1018 1720">बैलास्ट में प्रवेश करनेवाले वेसल जो पैसेंजर वाहक नहीं हैं ।</td> <td data-bbox="1018 1641 1520 1720">उपर्युक्त क्र.सं. . (i), (ii) एवं (iii) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी दरों का 75%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="383 1720 459 1809">v)</td> <td data-bbox="459 1720 1018 1809">प्रवेश करनेवाले वेसल जो डिसचार्ज नहीं करते हैं तथा कोई कार्गो या पैसेंजर नहीं लेते हैं (मरम्मत के लिए आवश्यक अनशिपमेंट एवं/या रि-शिपमेंट को छोड़कर)</td> <td data-bbox="1018 1720 1520 1809">उपर्युक्त क्र.सं. . (i), (ii) एवं (iii) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी दरों का 50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="383 1809 459 2011">vi)</td> <td data-bbox="459 1809 1018 2011">सैंडहेड पर लाइटरिंग ऑपरेशन हेतु कार्यरत वेसल ।</td> <td data-bbox="1018 1809 1520 2011">उपर्युक्त क्र.सं. . (i), (ii) एवं (iii) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी दरों का 25%</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	वेसल का विवरण	दर प्रति जीआरटी	i)	विदेशी व्यापार में लगे वेसल	41.40 सेंट	ii)	तटीय व्यापार में लगे वेसल जो अंडमान और केओपीटी के बीच नहीं चलते हैं ।	रु. 11.081	iii)	तटीय व्यापार में लगे वेसल जो अंडमान और केओपीटी के बीच चलते हैं । (भारतीय करेंसी में)	रु. 6.403	iv)	बैलास्ट में प्रवेश करनेवाले वेसल जो पैसेंजर वाहक नहीं हैं ।	उपर्युक्त क्र.सं. . (i), (ii) एवं (iii) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी दरों का 75%	v)	प्रवेश करनेवाले वेसल जो डिसचार्ज नहीं करते हैं तथा कोई कार्गो या पैसेंजर नहीं लेते हैं (मरम्मत के लिए आवश्यक अनशिपमेंट एवं/या रि-शिपमेंट को छोड़कर)	उपर्युक्त क्र.सं. . (i), (ii) एवं (iii) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी दरों का 50%	vi)	सैंडहेड पर लाइटरिंग ऑपरेशन हेतु कार्यरत वेसल ।	उपर्युक्त क्र.सं. . (i), (ii) एवं (iii) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी दरों का 25%
क्र.सं.	वेसल का विवरण	दर प्रति जीआरटी																				
i)	विदेशी व्यापार में लगे वेसल	41.40 सेंट																				
ii)	तटीय व्यापार में लगे वेसल जो अंडमान और केओपीटी के बीच नहीं चलते हैं ।	रु. 11.081																				
iii)	तटीय व्यापार में लगे वेसल जो अंडमान और केओपीटी के बीच चलते हैं । (भारतीय करेंसी में)	रु. 6.403																				
iv)	बैलास्ट में प्रवेश करनेवाले वेसल जो पैसेंजर वाहक नहीं हैं ।	उपर्युक्त क्र.सं. . (i), (ii) एवं (iii) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी दरों का 75%																				
v)	प्रवेश करनेवाले वेसल जो डिसचार्ज नहीं करते हैं तथा कोई कार्गो या पैसेंजर नहीं लेते हैं (मरम्मत के लिए आवश्यक अनशिपमेंट एवं/या रि-शिपमेंट को छोड़कर)	उपर्युक्त क्र.सं. . (i), (ii) एवं (iii) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी दरों का 50%																				
vi)	सैंडहेड पर लाइटरिंग ऑपरेशन हेतु कार्यरत वेसल ।	उपर्युक्त क्र.सं. . (i), (ii) एवं (iii) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी दरों का 25%																				
नोट:-																						

i)	पृथक्कृत बैलास्ट वाले 'ऑयल टैंकर' पर पोर्ट ड्यूज के निर्धारण के लिए, 'अभ्युक्ति' कॉलम में यथासूचित घटाए गए टनेज हेतु इसका अंतरराष्ट्रीय टनेज प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा।
ii)	खाली एलएएसएच बजरो को लेने के लिए एलएएसएच वेसल के 'सेकेंड कॉल' के लिए कोई पोर्ट ड्यूज प्रभारित नहीं होगा।
iii)	केडीएस एवं एचडीसी - दोनों विजिट करनेवाले वेसल के मामले में दोनों केडीएस एवं एचडीसी पोर्ट पर प्रयोज्य पोर्ट ड्यूज का 50% अदा करना होगा।
iv)	उतराई प्रचालन के लिए सैंडहैडों को अटैंड करने वाले पोतों के मामले में जहां कार्गो ऐसे मंदर पोतों द्वारा उतारा जाता है, केओपीटी सीमाओं के भीतर किसी अनुमोदित स्थान पर बाद में नहीं उतारा जाता है, एस.25.1(vi) के प्रावधान लागू नहीं होंगे और पत्तन देयताएं एस.25.1(i) और एस.25.1(ii), जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार वसूल की जाएंगी।

भाग- VII
अंतर्देशीय वेसल एवं नन-प्रोपेल्ड वेसल के लिए वेसल संबंधी शुल्क

एस.26	इस अध्याय के अंतर्गत दरें निम्नलिखित पर प्रयोज्य होंगी -	
	i)	सभी अंतर्देशीय वेसल एवं नन-प्रोपेल्ड वेसल (विदेशी या तटीय के रूप में वर्गीकृत वेसल को छोड़कर)
	ii)	वर्चुअल जेटी / सागर में कार्यरत सभी बजरे/नाव/फ्लैट्स/मोटर लांचर्स (विदेशी या तटीय के रूप में वर्गीकृत वेसल को छोड़कर)
एस.27	वेसल पर स्टेयल प्रभार	
एस.27 .1	बर्थ/जेटी/डॉक बाँय/ या खिदिरपुर डॉक-1, नेताजी सुभाष डॉक, बज बज ऑयल जेटी, हल्दिया डॉक में कोई भी स्थान का उपयोग करने वाले वेसल पर निम्नलिखित दरों पर स्टेयल प्रभार प्रभारित किया जाएगा -	
क्र.सं.	अवधि	दर रु. में
1.	200 टन से कम के पोत पर -	
	i)	प्रवेश की तारीख से 5 दिनों तक 35.94 प्रति पोत प्रतिदिन अथवा उसका भाग
	ii)	6वें से 10वें दिन 71.88 प्रति पोत प्रतिदिन अथवा उसका भाग
	ii)	11वें से 20वें दिन 215.64 प्रति पोत प्रतिदिन अथवा उसका भाग
	iii)	21वें दिन से आगे 718.80.00 प्रति पोत प्रतिदिन अथवा उसका भाग
2.	200 टन और अधिक के पोत पर	0.86 प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग
एस.27 .2	केओपीटी के घोषित रिवरसाइड आईवीडब्ल्यू का उपयोग करने वाले वेसल पर निम्नलिखित दरों पर स्टेयल प्रभार प्रभारित किया जाएगा -	
	क्र.सं.	विवरण
	1.	नन-प्रोपेल्ड वेसल पर
		i) 4 टन क्षमता तक 22.00 प्रति पोत प्रतिदिन अथवा उसका भाग
		ii) 4 टन से अधिक क्षमता 58.00 प्रति पोत प्रतिदिन अथवा उसका भाग
	2.	प्रोपेल्ड वेसल पर 100.00 प्रति पोत प्रतिदिन अथवा उसका भाग
एस.27 .3	केओपीटी के किसी अन्य रिवरसाइड जेटी /रिवर मूरिंग / रिवरसाइड लैंडिंग स्टेज का उपयोग करनेवाले वेसल पर, टुरिस्त वेसल/ फेरी लांच को छोड़कर, रु.36 प्रति दिन की दर से स्टेयल प्रभार प्रभारित किया जाएगा।	
एस.27 .4	केओपीटी के रिवरसाइड जेटी का उपयोग करने वाले टुरिस्त /फेरी लांच पर रु. 216/- प्रति विजिट प्रति दिन की दर से प्रभार प्रभारित किया जाएगा।	

एस.28	डॉक टोल	
एस.28.1	परिवद्ध डॉक में प्रवेश के लिए वेसल पर निम्नलिखित दर पर डॉक टोल की वसूली की जाएगी :-	
	क्र.सं.	क्षमता
	1.	15 टन तक 287.00 प्रति पोत प्रति प्रवेश
	2.	15 टन से ऊपर 12.94 प्रति टन, परन्तु न्यूनतम 287.00 प्रति पोत

एस.29	नन-प्रोपेल्ड वेसल पर विविध शुल्क
एस.29.1	रु 136.85 प्रति टन की दर से रजिस्ट्रेशन फीस प्रभारित की जाएगी , न्यूनतम रु.805/- एवं अधिकतम रु. 16100/- प्रति क्राफ्ट ।
एस.29.2	वार्षिक लाइसेंस फीस रु. 24.15 प्रति टन की दर से प्रभारित की जाएगी । न्यूनतम रु. 483/- एवं अधिकतम रु.16100/- प्रति क्राफ्ट ।
एस.29.3	लाइसेंस की मान्यता अवधि बढ़ाने के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस का 25% प्रति माह की दर से फीस लिया जाएगा ।

एस.29.4	नन-प्रोपेल्ड वेसल पर अन्य प्रभार निम्नलिखित दरों पर होंगे :-		
	क्र.सं.	सेवाएं	दर रुपए में
	1.	माझी लाइसेंस/ पैसंजर क्राफ्ट के लिए लाइसेंस प्लेट/ डुप्लिकेट लाइसेंस	161.00 प्रति जारी करना
	2.	सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री एवं लाइसेंस के स्वामित्व परिवर्तन का अनुमोदन	805.00 प्रति जारी करना
	3.	सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री का डुप्लिकेट जारी करना	483.00 प्रति जारी करना
	4.	मालिक के वर्कशॉप पर सर्वे करने की फीस :-	
		क) पोर्ट सीमा के भीतर	रु. 24.15 प्रति टन परन्तु न्यूनतम रु. 805/- और अधिकतम रु. 1610/- प्रति आगमन
		ख) पोर्ट सीमा के बाहर	रु. 48.30 प्रति टन परन्तु न्यूनतम रु. 3220/- और अधिकतम रु. 8050/- प्रति आगमन
	5.	विशेष निरीक्षण करने तथा प्रमाणपत्र जारी करने की फीस	
		i) पोर्ट सीमा के अंदर निरीक्षण	
		क) हल्दिया तक चलाने के लिए	1610.00
		ख) विष्फोटक पदार्थ के वहन हेतु	1610.00
		पोर्ट सीमा के बाहर निरीक्षण	
		क) हल्दिया तक चलाने के लिए	8050.00
		ख) विष्फोटक पदार्थ के वहन हेतु	8050.00
	6.	नए निर्माण के लिए ड्राइंग तथा प्लान की जाँच एवं अनुमोदन करने की फीस	3220.00 प्रति क्राफ्ट
	7.	निर्माण / पुनर्निर्माण के दौरान कैनबलाइजेशन पद्धति द्वारा निरीक्षण तथा तकनीकी परामर्श देने की फीस	
		पोर्ट सीमा के भीतर	
		क) लकड़ी / गैर -धात्विक नाव	805.00
		ख) स्टील /धात्विक नाव	1610.00
		पोर्ट सीमा के बाहर	
		क) लकड़ी / गैर -धात्विक नाव	3220.00
		ख) स्टील /धात्विक नाव	8050.00
	8.	माझी बुक की आपूर्ति	40.25 प्रति कॉपी

	9.	दिशानिर्देश हेतु निर्देश पुस्तिका तथा निर्माण/पुनर्निर्माण एवं सर्वे की नियम पुस्तिका की आपूर्ति	322.00 प्रति कॉपी
	10.	रि-रजिस्ट्रेशन का शुल्क	
		क) लकड़ी / गैर -धात्विक नाव	483.00 प्रति क्राफ्ट
		ख) स्टील /धात्विक नाव	1610.00 प्रति क्राफ्ट
नोट :	यदि विशेष निरीक्षण सर्वे और वार्षिक लाइसेंसिंग सर्वे एक ही दिन किए जाते हैं तो वार्षिक लाइसेंसिंग सर्वे के लिए फीस नहीं ली जाएगी।		

एस.29 .5	लाइसेंस का पुनर्नवीकरण नहीं कराने पर कोलकाता पोर्ट नियम, 1994 के नियम 83(2) के अनुसार दंड के रूप में लाइसेंस की अवधि समाप्त होने की तारीख से वार्षिक लाइसेंस फीस का दुगुना (कालातीत अवधि के लिए), न्यूनतम एक माह के लिए प्रभार लिया जाएगा।
----------	---

एस.30	अंतर्देशीय तथा नन-प्रोपेल्ड क्राफ्ट के लिए टोवेज एवं पायलटेज
एस.30 .1	यदि वेसल को पोर्ट की ओर से टोवेज एवं पायलटेज की सेवाओं की जरूरत हो, तो तटीय वेसल के लिए (अंडमान के वेसल को छोड़कर) एस.24.1 में यथानिर्धारित दर का 50% प्रभारित किया जाएगा। उसी प्रकार, शिफ्टिंग के लिए भी यदि पोर्ट सेवाएं देता है तो कोस्टल वेसल के लिए एस.24.10 में यथानिर्धारित दर का 50% प्रभारित किया जाएगा।
एस.30 .2	यदि वेसल एस.30.1 में उल्लिखित पोर्ट की सेवाएं नहीं लेता है तो एस.28.1 में उल्लिखित डॉक टोल चर्ज लिया जाएगा।
एस.30 .3	यदि इस दर मानदंड के भाग द्वारा कवर किया गया कोई वेसल कोई ऐसी सेवा प्राप्त करता है जिसके लिए इस भाग में कोई दर निर्धारित नहीं की गई है तो तटीय वेसल पर प्रयोज्य दर लागू होगी।
एस.31	केडीएस के टीटी शैड पर फ्लाइट एश के प्रहस्तन के लिए, केओपीटी द्वारा प्रचालित, समेकित प्रहस्तन प्रभार, सभी कार्गो तथा बार्ज सम्बंधित सेवाओं सहित, रु. 40.00 प्रति मी.ट. की दर पर वसूल किया जाएगा।

दर मान के भाग- VII के लिए नोट

दर मान के भाग के अंतर्गत टन का अर्थ होगा वेसल का रजिस्टर्ड टन या समग्र रजिस्टर्ड टन, बशर्ते अन्यथा परिभाषित नहीं किया गया हो। जहाँ रजिस्टर्ड टन या समग्र रजिस्टर्ड टन अनुपलब्ध हो तथा मापन केवल घन मीटर में किया जाता है, उस हालत में प्रभारों की वसूली के लिए संपरिवर्तन गुणांक होगा - 1 घन मीटर = 0.36 रजिस्टर टन।

भाग- VIII
स्लिपवे हायर चार्जेज

एस.32	स्लिपवे हायर चार्जेज		
एस.32.1	उत्तरी बकशांप कम्प्लेक्स से लग भूमि के बैक अप के साथ स्लिपवेज किराए पर लेने पर निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जाएगा :-		
	अवधि	दर प्रतिदिन रुपए में	
		स्लिपवे सं.1	स्लिपवे सं.2
		स्लिपवे सं.3	
	i) 1ला से 10वाँ दिन	4169.88	2432.43
	ii) 11 वें दिन से आगे	3855.60	2268.00
			2722.01
			2551.50

एस.32.2	उत्तरी वर्कशॉप कंप्लेक्स से लगे भूमि के बैक अप के बिना स्लिपवेज किराए पर लेने पर निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जाएगा :-			
	अवधि	दर प्रतिदिन रुपए में		
		स्लिपवे सं.1	स्लिपवे सं.2	स्लिपवे सं.3
	i) 1ला से 10वाँ दिन	1846.80	907.20	972.00
	ii) 11 वें दिन से आगे	1749.60	874.80	907.20

भाग - IX

विशेष दर

1. 1 अप्रैल 2004 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले केओपीटी के कर्मचारियों के मामले में पेंशन देयता की पूर्ति के लिए, भाग-1 से भाग-VIII के अधीन दरमान में अधिसूचित विभिन्न प्रभारों के प्रतिशत रूप में विशेष दर दरमान की वैधता के दौरान वसूल की जाएगी।
2. दरमान की वैधता के दौरान वसूल की जाने वाली विशेष दर पत्तन उपयोक्ताओं द्वारा देय तत्संबंधी प्रभारों का 5 प्रतिशत होगी।
3. केओपीटी इस विशेष दर के माध्यम से सृजित राजस्व केवल विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही लागू करेगा। इस प्रयोजन के लिए, केओपीटी इस सम्बंध में प्राप्तियों तथा भुगतानों को कवर करते हुए पृथक लेखा व्यवस्थित करेगा।
